



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022022-233075
CG-DL-E-02022022-233075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943

No. 32]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

अंतिम जांच परिणाम

(मामला सं. एडीडी 12/2021)

विषय : चीन जन.गण., दक्षिण कोरिया, ताईवान और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के संबंध में।

फा. सं. 7/14/2021-डीजीटीआर.— 1. समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. मै. इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “याचिकाकर्ता” अथवा “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) ने समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण., दक्षिण कोरिया, ताईवान और वियतनाम (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है, के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए इलास्टोमरिक फिलामेंट यार्न (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन (जिसे आगे “याचिका” भी कहा गया है) दायर किया है।

3. आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के और वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का आरोप संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में लगाया है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।
4. इस अधिनियम की धारा 9क(5) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क यदि उसे पूर्व में निरस्त नहीं किया गया है, तब इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत् प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
5. इस नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नानुसार प्रावधान है:
“.....किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टि तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”
6. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27.1.2016 की अधिसूचना सं. 14/29/2015-डीजीएडी के माध्यम से की गई थी। अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.3.2017 की अधिसूचना सं. 14/29/2015-डीजीएडी के माध्यम से जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा चीन जन.गण., दक्षिण कोरिया, ताईवान और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर दिनांक 3.5.2017 की अधिसूचना सं. 15/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क 2.5.2022 तक वैध है।
7. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दायर किए गए पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 30.6.2021 की जांच शुरुआत अधिसूचना सं. 7/14/2021-डीजीटीआर (एडी-एसएसआर सं. 12/2021) के माध्यम से इस तथ्य की जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की थी कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है और क्या संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखने की आवश्यकता है।

ख. प्रक्रिया

8. यहां नीचे दी गई उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है:

- i. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30.06.2021 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।
- ii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार घरेलू उद्योग को जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना के प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं।
- iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- iv. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- v. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, जिनका ब्यौरा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था, को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना देने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।
 - क. हाइयोसंग टीएनसी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - ख. दि लाइक्रा कंपनी, कोरिया गणराज्य
 - ग. टीकवांग इंडस्ट्रियल कोरिया गणराज्य
 - घ. टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - ड. हाइवोसंग वियतनाम कं. लि., वियतनाम
 - च. यानताई, चीन जन. गण.
 - छ. इन्विस्टा, चीन जन.गण.
 - ज. एशाही, ताइवान
- vi. संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
 - क. हाइयोसंग टीएनसी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - ख. टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - ग. चौंगलाई फाइबर (फोशन) कं., लि., चीन जन.गण.
 - घ. दि एलवाईसीआरए कंपनी सिंगापुर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
 - ड. हाइयोसंग वियतनाम कं. लिमिटेड, वियतनाम
- vii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता संघों जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे, की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं:
 - क. औरो स्पनिंग मिल्स
 - ख. आरवी डेनिमस एंड एक्सपोर्ट्स लि.

- ग. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- घ. बीएसटी टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
- ड. ब्लाउमान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- च. बॉम्बे रेयान फैशन लि.
- छ. दीपक इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ज. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सी आई टी आई)
- झ. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन (आई एस ए)
- ञ. इंडियन वूलन मिल्स फेडरेशन
- ट. फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्स वीविंग इंडस्ट्री
- ठ. दि साउदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन
- viii. संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों और उपभोक्ताओं ने निर्धारित प्रारूप में आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- क. अरविंद लिमिटेड
- ख. गिन्नी इंटरनेशनल लिमिटेड
- ग. वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड
- घ. रेमंड यूसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड
- ड. बेस्ट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
- च. भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- छ. आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड
- ज. संगम (इंडिया) लिमिटेड
- झ. श्री कन्नापाइरन मिल्स लिमिटेड
- ञ. सूर्यालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड
- ट. ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड
- ix. हियोसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत में एकमात्र अन्य उत्पादक है, ने जांच की प्रक्रिया के दौरान अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। विशाल फैब्रिक लिमिटेड, इंडियन डेनिम मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन; इंडियन टेक्प्रेनियर फेडरेशन ने भी अपनी सुनवाई के पश्चात/अन्य कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- x. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिए हैं अथवा इस जांच के संबंध में पूर्ण सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माने जाने पर विचार किया है।
- xi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी जहां कहीं भी आवश्यक माना गया, गोपनीयता के दावे को स्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

- xii. हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों, अनुरोधों और साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर साझा करने के लिए कहा गया था।
- xiii. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 महीने) है। हालांकि, जांच के अधीन क्षति की अवधि में 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल रहेगी।
- xiv. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक मानी गई सीमा तक अतिरिक्त/पूरक सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था, जिस सीमा तक उसे इस जांच के उद्देश्य से आवश्यक माना गया था।
- xv. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उसका निर्माण एवं बिक्री करने की लागत के आधार पर किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvi. पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के संबंध में वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त की गई सूचना को भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई है।
- xvii. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता, हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 18.01.2022 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 25.01.2022 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया है।
- xviii. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 10.11.2021 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी उपलब्ध कराए। मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, से अनुरोध किया गया था कि वे अपने विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें ताकि विरोधी हितबद्ध पक्षकार उसके पश्चात प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें।
- xix. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक किया गया जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। केवल ऐसी सत्यापित सूचनाओं जिसमें जहां कहीं भी लागू हो, आवश्यक संशोधन शामिल है, पर अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।
- xx. जांच की प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी संगत माना गया हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है।
- xxi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिए जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में बहुत हद तक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया है।
- xxii. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- xxiii. संबद्ध जांचों के लिए जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनिमय दर 1 यूएसडॉलर = 75.02 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. कि लाइक्रा को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि उसका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है।
- ii. कि घरेलू उद्योग ने स्वयं उस उत्पाद की एक अन्य जांच में लाइक्रेन को बाहर रखा है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. यह कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के पूर्ण रेंज का उत्पादन कर रहा है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है अतः विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही रहता जो मूल जांच में है।
- ii. ब्रांड “लाइक्रा” को बाहर किए जाने के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि सतत कार्य-पद्धति के मामले के रूप में, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा जांचों के दौरान विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि मूल जांच में अपवर्जन कुछ उत्पादों के लिए उनकी भौतिक/तकनीकी विनिर्देशों, उपयोग, प्रतिस्थापनीयता आदि के आधार पर उपलब्ध कराई गई थी। आगे किसी अपवर्जन को उसी मापदंड से गुजरना होता है न कि केवल इस आधार पर कि उसे कुछ अन्य जांचों में बाहर रखा गया है। आगे यह उल्लेख किया गया था कि सिंगापुर के विरुद्ध जांच में भी, घरेलू उद्योग ने इस आधार पर अपवर्जन का अनुरोध नहीं किया है कि समान वस्तु का उत्पादन अथवा बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा आगे यह अनुरोध किया गया है कि इसकी अनुमति कानून में नहीं दी जा सकती है और यह निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए प्राधिकारी की सतत दृष्टिकोण के विरुद्ध भी है। विगत में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सतत रूप से यह उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के निर्णायक समीक्षा जांच में बदला नहीं जा सकता है।
- iv. घरेलू उद्योग ने पहले से लगाए गए शुल्कों की अवधि को जारी रखने के लिए चीन से फ्लोट ग्लास के लिए हाल में शुरू की गई निर्णायक समीक्षा जांच पर विश्वास किया है और चीन जन.गण. से फ्लोट ग्लास के विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से “अत्यधिक स्पष्ट फ्लोट ग्लास” को बाहर किए जाने के लिए सीमित मध्यावधि समीक्षा जांच भी शुरू की है। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि चूंकि डीजीटीआर ने पृथक मध्यावधि समीक्षा और निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की है, अब यह डीजीटीआर पर है कि वह वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में उत्पाद को बाहर करने के अनुरोध को स्वीकार करें।
- v. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि निर्यातक “लाइक्रा” का पूर्ण विवरण जैसे इसकी भौतिक/तकनीकी विनिर्देशन, उपयोग, प्रतिस्थापनीयता आदि जो उनके अनुसार घरेलू उद्योग उत्पादन नहीं कर सकते हैं को उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं, को इस मामले में किसी निर्णय लेने के पूर्व हमारी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं।
- vi. यह कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस टिप्पणी की घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के किसी विशेष प्रकार का निर्माण नहीं करता है, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “डक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच के मामले में इस आधार पर उत्पाद कार्य-क्षेत्र को संशोधित करने से इंकार किया कि उसे निर्णायक समीक्षा जांच में किया गया था। इसी प्रकार सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए पोलिप्रोपिलिन से संबंधित जांच में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विशिष्ट अनुरोध के बावजूद उत्पाद क्षेत्र में संशोधन करने से इंकार किया कि वे विचाराधीन उत्पाद के उस ग्रेड का निर्माण नहीं करते हैं। प्राधिकारी का निर्णय सभी हितबद्ध पक्षकारों

से इनपुट्स प्राप्त करने के बाद विभिन्न कारकों के विश्लेषण पर आधारित था। चूंकि प्राधिकारी सतत रूप से विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में संशोधन नहीं कर रहे हैं अतः घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि चूंकि वे समान वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं अतः “लाइक्रा” को बाहर रखने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

vii. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि अपवर्जन के लिए अनुरोध किए गए उत्पाद की तकनीकी विशेषताएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं की जा सकती है।

viii. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में संगत मानी गई सीमा तक किए गए अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई है और तदनुसार उसका समाधान किया गया है।

12. दिनांक 30 जून, 2021 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना सं. 7/14/2021 और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा निम्नानुसार दी गई थी:

4. “रंजित यानों और बीम टाइप इलास्टोमेरिक यानों को छोड़कर 150 डेनियर तक और उसको शामिल करते हुए सभी डेनियर का इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न”। ये फिलामेंट यार्न भी सामान्य रूप से स्पेन्डेक्स अथवा इलास्टेन के रूप में संदर्भित हैं। इन यानों को बोल-चाल की भाषा में बाजार में “लाइक्रा” के रूप में भी कहा जाता है यद्यपि ये एक विशिष्ट ब्रांड नाम हैं। इनका वर्णन तकनीकी शब्दों में “सोफ्ट” से बनी क्षेत्र में बंटा हुआ पोलियूरेथिन, अथवा लचीलेदार, खंड जो “ठोस” अथवा करे खंडों के साथ जुड़ा हुआ है, उल्लेख किया जाता है। यह फाइबर को इसकी बिल्ट-इन, स्थाई लचीलापन देता है। यह एक इलास्टोमेरिक फाइबर है जिसका व्यापक रूप से उपयोग वसूली के साथ स्ट्रेच देने के लिए स्ट्रेच गारमेंट में छोटे संघटक के रूप में किया जाता है। यह नोट किया जाता है कि ऊपर में परिभाषित अनुसार विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में था। आवेदक ने कीमत विश्लेषण के लिए मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का उपयोग किया है।

5. संबद्ध उत्पादों का वर्गीकरण अध्याय शीर्षक 54 “मेन-मेड फिलामेंट्स; स्ट्रिप्स और मेन-मेड टेक्सटाइल मैटेरियल्स” के समान वस्तु के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आठ डिजिट के स्तर पर वर्गीकरण 54041100 है यद्यपि इस उत्पाद का वर्गीकरण और आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के विभिन्न उप-शीर्षों जैसे 5402, 5403 और 5404 के अंतर्गत किया जा रहा है। यह भी नोट किया जाना है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के उत्पाद कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

6. प्राधिकारी की सतत कार्य-पद्धतियों और स्थापित न्याय शास्त्र के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच के लिए वर्तमान याचिका होने के कारण विचाराधीन उत्पाद मूल अधिसूचना में दी गई परिभाषा के अनुसार भी रहता है।

13. प्राधिकारी ने यह नोट किया कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि “लाइक्रा” उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने इसके अपवर्जन के लिए एक अन्य जांच में अनुरोध किया था और यह कि वह तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक अलग उत्पाद है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि वे समान उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि दोनों जांचों में इस उत्पाद का कार्य-क्षेत्र अलग-अलग है और इसलिए इसका इस जांच में कोई प्रभाव नहीं है।

14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इन्होंने उत्तर देने वाले उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों तथा अन्य सूचना और रिकॉर्ड जो प्राधिकारी के पास उस समय उपलब्ध थे, के आधार पर मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र की जांच की थी। लाइक्रा जैसे ब्रांडों के अनुरोधों के अपवर्जन के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के संबंध में मूल जांच में,

प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से लाइक्रा जैसे ब्रांडों के अनुरोधों के अपवर्जन के संबंध में दिनांक 24.3.2017 के अंतिम जांच परिणामों के पैरा 20 में रिकॉर्ड किया था कि हितबद्ध पक्षकारों के पास अपवर्जन के अपने दावे को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं था और यह कि किसी भी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से उनके ब्रांड नाम के आधार पर बाहर नहीं रखा जा सकता। अतः, प्राधिकारी ने मूल अंतिम जांच परिणामों में यह नोट किया था कि अपवर्जन के लिए मापदंड को पूरा नहीं किया गया है और इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से लाइक्रा जैसे ब्रांडों को बाहर रखने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को अस्वीकार किया गया था।

15. प्राधिकारी ने मूल जांच में अंतिम निर्धारण के जारी किए जाने से पूर्व प्राधिकारी को उत्तर देने वाले उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों तथा उस समय प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य सूचना और रिकॉर्ड के आधार पर तथा इसके अनुसार कि प्राधिकारी ने यह नोट किया था कि संबद्ध वस्तु जिसका आयात भारत में किया जा रहा था, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं के सदृश्य थी, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्रति-तर्कों की जांच की थी। पाटित आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादन की गई वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशों, कार्यों अथवा अंतिम उपयोगों में भी कोई अंतर नहीं था। ये दोनों एक दूसरे से तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय थे। इसके परिणामस्वरूप, प्राधिकारी ने मूल जांच परिणामों के पैरा 20 में अपने जांच परिणामों को दोहराया था और यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयात की गई वस्तुओं के सदृश्य वस्तु थे।
16. मूल जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद रंजित यानों और बीम टाइप इलास्टोमेरिक यानों को छोड़कर 150 डेनियर तक और उसको शामिल करते हुए सभी डेनियर का इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न है। पूर्व की जांच में विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा नीचे दिए गए अनुसार दी गई थी। प्राधिकारी वर्तमान उद्देश्यों से विचाराधीन उत्पाद के उसी कार्य क्षेत्र पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं:
 “रंजित यानों और बीम टाइप इलास्टोमेरिक यानों को छोड़कर 150 डेनियर तक और उसको शामिल करते हुए सभी डेनियर का इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न”।
17. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मूल जांच परिणामों में यद्यपि विभिन्न प्रकारों के अपवर्जन के संबंध में अनुरोध किए गए थे, फिर भी केवल कुछ अपवर्जनों को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की लागत, कीमत और परस्पर बदले जाने की क्षमता को देखते हुए इन जांच परिणामों के पैरा 17 से 21 में यथा-उल्लिखित स्वीकार किया गया था। इस प्रकार से, प्राधिकारी वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद और उसके कार्य-क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।
18. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद जिसे ऊपर में परिभाषित किया गया है और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद इन वस्तुओं की भौतिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रैद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु इस नियमावली के क्षेत्र और आशय से संबद्ध देशों से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के सदृश्य वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र एवं आधार

19. इस नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और इसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र में अन्य भारतीय उत्पादकों को भी शामिल करना चाहिए। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि विगत हाल में प्राधिकारी ने उन कंपनियों पर विचार किया है जिनका निर्यातकों के साथ संबंध है अथवा स्वयं संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। इस कारण से, अपात्र घरेलू उत्पादक के रूप में अन्य भारतीय उत्पादकों को मानने का कोई कारण नहीं है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और इसके आधार के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. हियोसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड(एचआईपीएल) को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसके उत्पादन को भारतीय उत्पादन में आवेदक की गणना करने के लिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसका संबंध संबद्ध देशों के निर्यातकों से है।

ख. यह आवेदन मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक द्वारा उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक का कुल पात्र उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है।

ग. आवेदक ने क्षति की जांच की समग्र अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

घ. आवेदक का संबंध संबद्ध देशों में निर्यातकों अथवा भारत में आयातकों से नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. यह आवेदन मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक बड़ा उत्पादक है। भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र एक और उत्पादक अर्थात् हिसोसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचआईपीएल) है।

23. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक का भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। आवेदक न तो भारत में किसी आयातक अथवा संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से संबंधित है। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

24. एचआईपीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों के संबंधित निर्यातकों ने बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किया है(वियतनाम से निर्यातों का पूरा हिस्सा उनकी संबंधित कंपनियों द्वारा किया गया है)। इस कारण से, प्राधिकारी ने एक नियम 2(ख) के आशय से एक घरेलू उत्पादक के रूप में एचआईपीएल को और न कि घरेलू उद्योग को माना है।

25. आवेदक का उत्पादन सकल भारतीय उत्पादन (एचआईपीएल को शामिल करते हुए) 53 प्रतिशत और एचआईपीएल के उत्पादन को शामिल न किए जाने के बाद 100 प्रतिशत है।

भारतीय उत्पादक	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि	हिस्सा
इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आवेदक)	मी.टन	***	***	***	***	54%
हियोसंग कारपोरेशन (एकमात्र	मी.टन	-	-	***	***	46%

अन्य उत्पादक)*						
कुल उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	100%

*अक्तूबर, 2019 से उत्पादन शुरू किया गया

26. रिकॉर्ड पर सूचना पर विचार करते हुए, आवेदक का भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। तदनुसार प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि इस आवेदन ने इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा किया। इसके अलावा, यह आवेदन अन्य उत्पादक के हिस्से को शामिल करते हुए और अन्य उत्पादक को शामिल न करते हुए आधार की आवश्यकता को पूरा करता है, यद्यपि वह निर्णायक समीक्षा जांचों में अधिदेश दी गई आवश्यकता नहीं है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- आवेदक ने प्रपत्र-एच में उत्पादन और बिक्री, बिक्री से प्राप्ति, प्रपत्र एल में सूचना और क्षति की संभावना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- आवेदक द्वारा केवल यह कहना कि सारांश किया जाना संभव नहीं है, नियम 7(2) के अंतर्गत कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। यह दर्शाना अपेक्षित है कि क्यों इस प्रकार सारांश किया जाना संभव नहीं है। गोपनीयता के कारणों को दर्शाते हुए औचित्य तालिका व्यापार सूचना की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। खंड-VI के उत्तर में घरेलू उद्योग ने कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। एक्सोटिक डेकोन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुसार, डीजीटीआर को उसी रूप में और तरीके से आयात आंकड़े उपलब्ध कराने हैं जिसमें इसे रिकॉर्ड पर लिया गया था।
- स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे गोपनीयता के दावे का मूल्यांकन करें। वैसा ही निर्णय माननीय सेस्टेट द्वारा एचआर जॉनसन मामले में लिया गया था।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा दायर किया गया उत्तर गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है। प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नों के उत्तर के बारे में बिना कोई सार्थक सारांश देते हुए पूर्ण रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- प्रतिवादियों ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है।
- प्राधिकारी द्वारा क्षति के निर्धारण पर पहुंचने के उद्देश्य से विचार किए गए सभी आर्थिक मानदंडों को दिनांक 7.09.2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के अनुपालन में उपलब्ध कराया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य मापदंडों को प्रकट न किए जाने के कारण हुए भेदभाव को सिद्ध करना चाहिए।
- आयातकों ने सूचना का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है जो जांच के उद्देश्य से अपर्याप्त है तथा उन्होंने केवल बयान दिए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक की गई है, जिस सीमा तक उसे संगत माना गया था और तदनुसार उसका समाधान किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक ने प्रपत्र एच में उत्पादन और बिक्री, बिक्री से प्राप्ति, प्रपत्र एल में सूचना और क्षति की संभावना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उन सभी सूचना जो वर्तमान जांच के उद्देश्य से संगत हैं, का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
30. संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध**च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
- भारत में मांग और आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर है और आयातक सोर्स करने का कोई विकल्प नहीं रहने के बावजूद शुल्कों का भुगतान करने के लिए विवश हैं।
 - यह आवेदन सटीक और समुचित प्रकटन के मानकों को पूरा नहीं करता है। जांच शुरूआत त्रुटिपूर्ण है और जांच को समाप्त किया जाना चाहिए। इस आवेदन में दिया गया साक्ष्य पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का सही और सटीक विश्लेषण करने के लिए अपर्याप्त है।
 - संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए रखने के फलस्वरूप तैयार वस्तुओं के आयातों में वृद्धि होगी और इसके साथ ही यह अंतिम प्रयोक्ताओं जिन्हें आयातों से पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला है, को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
 - घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना इस जांच के शुरूआत को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त है। सभी साक्ष्य जांच शुरूआत को सही ठहरा नहीं सकते और प्रस्तुत किया गया साक्ष्य “पर्याप्त साक्ष्य” होने की समुचित गुणवत्ता का अवश्य होना चाहिए।
 - निर्णायक समीक्षा के अनिवार्य शुरूआत की कोई आवश्यकता नहीं है और वर्तमान आवेदन जांच शुरूआत को समर्थन देने के लिए किसी सकारात्मक साक्ष्य को नहीं दर्शाता है और यह कानून के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
 - प्राधिकारी ने हाल की निर्णायक समीक्षा में यह माना है कि यह प्राधिकारी का प्रयास है कि वह उन मामलों, जहां यह महसूस करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क पूर्ण रूप से आवश्यक है, को छोड़कर दस वर्षों की अवधि से आगे शुल्क को जारी नहीं रखें।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:
- भाग लेने वाले संघों के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने सूचना प्रस्तुत नहीं की है और वे नियम 2(ग) के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माने जाने के लिए अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहे हैं। आगे यह उल्लेख किया गया था कि किसी भी भाग लेने वाले संघों ने अपने सभी सदस्यों की पूर्ण सूची भी प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि प्राधिकारी एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में उनके दर्जे को सुनिश्चित करने में सक्षम हो सके। चूंकि उन्होंने निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है, अतः घरेलू उद्योग उनके अनुरोधों को अस्वीकार करने का अनुरोध करता है।

- ii. कि हितबद्ध पक्षकारों ने आपवादिक परिस्थिति के रूप में आपवादिक धारा की गलत तरीके से व्याख्या की है। इसके विपरीत, कानून के अंतर्गत अपेक्षा यह है कि यदि पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की शर्त को पूरा किया जाता है तब इन शुल्कों को 5 वर्षों से आगे की अवधि तक विस्तार किए जाने की अनुमति दी जाती है।
- iii. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी यह टिप्पणी कर सकते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्धारित समय के भीतर जांच के शुरूआत के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी। चूंकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समय के भीतर याचिका और जांच के शुरूआत के संबंध में टिप्पणियां उपलब्ध नहीं कराने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है, प्राधिकारी को केवल इस आधार पर इन सभी अनुरोधों को तत्काल अस्वीकार कर देना चाहिए।
- iv. इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने या तो विलंब को माफ कर देने की मांग की है अथवा प्राधिकारी ने किसी अतिरिक्त समय की अनुमति दी है। यह भी दर्शाता है कि जांच के शुरूआत और याचिका के बारे में उनके अनुरोध जांच की प्रक्रिया को लंबित करने के लिए केवल एक चाल है।
- v. घरेलू उद्योग ने गोपनीय के रूप में दावा की गई प्रत्येक सूचना के लिए विस्तृत औचित्य उपलब्ध कराया है और यह प्रतिवादी हैं जिन्होंने उचित औचित्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- vi. रिकॉर्ड पर यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं है कि पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी भी प्रयोक्ता के प्रश्नावली के उत्तर प्रतिकूल प्रभावों को नहीं दर्शाएंगे। प्रयोक्ता उद्योग ने यह सिद्ध किया है कि इस प्रकार से पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के कारण यह प्रभावित हुआ है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि शुल्कों का संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं पर मामूली प्रभाव (0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं) पड़ा है।
- vii. पाटनरोधी शुल्क उद्योग को संरक्षण नहीं देता है बल्कि यह समान अवसर स्थापित करने के लिए अनुचित कीमत निर्धारण का समाधान करने का एक तरीका है। प्रयोक्ता किसी भी स्रोत से उचित कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

33. इस अनुरोध पर कि भारत में मांग और आपूर्ति में अंतर है जो आयातों में वृद्धि का कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार करने की मांग का आधार अपने आप में आयात नहीं है बल्कि वह कीमत है जिस पर आयात किया गया है और बिक्री कीमत, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल जैसे इसके मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ा है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से समान अवसर उपलब्ध होता है और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर रोक नहीं लगती है।
34. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की शुरूआत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर की गई थी। इस कारण से यह दावा कि आवेदन कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, सही नहीं है।
35. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि शुल्कों के विस्तार का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हितबद्ध पक्षकारों ने इस अनुरोध का समर्थन करने के लिए कोई गणना अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं और प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हैं जबकि घरेलू उद्योग ने उद्योग के विभिन्न खंडों पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव को दर्शाते हुए विस्तृत गणना उपलब्ध कराई है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

36. इस अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है:
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भूत वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंधित प्रावधान

37. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में निम्नानुसार उल्लेख है:

7. “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

8 (1) “गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों पर पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या:

(क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं ;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ;

(ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ;

(घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं ;

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित उचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं और इस कारण से जांच शुरुआत सही नहीं है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दिए गए सामान्य मूल्य का उपयोग डीजीटीआर द्वारा पाटन मार्जिन की गणना करने के लिए किया जाना चाहिए।
- यह कि उत्पादकों ने सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में डीजीटीआर के साथ अपनी पूर्ण सूचना प्रस्तुत की है। इस कारण से उन्होंने अपनी सत्यापन योग्य सूचना का उपयोग करने का अनुरोध किया है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

39. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- घरेलू उद्योग ने जांच के शुरुआत के उद्देश्य से अपने आवेदन में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।
- चीन जन.गण. के निर्यातक अर्थात् चुआंगलाई फाइबर (फोशन) कं., लि. से निर्यातक के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसने संबंधित वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल अपनी सभी कंपनियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की है। दूसरा, इसने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का भी दावा नहीं किया है और इस कारण से इसका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के साथ पठित नियम 6(8) के संदर्भ में तय किया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग ने टीके केमिकल कारपोरेशन के उत्तर को अस्वीकार करने का अनुरोध किया है क्योंकि भारत में उनकी संबंधित कंपनी ने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। चूंकि डीजीटीआर असंबंधित पक्षकारों द्वारा उत्तरों को प्रस्तुत नहीं करने पर उत्तरों को अस्वीकार कर रहा है, अतः संबंधित आयातक द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि इसका पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- यह भी अनुरोध किया जाता है कि यदि डीजीटीआर टीके केमिकल कारपोरेशन द्वारा उत्तर प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देता है तब उनके मार्जिन की फिर से गणना किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि भारत में उनके निर्यात चैनलों में मूल जांच के समय से बदलाव आया है।

- ड. घरेलू उद्योग हियोसंग ग्रुप के निर्यात बिक्री चैनल की जांच करने का अनुरोध करता है और यदि उनका उत्तर सही नहीं हो तब उसे प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार अस्वीकार किया जा सकता है।
- च. घरेलू उद्योग ने लेन-देनवार डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय ढुलाई, पोर्ट हैंडलिंग और स्वीकृति शुल्क, बैंक शुल्क, कमीशन, ऋण लागत की कटौती की है। इसके अलावा, गणना किया गया पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।
- छ. किसी भी भाग लेने वाले निर्यातक ने नकारात्मक पाटन मार्जिन का दावा नहीं किया है।
- ज. इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च तथा लाभ सहित विधिवत् समायोजित (क) भारत में तीसरे देश से आयात कीमत; (ख) भारत में बिक्री कीमत, और (ग) भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर किया जा सकता है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि चूंकि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं। अतः प्राधिकारी, "किसी अन्य आधार" पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इसे तभी लागू किया जाना अपेक्षित है जब कानून के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य आधार लागू नहीं किया जा सकता हो।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

40. प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराग्राफ में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया है:
41. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी जिसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यात की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- i. चुआंगलाई फाइबर (फोशन) कं., लि., चीन जन.गण.
 - ii. दि एलवाईसीआरए कंपनी सिंगापुर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
 - iii. हाइयोसंग टीएनसी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - iv. टीके केमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य
 - v. हाइयोसंग डोंगनाइ कं. लि., वियतनाम
 - vi. हाइयोसंग वियतनाम कं. लिमिटेड, वियतनाम
42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल जांच में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच सही तुलना करने के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) के आधार पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अनुमति देने के वास्ते हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोधों के प्राप्त होने के बाद, प्राधिकारी ने कीमत विश्लेषण के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याएं (पीसीएन) जारी की थी। इस कारण से, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के शुरुआत संबंधी सूचना में भी, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद वही है जो मूल जांच में था और यह कि आवेदक ने कीमत के विश्लेषण के लिए मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का उपयोग किया है। इस कारण से, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार कीमत विश्लेषण के लिए पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत करने वाले थे। घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में अनुबंध-2 के रूप में मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए पीसीएन सूचना की वर्तमान जांच में शुरुआत करने के लिए संलग्न भी किया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में चुआंगलाई फाइबर (फोशन) कंपनी लिमिटेड, चीन में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और इसका संबंधित निर्यातक/व्यापारी दि लाइक्रा कंपनी सिंगापुर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर को छोड़कर घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले सभी निर्यातकों ने मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा लिए गए पीसीएन के अनुसार सूचना प्रस्तुत की है। चूंकि चुआंगलाई फाइबर (फोशन) कंपनी लिमिटेड, और इसका संबंधित निर्यातक/व्यापारी दि लाइक्रा कंपनी सिंगापुर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्राधिकारी अलग अलग पीसीएन-वार पाटन और क्षति विश्लेषण नहीं कर सकता है। इस कारण से, प्राधिकारी, उनके पूर्ण उत्तरों को स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं।

छ.4 चीन के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

43. चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा

डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

“क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(ग) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

44. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ का अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाले सूचना/आंकड़ों के माध्यम से, पूरा किए जाने के लिए इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित है। यह नोट किया

जाता है कि चीन जन.गण. के उत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों पर पूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है। इस कारण से, प्राधिकारी भाग लेने वाले चीन के उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दे सकते हैं।

चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

45. चूंकि प्राधिकारी चुआंगलाई फाइबर (फोशन) कंपनी लिमिटेड, चीन में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और इसका संबंधित निर्यातक/व्यापारी दि लाइक्रा कंपनी सिंगापुर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के अपूर्ण उत्तरों को स्वीकार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, प्राधिकारी इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम का निर्धारण किया गया है और उसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देश ऐसे किसी तीसरे देश से कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हो, किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित सदृश्य उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत, यदि आवश्यक हो, को शामिल करते हुए निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 7 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है।
46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अलग-अलग पीसीएन में आ रहा है और प्राधिकारी का विश्लेषण भी पीसीएन वार किया जाता है, चीन जन.गण. से निर्यातकों द्वारा दी गई समेकित सूचना अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध समेकित सूचना पर इस कारण से संरचित सामान्य मूल्य के उद्देश्य से विश्वास नहीं किया जाता है। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि पैरा 7 के संदर्भ में न तो घरेलू उद्योग ने किसी प्रतिनिधिक देश का प्रस्ताव किया और न ही चीन जन.गण. के निर्यातकों ने कोई प्रतिनिधिक देश का सुझाव दिया। उपर्युक्त के अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की कीमतें अथवा संरचित मूल्य या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों जिसमें भारत शामिल है, को पीसीएन वार कीमतें आवेदक द्वारा और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, और न ही पैरा 7 में उपलब्ध प्रथम दो विकल्पों को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसाकि ऊपर में उल्लेख किया गया है, पीसीएन वार सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध नहीं है और इस कारण से प्राधिकारी किसी अन्य पद्धति को नहीं अपना सकते हैं सिवाय इसके कि एकमात्र उपलब्ध विकल्प उचित लाभ मार्जिन (अर्थात् संरचित सामान्य मूल्य) को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई कीमत अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण करना है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

47. चूंकि प्राधिकारी चुआंगलाई फाइबर (फोशन) कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और इसका संबंधित निर्यातक/व्यापारी दि लाइक्रा कंपनी सिंगापुर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के अपूर्ण उत्तरों को स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं, अतः प्राधिकारी इस नियमावली के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण करने का प्रस्ताव करते हैं।

छ.5 दक्षिण कोरिया के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

i. हियोसंग टीएनसी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य

सामान्य मूल्य

48. जांच की अवधि के दौरान, हियोसंग टीएनसी कारपोरेशन, जो दक्षिण कोरिया में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने घरेलू बाजार में ***यूएसडॉलर के लिए ***मी.टन संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां भारत को किए गए निर्यातों से तुलना किए जाने पर पर्याप्त मात्राओं में हुई हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए,

प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया की है। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभ अर्जित करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हो, तब घरेलू बिक्री में सभी लेन-देन को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाना है और यदि लाभ अर्जित करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हो, तब केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाना है। हियोसंग टीएनसी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के संबंध में, चूंकि लाभ अर्जित करने वाली बिक्री 80 प्रतिशत से कम है, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभप्रद बिक्री पर विचार किया है। हियोसंग टीएनसी कारपोरेशन ने अंतर्देशीय दुलाई, बीमा, ऋण लागत और बैंक शुल्क, जिसकी अनुमति दी गई है के आधार पर समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने आवश्यक सीमा तक आंकड़ों की जांच की है और उसे स्वीकार किया है। तदनुसार, हियोसंग टीएनसी कारपोरेशन के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

49. हियोसंग टीएनसी कारपोरेशन, दक्षिण कोरिया में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। जांच की अवधि के दौरान, हियोसंग टीएनसी कारपोरेशन ने सीधे भारत को ***यूएसडॉलर के लिए ***मी.टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया। हियोसंग टीएनसी कारपोरेशन ने समुद्री भाड़े, बीमा, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, ऋण लागत, बैंक शुल्क, पोर्ट शुल्क, हवाई भाड़ा और ब्रोकेज के आधार पर समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। तदनुसार, कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. टीके केमिकल कारपोरेशन (टीकेसी)

सामान्य मूल्य

50. जांच की अवधि के दौरान, टीके केमिकल कारपोरेशन, जो दक्षिण कोरिया में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने घरेलू बाजार में असंबंधित पक्षकारों को ***केआरडब्ल्यू के बीजक मूल्य के लिए ***मी.टन संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। घरेलू बिक्रियां भारत को किए गए निर्यातों से तुलना किए जाने पर पर्याप्त मात्राओं में हुई हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया की है। यदि लाभ अर्जित करने वाले लेन-देन कुल बिक्री का 80 प्रतिशत से अधिक हो, तब घरेलू बिक्री में सभी लेन-देन को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना गया है और यदि लाभ अर्जित करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हो, तब केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जाता है। वर्तमान मामले में चूंकि लाभ अर्जित करने वाली बिक्री 80 प्रतिशत से अधिक है तब सभी घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है। टीके केमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य में अंतर्देशीय भाड़ा, पैकिंग खर्च और ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। तदनुसार, टीके केमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

51. टीके केमिकल कारपोरेशन, जो दक्षिण कोरिया में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। जांच की अवधि के दौरान, टीकेसी ने सीधे भारत को ***यूएसडॉलर के लिए ***मी.टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया। यह भी नोट किया जाता है कि टीके केमिकल कारपोरेशन भारत में एक 100 प्रतिशत सहायक कंपनी अर्थात् एसएम टीकेसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। एसएम टीकेसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मूल कंपनी की ओर से केवल संपर्क सेवाएं कर रहा है और वह भारत में या तो संबद्ध वस्तुओं के आयात अथवा बिक्री में शामिल नहीं है। इस कारण से इसने केवल इस सेवा के लिए भारत की शाखा के खर्च का दावा किया है। टीके केमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य ने समुद्री भाड़े, पैकिंग खर्च, पोर्ट हैंडलिंग शुल्क, अंतर्देशीय दुलाई, समुद्री बीमा, ऋण लागत, ब्रोकेज शुल्क, बैंक शुल्क, कमीशन, भारतीय शाखा पर खर्च और शुल्क ड्रा बैंक

के आधार पर समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। तदनुसार, टीके केमिकल कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iii. अन्य उत्पादक का सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

52. दक्षिण कोरिया के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.6 वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

iv. हियोसंग डोंगनई कं. लि., वियतनाम

सामान्य मूल्य

53. जांच की अवधि के दौरान, हियोसंग डोंगनई कं. लि., जो वियतनाम में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है, ने घरेलू बाजार में संबंधित और असंबंधित पक्षकारों को ***यूएसडॉलर के लिए ***मी.टन संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। इसमें से हियोसंग डोंगनई कं. लि. ने अपनी संबंधित कंपनी अर्थात् हियोसंग इंटरनेशनल (एचके) लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से ***मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है जिसने एक पृथक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन हियोसंग डोंगनई कं. लि. के उत्तर के साथ बिक्री, लाभप्रदता के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। चूंकि हियोसंग इंटरनेशनल (एचके) लिमिटेड, हांगकांग द्वारा घरेलू बिक्री हियोसंग डोंगनई कं. लि. द्वारा कुल घरेलू बिक्री का ***प्रतिशत की सीमा तक ही है, प्राधिकारी का यह मत है कि यह उत्पादक की घरेलू कीमत को प्रभावित नहीं करता है। हियोसंग डोंगनई कं. लि. द्वारा की गई घरेलू बिक्रियां भारत को किए गए निर्यातों से तुलना किए जाने पर पर्याप्त मात्राओं में हुई हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जित करने वाली घरेलू बिक्री लेन-देन का निर्धारण करने के लिए व्यापार जांच की सामान्य प्रक्रिया की है। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभ अर्जित करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हो, तब घरेलू बिक्री में सभी लेन-देन को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जा रहा है और यदि लाभ अर्जित करने वाले लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हो, तब केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया जा रहा है। हियोसंग डोंगनई कं. लि. के संबंध में, चूंकि लाभ अर्जित करने वाली बिक्री 80 प्रतिशत से कम है, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ अर्जित करने वाली बिक्री पर विचार किया है। हियोसंग डोंगनई कं. लि. ने अंतर्देशीय ढुलाई, ब्रोकेज, बीमा, ऋण लागत, पैकिंग खर्च और बैंक शुल्क के आधार पर समायोजन का दावा किया है, जिसकी अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने आवश्यक सीमा तक आंकड़ों की जांच की है और उसे स्वीकार किया है। तदनुसार, हियोसंग डोंगनई कं. लि. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

54. हियोसंग डोंगनई कं. लि. जो वियतनाम में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। जांच की अवधि के दौरान, हियोसंग डोंगनई कं. लि. ने भारत को ***यूएसडॉलर के लिए ***मी.टन संबद्ध वस्तु का निर्यात किया। भारत को किए गए निर्यात में से, ***मी.टन का निर्माण हियोसंग डोंगनई कं. लि. द्वारा किया गया था और ***मी.टन का निर्माण संबंधित कंपनी अर्थात् हियोसंग वियतनाम कं. लिमिटेड, वियतनाम द्वारा किया गया था। भारत को किया गया निर्यात या तो सीधे अथवा हियोसंग वियतनाम कं. लिमिटेड, वियतनाम के माध्यम से हुआ है। हियोसंग वियतनाम कं. लिमिटेड, वियतनाम के माध्यम से किया गया निर्यात ***मी.टन है। हियोसंग डोंगनई कं. लि. ने समुद्री भाड़े, बीमा, अंतरदेशीय भाड़े, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, ऋण लागत, बैंक शुल्क, कमीशन, सर्विस शुल्क, पैकिंग खर्च के आधार पर समायोजन का दावा किया है और उसकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा दी गई है। तदनुसार, कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

v. ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम

सामान्य मूल्य

55. जांच की अवधि के दौरान, ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, जो वियतनाम में संबद्ध वस्तु का उत्पादक है, ने संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में *** अमेरिकी डॉलर के *** मी. टन संबद्ध सामानों की बिक्री की है। कुल घरेलू बिक्री में से, ह्योसुंग वियतनाम कं, लिमिटेड ने अपनी संबद्ध कंपनी, ह्योसुंग इंटरनेशनल (एचके) लिमिटेड, हांगकांग के माध्यम से *** मी. टन संबद्ध सामानों की बिक्री की है, जिसने पृथक् उत्तर दायर नहीं किया है लेकिन ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड के उत्तर के साथ बिक्री, लाभप्रदता की सूचना दी है। चूंकि ह्योसुंग इंटरनेशनल (एचके) लिमिटेड, हांगकांग द्वारा घरेलू बिक्री, ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड द्वारा कुल घरेलू बिक्री के ***% की सीमा तक है, इसलिए प्राधिकारी का यह मत है कि इससे उत्पादक की घरेलू कीमत प्रभावित नहीं होती। ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई घरेलू बिक्री भारत को निर्यात की तुलना में पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेनदेनों का निर्धारण करने के लिए सामान्य व्यापार परीक्षण किया। प्राधिकारी ने नोट किया कि यदि लाभप्रद लेनदेन 80% से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्री में सभी लेनदेनों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना जा रहा है और यदि लाभप्रद लेनदेन 80% से कम हैं, तो केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है। ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड के संबंध में, चूंकि लाभप्रद बिक्री 80% से कम है, अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए केवल लाभप्रद बिक्री पर विचार किया है। ह्योसुंग वियतनाम कं, लिमिटेड ने अंतर्देशीय भाड़ा, ब्रोकरेज, बीमा, ऋण लागत, पैकिंग व्यय और बैंक प्रभार के निमित्त समायोजन का दावा किया है जिसकी अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने आवश्यक सीमा तक आंकड़ों की प्रति-जांच की है और इसे स्वीकार किया है। तदनुसार, ह्योसुंग वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

56. ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, जो वियतनाम में संबद्ध सामान का एक उत्पादक और निर्यातक है, ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। जांच की अवधि के दौरान, ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड ने भारत को *** अमेरिकी डॉलर के *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। भारत को निर्यात में से, *** मी. टन का निर्माण ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था और *** मी. टन का निर्माण संबद्ध कंपनी, ह्योसुंग डोंगनाई कं, लिमिटेड, वियतनाम द्वारा किया गया था। भारत को निर्यात या तो सीधे या ह्योसुंग डोंगनाई कंपनी लिमिटेड, वियतनाम के माध्यम से किया जाता है। ह्योसुंग डोंगनाई कंपनी लिमिटेड, वियतनाम के माध्यम से निर्यात *** मी. टन हैं। ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बंदरगाह और अन्य संबंधित खर्चों, ऋण लागत, बैंक प्रभार, कमीशन, सेवा शुल्क, पैकिंग व्यय के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

vi. अन्य उत्पादक

57. वियतनाम के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.7 ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

58. चूंकि ताइवान के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है, अतः प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ताइवान से संबद्ध सामानों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है।
59. संबद्ध देशों के लिए वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, कारखानागत निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (अमे. डॉ./एमटी)	निर्यात कीमत (अमे. डॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (अमे. डॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	रेंज
चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	(50)-(60)
कोरिया गणराज्य	ह्योसुंग टीएनसी कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	0-10
कोरिया गणराज्य	टीके केमिकल कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	0-10
कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	50-60
वियतनाम	ह्योसुंग वियतनाम कं. लि., वियतनाम और ह्योसुंग डोंगनई कं. लि., वियतनाम	***	***	***	***	10-20
वियतनाम	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
ताइवान	कोई भी उत्पादक	-	-	-	-	-

ज. क्षति निर्धारण एवं क्षति की जांच के लिए पद्धति एवं कारणात्मक संपर्क

60. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में काफी कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ होता अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।
61. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में यथा आवश्यक संशोधन के साथ लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में उन क्षति मानदंडों का मूल्यांकन किया है जो नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II के तहत अपेक्षित हैं और यह भी जांच की है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

62. घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- (i) कोरिया गणराज्य से आयातों से क्षति नहीं हुई है क्योंकि कोरिया से संबद्ध सामानों के आयात में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति केवल कोविड-19 के कारण हुई है न कि दक्षिण कोरिया से आयातों के कारण।
- (ii) कोरियाई संघ द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि चीन जन. गण. और ताइवान के विरुद्ध जारी शुल्क भारत में निवेश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- (iii) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से आयातों से कोई क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग यह दर्शाने में विफल रहा है कि उन्हें कीमत या मात्रा में क्षति हो रही है।
- (iv) क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि वे अच्छे चल रहे हैं।
- (v) घरेलू उद्योग के लाभ में बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में बिक्री कीमत में अधिक वृद्धि के कारण सुधार हुआ है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

63. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदगी के कारण, चीन जन. गण. और ताइवान के निर्यातक भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, इन दोनों देशों से आयात की कम मात्रा निस्संदेह सिद्ध करती है कि इन देशों के निर्यातक उचित मूल्य पर घरेलू कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।
- ख. घरेलू उद्योग अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपनी पूरी लागत की वसूली नहीं कर रहा है। संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग पर काफी कीमत दबाव बनाया है। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि निर्यातक बिक्री पश्चात छूट दे रहे हैं।
- ग. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि चूंकि मूल जांच में कारणात्मक संपर्क पहले ही सिद्ध हो चुका है, अतः प्राधिकारी को यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहेगी अथवा बार-बार होगी।
- घ. समग्र रूप से संबद्ध देशों से सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग अभी भी कीमतों के दबाव में है।
- ङ. यह भी अनुरोध किया गया है कि चूंकि चीन जन. गण. से निर्यात की गई मात्रा बहुत ही नगण्य है, अतः उनकी कीमतों पर किसी विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये वास्तविक बाजार कीमतों को नहीं दर्शाती हैं।
- च. यह भी अनुरोध किया गया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग को अपने हानियां कम करने में मदद मिली है। तथापि, संबद्ध देशों से कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण वसूली प्रक्रिया प्राप्त नहीं की जा सकी। इसे ध्यान में रखते हुए, संबद्ध सामानों के आवेदक और अन्य उत्पादकों के लिए शुल्कों का जारी रहना बहुत महत्वपूर्ण है।
- छ. बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच काफी अंतर है, जो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यातकों द्वारा आक्रामक कीमत निर्धारण के कारण भरा नहीं जा सका। इससे हानियां हुई हैं और पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है।
- ज. यह स्थिति स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग पर कीमत के दबाव को दर्शाती है जिसमें यदि वे संबद्ध सामानों का उत्पादन नहीं करते, तो उनकी निर्धारित लागतों में काफी वृद्धि होगी और उनकी हानियों में भी वृद्धि होगी।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जांच का प्रावधान है।
65. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत हो कि यदि उस शुल्क को बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, वह समय-समय पर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए उसे लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है और वह अगली अवधि उस अवधि के बढ़ाए जाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।
66. इस संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने की कार्यवाही पूर्व घरेलू उद्योग को यदि कोई वर्तमान क्षति है, तो उसकी जांच की है।
67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड ह्रास दर्शाएं। कुछ मानदंड ह्रास दर्शा सकते हैं जबकि कुछ नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी है अथवा पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में बार-बार होगी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।
68. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों एवं लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा पिछले अनुवर्ती पैरा में किया गया क्षति विश्लेषण यथातथ्यतः घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन**

69. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में या तो समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। मांग का निर्धारण सभी घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी देशों से आयातों के योग के रूप में किया गया है। संबद्ध सामानों की स्पष्ट मांग/खपत क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है जो निम्नलिखित तालिका से देखी जा सकती है:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	139	111
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध			100	138
कुल घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	220	223
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	14547	15559	13820	2982

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
- चीन से आयात	मी. टन	233	69	13	36
- दक्षिण कोरिया से आयात	मी. टन	3349	2699	3023	2256
- ताइवान से आयात	मी. टन	38	85	-	-
- वियतनाम से आयात	मी. टन	10928	12707	10784	690
अन्य देशों से आयात	मी. टन	2702	2094	2209	1275
कुल आयात	मी. टन	17248	17653	16029	4257
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	121	69
मांग में घरेलू विक्रियों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	182	327
मांग में संबद्ध देशों से आयात का % हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	77	30

70. संबद्ध सामानों की मांग आधार वर्ष में *** मी. टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में *** मी. टन हो गई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण, जांच की अवधि में मांग में गिरावट आई है लेकिन यह एक छोटी घटना है, जो समाप्त हो गई है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आवेदक को अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में मदद मिली है, लेकिन फिर भी संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक है।

ज.3.2. घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत प्रभाव

i. कीमत कटौती

71. कीमत कटौती घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली के साथ आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके निकाली गई है। घरेलू उद्योग ने पीसीएन-वार कटौती का भी विश्लेषण किया है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों और बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पीसीएन-वार पहुंच मूल्य के अनुरूप रखने के लिए मजबूर है। विश्लेषण से, यह देखा जाएगा कि समग्र रूप से संबद्ध देशों से कीमत कटौती जांच की अवधि में सकारात्मक है। पिछले वर्षों में भी पहुंच मूल्य और निवल बिक्री वसूली के बीच अंतर बहुत कम है, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग पर निर्यातकों की कीमतों की बराबरी करने का दबाव था। कीमत कटौती का विवरण नीचे दिया गया है:

	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
चीन जन. गण.					
चीन जन. गण. से पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	347011	366742	379475	834172
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	109	240
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107

	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-479	-976	-12672
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-453	-892	-5271
कीमत कटौती	रेंज	(5) - 5	(5) - 5	(10) - 0	(60) - (50)
वियतनाम					
वियतनाम से पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	353602	373351	347555	326282
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	98	92
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-236	-39	406
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-223	-40	440
कीमत कटौती	रेंज	(5) - 5	(10) - 0	(5) - 5	10-20
दक्षिण कोरीया					
कोरिया गणराज्य से पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	368186	404665	366473	371238
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	100	101
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-223	-92	-13
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-203	-93	-13
कीमत कटौती	रेंज	(10) - 0	(20) - (10)	(10) - 0	(20) - (10)
समग्र रूप में संबद्ध देश					
संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	356463	377515	351724	366430
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	99	103
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***

	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-216	-62	11
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-204	-63	11
कीमत कटौती	रेंज	(5) - 5	(10) - 0	(5) - 5	0-10

72. पीसीएन-वार एक विस्तृत विश्लेषण किया गया था और प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को विभिन्न संयोजनों में कुछ संबद्ध देशों के कुछ इनकार करने वालों के संबंध में कीमत कटौती हुई है। यह भी सिद्ध करता है कि केवल मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के कारण, आयात में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग वर्तमान वसूली प्राप्त करने में सक्षम है जो अभी भी लागत से कम है। घरेलू उद्योग का दृढ़ विश्वास है कि यदि शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो संबद्ध देशों, विशेष रूप से चीन और ताइवान से आयातों में फिर से कई गुना वृद्धि होगी।
73. प्राधिकारी ने यह भी पाया है कि विभिन्न संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विभिन्न पीसीएन का निर्यात किया गया है और इसलिए समेकित आंकड़े घरेलू उद्योग पर सही कीमत दबाव नहीं दर्शाते। अतः, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार विस्तृत विश्लेषण किया है। समेकित आंकड़ों से यह भी पाया गया है कि घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य के (+/-) 5% के दायरे में हैं। यह भी घरेलू उद्योग के अनुरोधों की विश्वसनीयता सिद्ध करता है कि उन्हें संबद्ध देशों से पीसीएन-वार आयातों से मेल खाना होता है। जांच की अवधि के लिए पीसीएन-वार विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

चीन जन. गण./पीसीएन	यूओएम	सी015025	सी025035	सी035045	सी065075	अन्य
विवरण	मी. टन	17	17	0	0	1
आयात मात्रा	लाख रु.	144	133	1	1	6
आयात मूल्य (सीआईएफ)	रु./मी. टन	829,561	767,169	570,621	569,703	579,487
सीआईएफ कीमत	%	5%	5%	5%	5%	5%
सीमा शुल्क (दर)	रु./मी. टन	41,478	38,358	28,531	28,485	28,974
सीमा शुल्क	रु./मी. टन	4,148	3,836	2,853	2,849	2,897
सीमा शुल्क राशि पर उपकर	रु./मी. टन	875,187	809,364	602,005	601,037	611,359
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	426,104	375,675	340,674	349,261	426,104
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	(45)-(35)	(60) - (50)	(40) - (30)	(45) - (35)	(35) - (25)

दक्षिण कोरिया	यूओएम	सी015025	सी025035	सी035045	सी055065	सी065075	अन्य
आयात मात्रा	मी. टन	818	143	573	18	630	74
आयात मूल्य (सीआईएफ)	लाख रु.	3,024	553	1,914	61	2,134	253

सीआईएफ कीमत	रु./मी. टन	369,596	386,485	334,270	333,641	338,925	340,260
सीमा शुल्क (दर)	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
सीमा शुल्क	रु./मी. टन	18,480	19,324	16,713	16,682	16,946	17,013
सीमा शुल्क राशि पर उपकर	रु./मी. टन	1,848	1,932	1,671	1,668	1,695	1,701
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	389,924	407,741	352,655	351,992	357,566	358,975
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	5-15	(10) - 0	(10) - 0	(5) - 0	(10) - 0	15-25

विवरण	यू	सी000015	सी015025	सी035045	सी055065	सी065075	सी075085	सी105115	सी135150
आयात मात्रा	मी. टन	4	139	253	53	198	14	12	18
आयात मूल्य (सीआईएफ)	लाख रु.	14	538	765	155	634	39	43	63
सीआईएफ कीमत	रु./मी. टन	355,985	387,424	303,000	293,004	319,451	288,604	355,985	356,480
सीमा शुल्क (दर)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
सीमा शुल्क	रु./मी. टन	0	0	0	0	0	0	0	0
सीमा शुल्क राशि पर उपकर	रु./मी. टन	0	0	0	0	0	0	0	0
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	355,985	387,424	303,000	293,004	319,451	288,604	355,985	356,480
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	15-25	5-15	5-15	10-20	5-15	5-15	0-10	0-10

समग्र रूप में संबद्ध देश	यूएस	सी000015	सी015025	सी025035	सी035045	सी055065	सी065075	सी075085	सी105115	सी135150	अन्य
आयात मात्रा	मी. टन	4	975	160	825	71	828	14	12	18	75
आयात मूल्य (सीआईएफ)	लाख रु.	14	3,706	686	2,680	215	2,769	39	43	63	259
सीआईएफ कीमत	रु./मी. टन	355,985	380,343	427,747	324,741	303,407	334,288	288,604	355,985	356,480	343,457
सीमा शुल्क (दर)	%	0.00%	4.27%	5.00%	3.57%	1.41%	3.86%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%
सीमा शुल्क	रु./मी. टन	-	16,258	21,387	11,600	4,271	12,888	-	-	-	17,173
सीमा शुल्क राशि पर उपकर	रु./मी. टन	-	1,626	2,139	1,160	427	1,289	-	-	-	1,717
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	355,985	398,227	451,273	337,502	308,105	348,464	288,604	355,985	356,480	362,348
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	15-25	0-10	(20)-(10)	0-10	5-15	0-10	15-25	0-10	0-10	15-25

74. उपर्युक्त पीसीएन-वार विस्तृत विश्लेषण से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को विभिन्न संयोजनों में कुछ संबद्ध देशों के कुछ इनकार करने वालों के विरुद्ध कीमत कटौती हुई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वे संबद्ध देशों से कम कीमत वाले पाटित आयातों के कीमत दबाव के कारण अपनी बिक्री कीमत नहीं बढ़ा पाए।

ii. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

75. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी सीमा तक कम करना है अथवा कीमतों में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य स्थिति में हुई होती, प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
संबद्ध देशों से पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	356,463	377,515	351,724	366,430
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	99	103
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107
लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	92
चीन जन. गण.					
चीन जन. गण. से पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	347,011	366,742	379,475	834,172

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	109	240
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107
लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	92
वियतनाम	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
वियतनाम से पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	353,602	373,351	347,555	326,282
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	98	92
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107
लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	92
दक्षिण कोरिया	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कोरिया गणराज्य से पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	368,186	404,665	366,473	371,238
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	100	101
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107
लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	92

76. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की पहुँच कीमत वर्ष 2018-19 तक बढ़ी। आयातों की पहुँच कीमत में वृद्धि की मात्रा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक थी। वर्ष 2019-20 के दौरान कीमतों में गिरावट आई। तथापि, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में आयातों की पहुँच कीमत में वृद्धि की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अभी भी हानि पर बिक रहा है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग बाजार में अपने सामान की बिक्री करने के लिए आयात कीमत के अनुसार अपनी कीमतों को रख रहा है और इस अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयातों से जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हुआ है।

77. उपर्युक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयातों के कम कीमत वाले पहुँच मूल्य के कारण, घरेलू बिक्री अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उनकी कीमतों के अनुरूप रखने के लिए मजबूर है। चूंकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत घरेलू उद्योग की लागत की तुलना में कम है, अतः यह प्रतिकूल कीमत दबाव को दर्शाता है क्योंकि वे अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग की कीमतें न्यूनीकृत और ह्रासमान हैं।

ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

78. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है

कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों तथा सभी संगत आर्थिक कारकों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग

79. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	157	157	157
उत्पादन - कुल	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	128	96
उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	126	92
कुल उत्पादन के आधार पर क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	82	61
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	139	111

80. घरेलू उद्योग की क्षमता में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि उसने अपनी निर्धारित लागत को कम करने के लिए उच्च स्तर की क्षमता पर उत्पादन करना जारी रखा जो संबद्ध सामानों की कुल बिक्री लागत का लगभग 30% है। इस दृष्टिकोण से कंपनी संबद्ध देशों से कम कीमतों के बावजूद बचाए रख पाई। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यातकों द्वारा आक्रामक कीमत निर्धारण के कारण बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच के अंतर को पाटा नहीं जा सकता। कोविड-19 महामारी के कारण जांच की अवधि में कंपनी के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई। यह भी नोट किया जाता है कि आयातों ने भी मांग की समान प्रवृत्ति अपनाई।
81. आवेदक ने प्रबंधन द्वारा सूचित की गई क्षमता का दावा किया है, जैसा कि लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाया गया है। तथापि, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र में सूचित की गई क्षमता पर विचार किया है।
82. इस जांच में क्षमता उपयोग के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए आवेदक की किस क्षमता पर विचार किया जाना है, इस मुद्दे पर उसी आवेदक और विचाराधीन उत्पाद को शामिल करते हुए प्राधिकारी द्वारा की गई एक अन्य पाटनरोधी जांच में भी विस्तार से चर्चा की गई थी। वह पाटनरोधी जांच सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" के आयात के संबंध में थी। उस जांच में, अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना 28 सितंबर, 2021 को जारी की गई थी। उस जांच में, घरेलू उद्योग ने क्षतिरहित कीमत का परिकलन करते समय कुछ खर्चों की क्षमता, उत्पादन, पुनर्समूहीकरण/अस्वीकृति के संशोधन के संबंध में तर्क दिया था और प्राधिकारी ने नोट किया था कि क्षतिरहित कीमत में लागत के प्रत्येक तत्व के साथ-साथ अनुकूलन के लिए विचार की गई क्षमता को आवेदक घरेलू उद्योग को दिनांक 27 अगस्त, 2021 के ईमेल के

माध्यम से प्रकट किया गया था। क्षमता के संबंध में, घरेलू उद्योग ने उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी संस्थापित क्षमता के संबंध में दिनांक 11.10.2018 का प्रमाण-पत्र और घरेलू उद्योग के निदेशक बोर्ड दिनांक 05.09.2016 का अनुमोदन उपलब्ध कराया था। इंडोरामा इंडस्ट्रीज की वेबसाइट (<https://www.indorama.com/affiliated-companies/indorama-industries-limited>) पर भी *** मी. टन की संस्थापित क्षमता का उल्लेख किया गया था। अतः, क्षतिरहित कीमत में *** मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता मानी गई थी। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि प्राधिकारी को इन उपर्युक्त दस्तावेजों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी बड़ी हुई संस्थापित क्षमता भिन्न धारणाओं पर आधारित है और इसकी वास्तविक संस्थापित क्षमता भिन्न है। घरेलू उद्योग ने बाद में 10 अगस्त, 2021 का बोर्ड संकल्प भी प्रस्तुत किया था, जिसमें *** मी. टन की प्राप्य और व्यावहारिक क्षमता बताई गई थी। घरेलू उद्योग से कई बार सहायक दस्तावेज जैसे आंतरिक परियोजना रिपोर्ट, किसी अन्य प्राधिकारी को प्रस्तुत क्षमता साक्ष्य, किसी बैंक को प्रस्तुत तृतीय पक्षकार परियोजना रिपोर्ट, विभिन्न अनुमानों के लिए तकनीकी साक्ष्य और अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। तथापि, घरेलू उद्योग कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कर पाया। तदनुसार, उद्योग विभाग (हिमाचल प्रदेश सरकार) द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित और घरेलू उद्योग के अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन द्वारा समर्थित क्षमताओं पर सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों और नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार एनआईपी निकालने के लिए विचार किया गया था।

83. अतः, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भी, एनआईपी निकालने में *** मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता पर विचार किया गया है।

ii. बाजार हिस्सा

84. तथाकथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

बाजार हिस्सा	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	121	69
घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	182	327
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	77	30
अन्य देश	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	67	67

85. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग/स्पष्ट खपत वर्ष 2019-20 तक बढ़ी है। तथापि, जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में वृद्धि हुई क्योंकि कोविड महामारी के कारण आयात प्रतिबंधित थे। घरेलू उद्योग का दावा है कि केवल कम कीमत के आयातों के कारण आयातित सामानों को उनके सामानों की तुलना में तरजीह दी जाती है।

iii. मालसूची

86. घरेलू उद्योग की मालसूची की जांच निम्नलिखित रूप में की गई है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	103	71

87. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तर में वर्ष 2019-20 तक वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान मालसूची में गिरावट आई।

iv. लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ

88. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
विक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	139	111
विक्री मूल्य (लाख रु.)	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	139	119
विक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	100	107
एडीडी के बिना पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	356,463	377,515	351,724	366,430
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	106	98	99
पाटनरोधी शुल्क (औसत)	रु./मी. टन	21,456	22,655	21,488	12,771
एडीडी सहित पहुँच मूल्य	रु./मी. टन	377,919	400,170	373,212	379,202
लागत	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	119	103
लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	86	92
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(77)	(11)	(12)
प्रति यूनिट लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(66)	(8)	(11)
मूल्यहास	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	137	135
मूल्यहास	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	108	143
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	56	350	344
नकद लाभ	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(3)	141	187
नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	102	96
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(84)	(11)	(12)

89. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण घरेलू उद्योग वसूली की राह पर है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों के विरुद्ध शुल्क लगाए जाने के बाद अपनी क्षमता में वृद्धि की है, क्योंकि चीन जन. गण. और ताइवान से पाटित आयातों में कमी आई है। यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 में घरेलू उद्योग की हानियां कम हुई हैं। तथापि, वे जांच की अवधि में फिर से बढ़ गई हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि वर्ष 2018-2019 में अधिक हानियां कच्ची सामग्री की अधिक कीमतों के कारण हुई थीं, जिन्हें उद्योग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने ग्राहकों पर नहीं लगा सकता था कि संबद्ध देशों से आयात कीमतों ने कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप उनकी कीमतें बढ़ाने से उन्हें नहीं रोका। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को लाभप्रद स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं है। तालिका दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह अनिवार्य रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयातों के बहुत कम कीमतों पर आने के कारण है जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इससे उन्हें क्षति हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की प्रति मीट्रिक टन लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ और व्याज पूर्व लाभ भी प्रभावित हुए।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

90. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है:

वर्ष	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	128	96
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	106	108
उत्पादन/कर्मचारी	मी. टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	118	87
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	127	118
मजदूरी/कर्मचारी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	120	109

91. नीचे दी गई तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, अपनी लागत को कम करने और बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में प्रति कर्मचारी मजदूरी में गिरावट आई।

vi. पाटन की मात्रा

92. पाटन की मात्रा इस बात का सूचक है कि भारत में आयात किस मात्रा तक पाटित किये जा रहे हैं और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। चीन जन. गण. को छोड़कर संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

vii. वृद्धि

93. उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभ, व्याज पूर्व लाभ, नियोजित पूंजी पर आय जैसे मानदंडों का विश्लेषण किया गया।

viii. नए निवेश जुटाने की क्षमता

94. आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता विगत में पाटित आयातों से प्रभावित हुई है और अन्य उत्पादकों द्वारा देश में किए जा रहे काफी पूंजी निवेश को देखते हुए, पाटित आयातों के विरुद्ध संरक्षण आवश्यक है।

ix. क्षति संबंधी टिप्पणियां

95. वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सुधार हुआ है। तथापि, संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों के कारण उन्हें अभी पूरी तरह से उबरना है। संबद्ध आयातों की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि ह्योसुंग इंडिया ने उत्पादन शुरू कर दिया है और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के साथ, चीन और ताइवान के निर्यातक भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री और बाजार हिस्से में गिरावट पूरी तरह से आयातों के कारण नहीं है, और कोविड-19 महामारी के कारण भी है, परंतु यह अस्थायी है और इसमें धीरे-धीरे सुधार होगा। यह तथ्य कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य समग्र रूप से अभी भी घरेलू उद्योग की लागत और उनकी बिक्री कीमत से कम है, स्पष्ट संकेत देता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण है।

x. क्षति मार्जिन की मात्रा

96. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्चों को उत्पादन लागत से अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
97. पहुंच कीमत और उपर्युक्त निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

देश	उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी (अमे. डॉ./एमटी)	पहुँच मूल्य (अमे. डॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन (अमे. डॉ./एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	रेंज
चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	(40)-(50)
कोरिया गणराज्य	ह्योसुंग टीएनसी कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	(30)-(40)
कोरिया गणराज्य	टीके केमिकल कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य	***	***	***	***	10-20
कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	20-30
वियतनाम	ह्योसुंग वियतनाम कं. लि., वियतनाम और ह्योसुंग डोंगनई कं. लि., वियतनाम	***	***	***	***	30-40
वियतनाम	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50
ताइवान	कोई भी उत्पादक	-	-	-	-	-

झ. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोप्य विश्लेषण

98. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करने की आवश्यकता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या जिनसे क्षति होने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संपर्क की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या होने की संभावना है। इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं या उनके योगदान करने की संभावना है।
99. यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात कारकों से क्षति नहीं हुई है, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जाता है:
- संबद्ध देश को छोड़कर अन्य स्रोतों से संबद्ध सामानों के आयात न्यूनतम या गैर-पाटित या पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं।
 - जांच की अवधि के दौरान वह भी कोविड-19 महामारी के कारण, को छोड़कर भारत में विचाराधीन उत्पादों की मांग में कोई संकुचन नहीं है।
 - विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अतः, खपत के पैटर्न में परिवर्तनों को यह नहीं माना जा सकता है कि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
 - ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है, जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सके।
 - संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी के विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है।
 - प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। अतः, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

100. क्षति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- (i) आवेदक यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि शुल्क की समाप्ति भविष्य में क्षति में बदल जाएगी।
- (ii) भारतीय बाजार की कोई मूल्य आकर्षकता नहीं है। प्रयोक्ता भारतीय उत्पादकों से खरीदना पसंद करते हैं और केवल कुछ विशिष्ट ब्रांडों का आयात किया जा रहा है।
- (iii) प्रतिभागी निर्यातकों के पास कोई अधिशेष क्षमता नहीं है।
- (iv) निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुबंध-II में सूचीबद्ध खतरे के मापदंडों की जांच अनिवार्य रूप से आवश्यक है। प्राधिकारी ने कुछ रबड़ रसायनों और सोडियम नाइट्राइट की निर्णायक समीक्षा जांच में इसकी जांच की है।
- (v) घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है जिसे निर्यातकों पर नहीं डाला जा सकता। यह तर्क कि निर्यातक को यह सिद्ध करना चाहिए कि निरंतर पाटन संभावना नहीं है, औचित्य से परे है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

101. क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- (i) घरेलू उद्योग को अभी भी संबद्ध देशों से पाटित आयातों से क्षति हो रही है। यह अपने आप में पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने के लिए एक अच्छा संकेतक है। यहां तक कि दुनिया भर में अन्य जांच प्राधिकारी भी पाटित आयातों के कारण वर्तमान क्षति को पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने के लिए एक सशक्त आधार मानते हैं।
- (ii) शुल्क लगाए जाने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा इन आयातों में कीमत कटौती के बाद आयातों में गिरावट शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना दर्शाती है और यह अपने आप में पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का औचित्य सिद्ध करती है।
- (iii) शुल्क लगाए जाने के बाद, ह्योसुंग कॉर्पोरेशन (कोरियाई उत्पादक) ने बढ़ती भारतीय मांग को पूरा करने के लिए भारत में अपना प्रचालन शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि भारतीय बाजार कितना महत्वपूर्ण है, अगर इस स्तर पर संबद्ध देशों से शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो न केवल आवेदक का निवेश, बल्कि ह्योसुंग इंडिया (भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र अन्य उत्पादक) का निवेश जोखिम में होगा।
- (iv) भारतीय बाजार की आकर्षकता के संदर्भ में, यह अनुरोध किया जाता है कि उच्च विकास संभावनाओं के कारण, भारत संबद्ध देशों के लिए संबद्ध सामानों का प्रमुख बाजार है।
- (v) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीनी उत्पादकों के लिए पसंदीदा निर्यात लक्ष्य के मामले में भारत छोटे स्थान पर है। यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत से आगे के देशों के पास चीनी बिक्री को पूरी तरह से खपत करने के लिए पर्याप्त मांग नहीं है। चूंकि भारत में चीनी निर्यात का खपत करने की क्षमता है, अतः इस समय किसी भी शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में आयात का वर्तमान स्तर निस्संदेह बढ़ जाएगा।
- (vi) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन स्पैन्डेक्स उद्योग आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौजूदा क्षमता 872,000 मीट्रिक टन है, जो भारतीय मांग का ** गुना है। यह भी अनुरोध किया गया है कि चीनी उत्पादक भी 120,000 मी. टन की नई क्षमता में वृद्धि करने वाले हैं जो भारतीय मांग का लगभग

- 8 गुना है। मांग में वृद्धि के बाद, चीनी क्षमता लगभग ** गुना होगी जो कि पर्याप्त है और भारतीय बाजार को बर्बाद कर सकती है, जो पाटनरोधी शुल्क के माध्यम से संरक्षित है।
- (vii) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन में स्पैन्डेक्स संयंत्र की प्रचालन दर बढ़ी है और वर्ष 2020 में 83% से बढ़कर वर्ष 2021 में 95% तक होने की उम्मीद है। क्षमता और प्रचालन दर में वृद्धि से, चीनी निर्यात 24% तक बढ़ने की संभावना है। इस समय, यदि शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो भारतीय बाजार पर चीनी निर्यात का कब्जा हो जाएगा। अतः, शुल्क बढ़ाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है।
- (viii) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उपर्युक्त के अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि वर्ष 2022 तक चीन में लगभग 112,000 मीट्रिक टन (232,000-120,000) क्षमता भी जोड़ी जाने वाली है। क्षमता में यह वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यदि इस स्तर पर पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो यह भारतीय उद्योग के वर्तमान और भविष्य के निवेश के लिए हानिकारक होगा।
- (ix) वियतनाम के मामले में, भारतीय, वियतनामी उत्पादकों के लिए पसंदीदा निर्यात लक्ष्य के मामले में तीसरे स्थान पर हैं।
- (x) इसी तरह, दक्षिण कोरियाई उत्पादकों के लिए पसंदीदा निर्यात लक्ष्य के मामले में भारत 5वें स्थान पर है।
- (xi) ताइवान से किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है। तथापि, व्यापार मानचित्र के आंकड़ों के आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं। अतः, ताइवान भी भारत के लिए निर्यात आकर्षण है।
- (xii) चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के निर्यात के लिए भारत 10वें स्थान पर है। अन्य संबद्ध देशों की तुलना में यह कम प्रतिशत भी शुल्कों के कारण है और यदि शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो संबद्ध सामान फिर से भारतीय बाजार में आ जाएंगे। यहां तक कि कोरियाई निर्यातकों और उनके एसोसिएशनों ने भी चीन जन. गण. पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।
- (xiii) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि व्यापार मानचित्र की रिपोर्टों के अनुसार संबद्ध देशों से काफी अप्रयुक्त निर्यात क्षमता है। अतः, यदि संबद्ध देशों के विरुद्ध शुल्क जारी नहीं रखे जाते हैं, तो संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक भारत को अपने निर्यात में वृद्धि करेंगे।

ब.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

102. समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि क्या संबद्ध सामान पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आ रहे हैं अथवा आने की संभावना है और यदि हटाए जाते हैं तो क्या इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
103. प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इस जांच का जोर निरंतर पाटन और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, भले ही कोई वर्तमान क्षति न हो। इसके लिए इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क क्षतिकारक पाटन को समाप्त करने के इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है।
104. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क समाप्ति की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।
105. इस तरह का संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II(vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों में निर्धारित अपेक्षा तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच की है। नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, यथा:

- (i) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर जो कि पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाती है;
- (ii) किसी भी अतिरिक्त निर्यात को खपाने करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यात की संभावना को दर्शाते हुए, निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटानयोग्य, अथवा आसन्न, पर्याप्त वृद्धि;
- (iii) क्या आयात कम कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा हासमान प्रभाव होगा, और संभावित रूप से आगे के आयातों की मांग बढ़ेगी; तथा
- (iv) वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।
106. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने उन अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जो घरेलू उद्योग को पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने और परिणामी क्षति की संभावना को प्रभावित करते हैं।
107. जहां तक सहकारी विदेशी उत्पादकों के अपनी क्षमताओं और निर्यातों के संबंध में तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि संभाव्यता विश्लेषण संबद्ध देशों के लिए भी किया जाना चाहिए, न कि केवल उन देशों में अलग-अलग उत्पादकों के लिए। इसलिए, उत्तरदाता निर्यातक द्वारा दी गई सूचना के अलावा प्राधिकारी ने सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संचयी रूप से निर्यातक देश के लिए सूचना पर भी विचार किया है।

क. संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन को छोड़कर, लागू शुल्कों के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन जारी है क्योंकि उनकी मात्राएं बहुत कम हैं और कीमतें प्रतिनिधिकारक नहीं हैं।
109. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि केवल उच्च पाटनरोधी शुल्क के कारण ही चीन और ताइवान के निर्यातक भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करने में सक्षम नहीं हैं। प्रत्येक संबद्ध देश के शुल्कों को नीचे तालिका में दिया गया है:

आयातक देश	पाटनरोधी शुल्क*		आयात मात्रा
	डॉलर/कि.ग्रा.	रु./कि.ग्रा.	मी. टन
वियतनाम	0.36*	26.6	690
कोरिया	0.15*	11.1	2256
चीन	3.44*	254.6	36
ताइवान	2.50*	185.0	0

* संबंधित देश से उच्च शुल्क

110. उपर्युक्त से, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात की मात्रा सीधे उन पर लगाए गए शुल्कों के अनुपात में है। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि विचाराधीन उत्पाद एक वस्तु उत्पाद है, अतः कीमतों में मामूली परिवर्तन, ग्राहकों के खरीद निर्णय को बदल देता है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क दक्षिण कोरिया के विरुद्ध सबसे कम है, अतः आयात वहां से सबसे अधिक थे। इसके अतिरिक्त, चीन और ताइवान से अधिक शुल्क के कारण, इन दोनों देशों से आयात नगण्य हैं। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि शुल्क के अभाव में, संबद्ध सामानों के पाटन में वृद्धि होने की संभावना है, और उनसे भारत में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है।
111. यह भी नोट किया जाता है कि चीन में ऐसे अन्य उत्पादक हैं जिन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। यहां तक कि जिस उत्पादक ने चीन से भाग लिया है, उसने भी पीसीएन वार पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं और इस प्रकार इसके आंकड़ों को अस्वीकार कर दिया गया है। चीन से गैर-प्रतिनिधिकारक मात्रा और असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी के लिए चीन से संबद्ध सामानों की उचित कीमतों का पता लगाना मुश्किल है।

ख. संबद्ध देशों की अप्रयुक्त निर्यात क्षमता

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से अप्रयुक्त निर्यात क्षमता के साक्ष्य जोड़े हैं। रिकॉर्ड में दी गई सूचना इस प्रकार है:

विवरण	यूओएम	निर्यात संभावना	वर्तमान निर्यात	न खोजी गई संभावनाएं	न खोजी गई संभावनाएं %
चीन	अमे. डॉ.	21400000	5500000	15900000	74%
दक्षिण कोरिया	अमे. डॉ.	788200	13100	775100	98%
ताइवान	अमे. डॉ.	708700	306000	402700	57%
वियतनाम	अमे. डॉ.	1000000	85000	915000	92%

113. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं उपर्युक्त सूचना समग्र रूप से इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न (ईएफवाई) के लिए है, न कि विचाराधीन उत्पाद के लिए जैसा कि परिभाषित किया गया है। अतः, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से ईएफवाई के समग्र उत्पादन के लिए विचाराधीन उत्पाद का विश्लेषण कर इस सूचना की उपयुक्तता की जांच की।

विवरण	कुल उत्पादन (मी. टन में) जांच की अवधि	विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन (मी. टन में) जांच की अवधि	विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का %	विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का % रेंज
घरेलू उद्योग	***	***	96.66%	90-100%
ह्योसुंग टीएनसी, कोरिया	***	***	58.52%	55-65%
टी के केमिकल्स, कोरिया	***	***	99.60%	90-100%
ह्योसुंग डोंगनाई, वियतनाम	***	***	100.00%	90-100%
ह्योसुंग वियतनाम, वियतनाम	***	***	84.77%	80-90%
चुआंगलाई फाइबर (फोशान) कं, लिमिटेड, चीन	***	***	100.00%	90-100%
कुल	***	***	84.43%	80-90%

114. उपर्युक्त से, यह नोट किया जाता है कि ईएफवाई के कुल उत्पादन का लगभग 80-90% विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के कारण होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, निर्यात क्षमता के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को उचित पाया गया है और इस प्रकार प्राधिकारी द्वारा संभावित जांच के लिए स्वीकार किया गया है।

ग. संबद्ध देशों के पास मुक्त रूप से मौजूद निपटानयोग्य क्षमताएं और उनको निर्यातोन्मुखता

115. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमता को दर्शाती है।

विवरण	कुल क्षमता	अधिशेष	वर्तमान	निर्यातोन्मुखता	निर्यातोन्मुखता
-------	------------	--------	---------	-----------------	-----------------

		क्षमता	निर्यात		रेंज
ह्योसुंग टीएनसी	***	***	***	42%	40-50%
टी के केमिकल्स	***	***	***	88%	80-90%
कोरिया	***	***	***	64%	60-70%
ह्योसुंग डोंगनाइ	***	***	***	83%	80-90%
ह्योसुंग वियतनाम	***	***	***	67%	65-75%
वियतनाम	***	***	***	73%	70-80%
चुआंगलाई फाइबर (फोशान) कं, लि.	***	***	***	56%	50-60%

116. चीन के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि चीन में वर्तमान क्षमता, अर्थात् 872000 मीट्रिक टन भारत में मांग के *** गुना से अधिक है।

घ. उत्पादन क्षमताओं में आसन्न महत्वपूर्ण विस्तार

117. घरेलू उद्योग ने क्षमताओं के विस्तार के बारे में सूचना प्रदान की है, जो दर्शाता है कि वर्ष 2022 तक चीन जन. गण. में क्षमता 232000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष बढ़ने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि औसत क्षमता विस्तार लगभग 116000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक हो जाएगा, जो कि जांच की अवधि के दौरान भारतीय मांग के लगभग *** गुना है। इसके अतिरिक्त, चीनी उत्पादकों के पास पहले से ही अधिशेष क्षमताएं हैं। घरेलू उद्योग ने चीन में स्पैन्डेक्स संयंत्र की प्रचालन दर वर्ष 2020 में 83% से वर्ष 2021 में 95% तक बढ़ने का संकेत देते हुए आंकड़े भी प्रदान किये हैं।

ड. ताइवान से संभावित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है

118. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ताइवान के किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है, क्योंकि वे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह नोट किया जाता है कि यही कारण है कि वे भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं कर रहे हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने गौण स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर संभावित पाटन और क्षति के बारे में सूचना प्रदान की है। आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि काफी भी है, जो ताइवान से पाटित और क्षतिकारक आयातों में वृद्धि की प्रबल संभावना को दर्शाता है।

संभावित पाटन और क्षति मार्जिन परिकलन

विश्व को ताइवान के निर्यात	कि.ग्रा.	603911
एफओबी मूल्य	अमे. डॉ.	1519000
एफओबी दर	अमे. डॉ./कि.ग्रा.	2.52
घटाएं: एफओबी के 5% की दर से अंतर्देशीय भाड़ा	अमे. डॉ./कि.ग्रा.	0.13
घटाएं: एफओबी के 1% की दर से पत्तन प्रभार	अमे. डॉ./कि.ग्रा.	0.03
निवल निर्यात कीमत	अमे. डॉ./कि.ग्रा.	2.36
निर्मित सामान्य मूल्य	अमे. डॉ./कि.ग्रा.	3.768
पाटन मार्जिन	अमे. डॉ./कि.ग्रा.	1.40

पाटन मार्जिन	%	59%
पाटन मार्जिन	रेंज	55-65
विश्व को ताइवान के निर्यात	कि. ग्रा.	603911
एफओबी मूल्य	अमे. डॉलर	1519000
एफओबी दर	अमे. डॉ./कि.ग्रा.	2.52
एफओबी दर	अमे. डॉ./मी. टन	2515
समुद्री भाड़ा	अमे. डॉ./मी. टन	98.8
एफओबी के 5% की दर से बीमा	अमे. डॉ./मी. टन	13
पहुँच मूल्य	अमे. डॉ./मी. टन	2,627
क्षति रहित कीमत	अमे. डॉ./मी. टन	5,915
क्षति मार्जिन	अमे. डॉ./मी. टन	3,289
क्षति मार्जिन	अमे. डॉ./मी. टन	125%
क्षति मार्जिन	रेंज	110-120

च. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

119. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, संबद्ध देशों से निर्यात भारत में बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय बाजार में अपने उत्पादन का चैनल बनाएगा करेगा। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- क. शुल्क लगाए जाने के बाद, ह्योसुंग कॉर्पोरेशन (कोरियाई उत्पादक) ने बढ़ती भारतीय मांग को पूरा करने के लिए भारत में अपना प्रचालन शुरू कर दिया है। यदि इस स्तर पर संबद्ध देशों से शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो न केवल आवेदक का निवेश, बल्कि ह्योसुंग इंडिया (भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र अन्य उत्पादक) का निवेश जोखिम में होगा। इसके अतिरिक्त, भारत में भावी जांच भी रोक दी जाएगी।
- ख. भारतीय बाजार की आकर्षकता के संदर्भ में, यह अनुरोध किया जाता है कि उच्च विकास संभावनाओं के कारण, भारत संबद्ध सामानों का प्रमुख बाजार है।
- ग. गौण स्रोत के आंकड़ों के आधार पर, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार की तरजीह का साक्ष्य है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि इस स्तर पर पाटनरोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो निर्यात लक्ष्य के रूप में भारत की रैंकिंग और बढ़ जाएगी।
 - (i) चीनी उत्पादकों के लिए पसंदीदा निर्यात लक्ष्य के मामले में भारत छोटे स्थान पर है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारत से आगे के देशों के पास चीनी बिक्री को पूरी तरह से खपत करने के लिए पर्याप्त मांग नहीं है। चूंकि भारत में भारी मांग के कारण चीनी निर्यातों की खपत करने की क्षमता है, अतः इस समय शुल्क हटाने से भारतीय उत्पादकों की स्थिति बिगड़ जाएगी।
 - (ii) दक्षिण कोरियाई उत्पादकों के लिए पसंदीदा निर्यात लक्ष्य के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इसी प्रकार, ताइवान के लिए भी भारत निर्यात के लिए आकर्षक है। भारत संबद्ध सामानों के निर्यात के लिए 10वें स्थान पर है यह कम प्रतिशत शुल्क भी के कारण है और यदि शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो भारत की रैंकिंग पसंदीदा निर्यात लक्ष्य के रूप में और ऊपर जाएगी।

(iii) वियतनामी उत्पादकों के लिए पसंदीदा निर्यात लक्ष्य के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है।

ट. प्रकटन पश्चात अनुरोध

120. प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हो गए हैं, और यह नोट किया जाता है कि इनमें उठाए गए अधिकांश मुद्दे दोहराए गए हैं और उन्हें पहले ही उठाए जा चुका है तथा उपयुक्त रूप से हल भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

121. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. यह कि चूंकि डी जी टी आर ने अपने प्रक्रिया भाग में भी पीसीएन या पीसीएन संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को भेजे गए किसी पत्राचार के बारे में कोई उल्लेख भी नहीं किया था जबकि हाल की जांचों में प्राधिकारी ने पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत करने का निदेश जारी किया है। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि डीजीटीआर का इरादा कभी भी पीसीएन जारी करने का नहीं था।
- ख. सीएफएफ और एसजीपी ने यह भी बताया है कि उन्होंने अपने विभिन्न अनुरोधों में डीजीटीआर से अनुरोध किया है कि यदि प्राधिकारी पीसीएन संबंधी सूचना मांगते हैं तो वह प्रदान की जाएगी। चूंकि डीजीटीआर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सत्यापन प्रक्रिया के दौरान भी प्राधिकारी को वह प्रदान नहीं की गई है। प्राधिकारी ने पीसीएन वार सूचना नहीं मांगी थी। अतः पीसीएन वार आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने पर सीएफएफ और एसजीपी को अस्वीकार करना पूर्णतः गलत और अवैध है।
- ग. यह कि निर्यातकों द्वारा उत्पादित और निर्यातित लायक्रा® उत्पाद पेटेंटशुदा प्रक्रियाओं के जरिए विनिर्मित अद्वितीय उत्पाद होते हैं, जिन्हें अनेक बौद्धिक संपदा पंजीकरणों के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। निर्यातकों ने अपने प्रारंभिक और लिखित अनुरोधों में ऐसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के विस्तृत साक्ष्य भी प्रदान किए हैं और इसलिए लाइक्रा को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- घ. यह कि चूंकि घरेलू उद्योग ने पेटेंटशुदा उत्पाद और वाणिज्यिक रूप से उच्चतर कीमतों के आधार पर सिंगापुर के विरुद्ध जांच में लाइक्रा को उत्पाद के दायरे से बाहर रखने का दावा स्वयं किया है। इसलिए वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भी इसे बाहर रखा जाना चाहिए। यह भी अनुरोध किया गया है कि चूंकि प्राधिकारी अपनी नियम पुस्तिका में यथा इंगित और हाल के जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाटी के अनुसार निर्णायक समीक्षा में विचारधीन उत्पाद के दायरे को सीमित कर सकते हैं, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से लाइक्रा को बाहर रखने हेतु समान सिद्धांतों की मांग की जाती है।
- ड. यह कि प्राधिकारी को ए डी डी को जारी रखने का कोई निर्धारण करने से पहले प्रयोक्ता उद्योग के जनहित को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए।
- च. प्रयोक्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि वे अन्य निर्यातक द्वारा विनिर्मित क्रेओरा उत्पाद खरीद रहे हैं क्योंकि घरेलू उद्योग क्रेओरा ब्रांड ही नहीं बनाता है और इसलिए इसे बाहर रखा जाना चाहिए।
- छ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में एच आई पी एल के दर्जे के संबंध में कोई समुक्ति नहीं है। चूंकि प्राधिकारी ने पूर्व में ऐसे उत्पादकों को भी घरेलू उद्योग माना है जो निर्यातकों/आयातकों से संबंधित हों, या स्वयं आयातक हों। इसलिए डी जी टी आर को एचआईपीएल को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में शामिल करना चाहिए।
- ज. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी ने यह नहीं बताया है कि क्या घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना के अधीन अपने दायित्व को पूरा किया है अथवा नहीं यह दर्शाता है कि उनकी सूचना प्रारूप के अनुसार नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपने दायित्व के निवर्हन में विफल हुआ है क्योंकि याचिका में पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है।

- झ. यह कि प्राधिकारी को डी जी सी आई एंड एस आयात आंकड़े देते समय माननीय सेस्टेट के निर्णय का पालन नहीं करने के कारण उपलब्ध कराने चाहिए।
- ञ. यह कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और क्षति संबंधी सभी मापदंडों में सुधार हो रहा है। अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को न तो कोई क्षति हुई है और न ही क्षति होने की कोई संभावना है।
- ट. यह कि पीयूसी के उत्पादन और सी एफ एफ समूह के कुल उत्पादन के संबंध में प्राधिकारी की समुक्ति गलत है, क्योंकि लाइक्रा पीयूसी नहीं है और ये केवल लाइक्रा का उत्पादन कर रहे हैं।
- ठ. कोरिया गणराज्य और वियतनाम से निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि भारतीय बाजार में आपूर्ति और मांग का घरेलू उद्योग की स्थिरता के लिए चीन जन.गण. पर मौजूदा शुल्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यदि चीन जन.गण. से अधिशेष क्षमताओं का भारत में निर्यात होता है तो न केवल भारतीय उत्पादकों बल्कि अन्य निर्यातकों के लिए भी भारत का बाजार प्रतिकूलतः प्रभावित होगा।
- ड. कोरिया से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, चूंकि ह्योसंग ने भारत में भारी निवेश किया है, इसलिए कोरियाई आयातों से क्षति का खतरा सीमित होगा।
- ढ. ह्योसंग टीएनसी ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा जांच में अपने ऋणात्मक शुल्क जारी रखने चाहिए। उन्होंने कोरिया गणराज्य और वियतनाम से अन्य उत्पादकों के साथ यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने लाइक्रा को बाहर रखने के अनुरोध को अस्वीकार करके ठीक किया है क्योंकि घरेलू उत्पादक समान वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और बाजार में आपूर्ति भी कर रहे हैं। इसके अलावा, प्रयोक्ता आयातक वस्तु और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि लाइक्रा को बाहर नहीं किया जा सकता है। ह्योसंग ने भी बताया है कि यदि प्राधिकारी लाइक्रा को बाहर रखने के अनुरोध को स्वीकार करते हैं तो उनके ब्रांड क्रेओरा को भी उन्हीं सिद्धांतों पर दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।
- ण. यह कि इस तथ्य के अनुसार, वियतनाम से पीयूसी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी वियतनाम से पीयूसी के केवल ज्ञात निर्यातक हैं और प्रतिवादी आगामी महीनों में भारत को पीयूसी के निर्यात बंद करने का इरादा रखते हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रतिवादियों की संबंधित कंपनी ह्योसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एच आई पी एल) और भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादक ने पूर्ण विनिर्माण क्षमताएं प्राप्त करने की योजना बनाई और भारत में सभी प्रकारों और किस्मों के अच्छी गुणवत्ता के पीयूसी प्रयोक्ता उद्योग को प्रदान करने का इरादा रखते हैं। प्रतिवादियों के निर्यात केवल अंतर पाटने की व्यवस्था है ताकि भारत में अंतिम प्रयोक्ताओं को पीयूसी की आपूर्ति सुनिश्चित हो, क्योंकि एचआईपीएल अपने प्रचालनों के बिल्कुल आरंभिक स्तर में अभूतपूर्व कोविड प्रतिबंधों के कारण उत्पादन करने में असमर्थ है। इस प्रकार, वियतनाम से पाटन की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा निर्यात आगामी महीनों में समाप्त होने की उम्मीद है। तथापि, चीन, ताइवान और अन्य कोरियायी उत्पादकों के विरुद्ध शुल्क जारी रखने चाहिए।
- त. यह कि एडीडी को चीन जन.गण., ताइवान और टीके कैमिकल कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य ("टीकेसीसी") से आयातित पीयूसी पर बढ़ाए जाने की जरूरत है क्योंकि चीन जन.गण., ताइवान और टीकेसीसी, कोरिया गणराज्य से पीयूसी के आयातों के कारण पीयूसी के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और परिणामी वास्तविक क्षति होने की प्रबल संभावना है।
- थ. यह कि भारतीय पाटनरोधी कानून कार्यवाह के अनुसार, पाटनरोधी जांच में डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में रोजगार पर ए डी डी के संभावित प्रभाव की जांच करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह भी नोट किया जाए कि जनहित का मुद्दा बहु-आयामी होता है और इसमें घरेलू उत्पादकों की चिंताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना प्रयोक्ताओं के हितों के विरुद्ध नहीं होगा क्योंकि इसका प्रभाव अत्यंत अल्प है।

- द. यह कि अपेक्षित पीसीएन-वार सूचना, प्रदान करने में विफल होकरसीएफएफ और लायक्रा क़पनी ने अलग-अलग पीसीएन-वार पाटन और क्षति विश्लेषण करने में प्राधिकारी को असमर्थ बना दिया है और इस प्रकार उनके उत्तर त्रुटिपूर्ण हैं और उनके उत्तर को अस्वीकार करना न्यायोचित है। चूंकि अन्य निर्यातकों ने पूरी पीसीएन-वार सूचना दी है, इसलिए सीएफएफ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को स्वीकार करना उन उत्पादकों के प्रति अनुचित और भेदभावपूर्ण होगा, जिन्होंने समय सीमा के भीतर पूरी सूचना प्रदान की है।
- ध. यह कि चीन जन.गण. से ऋणात्मक क्षति मार्जिन अप्रासंगिक है क्योंकि एडीडी की अवधि बढ़ाई जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति संभावना पर निर्भर करता है। चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी निर्यातक ने जांच में पूरी तरह भाग नहीं लिया है और उनकी क्षमता और अधिशेष निर्यात योग्य क्षमता पर विचार करते हुए चीन के विरुद्ध शुल्क को बढ़ाना घरेलू उद्योग की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल की जांच में प्राधिकारी ने ऋणात्मक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बावजूद संभावना पर विचार करते हुए चीन के निर्यातकों के विरुद्ध शुल्क की अवधि बढ़ाई है और यही मानक इस जांच में भी लागू किया जाना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध:

122. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- क. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद वियतनाम और कोरिया गणराज्य से निर्यातकों के उत्तरों को स्वीकार किया है कि उन्होंने ऐसे संबंधित पक्षकार के उत्तर नहीं दिए हैं जो घरेलू बिक्री सौदों तथा भारत में संबद्ध वस्तु के विपणन और बिक्री में शामिल रहा है। यह डी जी टी आर की प्रक्रिया के विरुद्ध है और उन पक्षकारों के साथ अन्याय भी है जिन्होंने जांच में पूर्णतः भाग लिया है।
- ख. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि संबंधित पक्षकारों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है जिससे छूट दी जा सकती हो और इसलिए, न्यूनतम के आधार पर निर्यातक के उत्तर को स्वीकार करने का प्राधिकारी का प्रस्ताव गलत है। प्राधिकारी ने पूर्व में संबंधित पक्षकार के साथ कोई सौदा नहीं होने के बावजूद पूरे समूह के उत्तर को अस्वीकृत किया है यदि किसी एक कंपनी ने उत्तर न दिया हो। इसके मद्देनजर, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से उनके उत्तर को स्वीकार करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।
- ग. यह कि प्राधिकारी ने लाइक्रा को बाहर रखने के अनुरोध को अस्वीकृत करके सही किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि चूंकि वे समान वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इसे बाहर रखने का प्रश्न नहीं उठ सकता है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि प्राधिकारी ने हाल की जांच में शुल्क को बढ़ाने के लिए निर्णायक समीक्षा हेतु और उत्पाद के दायरे से उत्पाद को बाहर रखने हेतु मध्यावधि समीक्षा जांच के दायरे से बाहर रखने हेतु अलग-अलग जांच की है। इससे स्पष्ट रूप से यह तथ्य सिद्ध होता है कि प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखने के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं।
- घ. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध भी किया है कि यदि प्राधिकारी ब्रांड नाम और मूल्य के आधार पर इस तथ्य के बावजूद लाइक्रा को बाहर रखने के अनुरोध को स्वीकार करते हैं कि घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो प्राधिकारी को पुष्टि करनी चाहिए कि सभी अन्य मामलों में भी इसी नीति का पालन किया जाएगा। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह पुष्टि करने का भी अनुरोध किया है कि स्रोत पर विचार नहीं करते हुए अलग-अलग जांच में विचाराधीन उत्पाद समान होना चाहिए।
- ड. लाइक्रा को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने के संबंध में सिंगापुर के विरुद्ध जांच में घरेलू उद्योग ने बताया है कि प्राधिकारी के लिए विभिन्न जांचों में अलग-अलग उत्पाद दायरा रखना असामान्य नहीं है। पूर्व में भी ऐसे मामले हैं, जिनमें एक जांच में विचाराधीन उत्पाद देशों के दूसरे समूह वाली दूसरी जांच में गैर-पीयूसी बन जाता है। अतः वर्तमान जांच से लाइक्रा को बाहर रखने के लिए सिंगापुर की जांच के दायरे पर भरोसा न केवल अतार्किक है बल्कि कानून और परिपाटी के अनुसार निराधार भी है।

- च. यह कि सी एफ एफ को अस्वीकृत करना उचित है, क्योंकि उन्होंने पूर्णतः जानने के बावजूद पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि प्राधिकारी ने मूल जांच में पीसीएन बनाए हैं और यह कि घरेलू उद्योग ने कीमत विश्लेषण के लिए आवेदन में पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत की है। इसके अलावा, उन्होंने संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले चीन जन.गण. के उनके संबंधित पक्षकारों का उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया है, इसके मद्देनजर उन्हें अस्वीकार करना न्यायोचित है।
- छ. घरेलू उद्योग ने बताया है कि चूंकि चीन जन.गण. और ताइवान से किसी निर्यातक ने जांच में पूरा सहयोग या भागीदारी नहीं की है, इसलिए प्राधिकारी को चीन जन.गण. और ताइवान के विरुद्ध वर्तमान शुल्क को जारी रखना चाहिए जैसा कि चीन जन.गण. के विरुद्ध हाल की जांचों में किया गया था।
- ज. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान शुल्कों का प्रयोक्ताओं पर 0.5 प्रतिशत से कम प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा यह तथ्य कि मूल जांच की तुलना में निर्णायक समीक्षा का विरोध करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रयोक्ता उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके विपरीत, वर्तमान शुल्क से न केवल घरेलू उद्योग को अपने घाटे कम करने में मदद मिली है बल्कि भारत में नया निवेश भी देखा गया है। चूंकि घरेलू उद्योग को इस समय संबद्ध देशों से वस्तु के आयातों से घाटा हो रहा है, इसलिए भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के लिए शुल्क की अवधि बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- झ. यह कि प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण ढंग से उनकी क्षमता को आवेदन में उनके द्वारा बताए गए *** एम टी के बताए गए *** एम.टी. माना है और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी यही हुआ है। यह भी बताया गया है कि प्रबंधन का प्रमाणन भी यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि वर्तमान परिस्थितियों में केवल *** एमटी उत्पादित किया जा सकता है। अतः प्रदूषण नियंत्रण दस्तावेज पर प्राधिकारी का भरोसा न केवल गलत है बल्कि घरेलू उद्योग के लिए अनुचित है। यह भी अनुरोध किया गया है कि सत्यापन के पश्चात भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भरोसा प्राधिकारी की परिपाटी के विपरीत है जिसमें प्राधिकारी अंतिम जांच में प्रयोग के लिए घरेलू उद्योग के दावों का सत्यापन करते हैं।
- ञ. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि *** एम.टी. के रूप में क्षमता के प्रयोग का प्राधिकारी का निर्णय उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन संयंत्रों में क्षमताएं अनिर्धारित हों, उनमें डी जी टी आर को वास्तविक उत्पादन का प्रयोग करना चाहिए और न कि ईष्टतम क्षमता उपयोग का। पूर्वोक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से क्षमता के मुद्दे पर पुनर्विचार करने और तदनुसार, एनआईपी पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया है।
- ट. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि संबद्ध देशों से लगातार क्षति और पाटन की संभावना है और इसलिए, भारत में घरेलू उद्योग की उत्तरजीविता हेतु शुल्क की अवधि बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

123. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध दोहराई गई प्रवृत्ति के हैं और प्रकटन विवरण में उन पर पहले ही ध्यान दिया गया है। उक्त जांच परिणाम वास्तव में पक्षकारों के इन तर्कों पर विचार करते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने संगत सीमा तक नीचे दिए गए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है अन्य कहीं दिए गए अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया है।
124. प्रक्रियात्मक भाग में पीसीएन वार सूचना के उल्लेख और अन्य जांचों में पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत करने के अनुरोध जारी करने के संबंध में यह नोट किया गया है कि चूंकि डी जी टी आर ने मूल जांच में बनाए गए और प्रयुक्त पीसीएन में परिवर्तन नहीं किया है, इसलिए सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद विशेष रूप से कब उन्हीं पी सी एन को पुनः जारी करने की आवश्यकता नहीं है जब घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में उन पी सी एन का उल्लेख किया है और उनके अनुसार सूचना दी है। चूंकि डी जी टी आर ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया "आवेदक को कीमत विश्लेषण के लिए मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा

जारी उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रयोग किया है” तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सूचना तदनुसार प्रदान की जानी है। तथापि सी एफ एफ और एसजीपी ने मूल पीसीएन के अनुसार, सूचना नहीं प्रदान करने का निर्णय लिया है और जांच प्रक्रिया को बरगलाने के लिए पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में अपने अनुरोध को दोहराया है। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि दक्षिण कोरिया और वियतनाम से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों ने सूचना (जांच शुरूआत अधिसूचना और डी आई के आवेदन) के समान समूह को पढ़ने के बाद पीसीएन वार सूचना प्रस्तुत की थी, इसलिए यह मानना तर्कसंगत है कि सी एफ एफ और एस जी पी ने पीसीएन वार सूचना जानबूझकर प्रस्तुत नहीं की है। इसके मद्देनजर उनके उत्तर को अस्वीकार करना न्यायोचित है।

125. पीसीएन-वार सूचना प्रदान करने के लिए डीजीटीआर से कोई पत्र प्राप्त नहीं होने से संबंधी सीएफएफ समूह के अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि डी जी टी आर ने 30 दिसंबर, 2021 के अपने पत्र में ऊपर उल्लिखित कंपनियों से पीसीएन वार सूचना प्रदान नहीं करने का स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया था। तथापि, निर्यातक ने उस स्तर पर भी पीसीएन वार सूचना नहीं देने का निर्णय लिया और केवल अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया। चूंकि निर्यातक ने प्रक्रिया को बरगलाने का निर्णय लिया है, इसलिए उनकी अस्वीकृति न्यायोचित है। प्रकटन विवरण जारी होने के बाद पी सी एन वार सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि इसे काफी अंतिम स्तर पर प्रस्तुत किया गया है और इसलिए प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने सी एफ एफ और एस जी पी के उत्तर को इसलिए भी अस्वीकृत किया है क्योंकि पीयूसी (यथापरिभाषित) का उत्पादन करने वाली चीन जन.गण. में स्थित उनकी अन्य संबंधित कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
126. विचाराधीन उत्पादन के दायरे से लाइक्रा को बाहर रखने के संबंध में प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी अनुरोधों और प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों का भी पुनः विश्लेषण किया है और यह नोट किया कि लाइक्रा को बाहर रखने का निर्यातक का अनुरोध मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि किसी उत्पाद को बाहर रखने के अनुरोध के लिए अप्रासंगिक कारणों पर आधारित है। निर्यातक ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग समान वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग और अन्य निर्यातकों ने बताया है कि समान वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति भारत में घरेलू उद्योग द्वारा की जा रही है। यहां तक कि प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने भी लाइक्रा को बाहर रखने का अनुरोध नहीं किया है। इस संदर्भ में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग “लाइक्रा” ब्रांड के अंतर्गत आयातित वस्तु के समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है और इसलिए उसे पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और “लाइक्रा” ब्रांड का प्रयोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है।
127. प्राधिकारी ने मूल जांच पर इस वजह से भरोसा किया है क्योंकि लाइक्रा और क्रेओरा ब्रांड को बाहर रखने संबंधी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा और बहस हुई थी। चूंकि कोई तथ्य बदला नहीं है, इसलिए प्राधिकारी ने संगत पैराग्राफों का संदर्भ लिया है और मूल जांच में यथापरिभाषित उत्पाद की परिभाषा की पुष्टि की है।
128. पेटेंटों से संबंधित अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग लाइक्रा का उत्पादन नहीं कर रहा है बल्कि वे समान वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति कर रहे हैं। यहां तक कि अन्य निर्यातकों/उत्पादकों ने भी उत्पाद के दायरे से लाइक्रा को बाहर नहीं रखने के संबंध में डी जी टी आर की जांच का समर्थन किया है और इसलिए प्राधिकारी मूल जांच में यथापरिभाषित उत्पाद के दायरे की पुष्टि करते हैं। यदि बहिष्करण केवल ब्रांड नामों पर भिन्नता के कारण सहमत हैं, तो तकनीकी रूप से प्रत्येक वस्तु को बाहर रखा जा सकता है
129. वियतनाम और कोरिया गणराज्य से निर्यातकों ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को लाइक्रा को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं करना चाहिए। तथापि, यदि प्राधिकारी लाइक्रा को बाहर रखने के सी एफ एफ के

तर्क को स्वीकार करते हैं तो उनके ब्रांड क्रेओरा को भी बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग क्रेओरा का भी उत्पादन नहीं कर रहा है।

130. घरेलू उद्योग और अन्य भागीदार निर्यातकों ने भी इस आधार पर लाइक्रा को बाहर रखने के अनुरोध को अस्वीकृत करने का समर्थन किया है कि घरेलू उद्योग आयातित पी यू सी के समान वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति कर रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के उन अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया है जिसमें डी जी टी आर ने स्पष्ट रूप से विचाराधीन उत्पाद से अपवर्जन को अस्वीकृत किया था। पूर्वोक्त के मद्देनजर डी जी टी आर मूल जांच में यथा परिभाषित उत्पाद के दायरे को बनाए रखते हैं।
131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की परिभाषा में एच आई पी एल को बाहर रखने का तर्क दिया है और अन्य ने उसे घरेलू उद्योग में शामिल करने का तर्क दिया है। इस संदर्भ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि एच आई पी एल न केवल स्वयं एक आयातक है बल्कि दक्षिण कोरिया गणराज्य और वियतनाम (वियतनाम से 100 प्रतिशत निर्यातक) के निर्यातक से संबंधित भी है, इसलिए उसे पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है। तथापि, वे संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक हैं। समर्थक के रूप में उनकी स्वीकृति के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि किसी अन्य उत्पादक का अभाव है, इसलिए आवेदक कुल पात्र उत्पादन का 100 प्रतिशत बन जाता है और इसलिए इस जांच में समर्थक के रूप में एच आई पी एल की कोई प्रासंगिकता नहीं है। जहां तक उनके कानूनी अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी उसे स्वीकार करते हैं।
132. चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन से संबंधित अनुरोध के बारे में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इसलिए रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्य का प्रयोग किया है क्योंकि चीन से किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटन मार्जिन की गणना में पाई गई कुछ कमियों को देखते हुए अंतिम जांच परिणाम में उनमें सुधार किया गया था।
133. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अनुरोधों के संबंध में यह बताया गया है कि ये उन पूर्ववर्ती अनुरोधों का दोहराव हैं जिनका प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में तथा अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों में भी विस्तार से विश्लेषण किया था।
134. जनहित के मुद्दे संबंधी अनुरोधों के बारे में यह नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता के बृहत्तर हित में डी जी टी आर प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। इस संदर्भ में यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन ने अपने दावे के समर्थन में कोई सामग्री प्रदान नहीं की है। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का प्रयोक्ता उद्योग पर अतयंत अल्प प्रभाव (0.5 प्रतिशत से कम) पड़ा है। यह भी नोट किया गया है कि एक ओर वर्तमान शुल्क से प्रयोक्ताओं पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है, और दूसरी ओर इससे न केवल घरेलू उद्योग को अपने घाटे कम करने में मदद मिली है बल्कि ह्योसांग को भारत में विनिर्माण सुविधा खोलने में भी सुगमता हुई है। पूर्वोक्त से नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता उद्योग पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
135. घरेलू उद्योग के क्षमता से संबंधित अनुरोधों के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत हिस्से में विस्तृत कारण बताए हैं। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अपनी संगत परिपाटी के अनुसार, क्षमता के रूप में *** का प्रयोग किया है। पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता या एन आई पी में किसी संशोधन की कोई जरूरत नहीं है।
136. प्रकटन विवरण में संभावना विश्लेषण संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य या सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण गलत है। इसके अलावा, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के उत्पादकों और निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग ने संभावना विश्लेषण के संबंध में प्राधिकारी के विश्लेषण का समर्थन किया है। घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संभावना के संबंध में प्राधिकारी से उनके विश्लेषण की पुष्टि करने का अनुरोध भी किया है।

ठ. घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के संबंध में निष्कर्ष

137. उपर्युक्त विश्लेषण से, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- i. संबद्ध देशों के पास मौजूद स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताओं के संबंध में आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन में वर्तमान क्षमता अर्थात् 872000 मी.टन भारत में मांग का 57 गुणा से अधिक है।
- ii. चीन में उत्पादन क्षमताओं में विस्तार के संबंध में आंकड़े चीन में स्पेनडेक्स संयंत्र की प्रचालन दर में 2020 में 83 प्रतिशत से 2021 में 95 प्रतिशत तक वृद्धि दर्शाते हैं।
- iii. ताईवान के संबंध में संभावित पाटन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि बहुत अधिक भी है।
- iv. संबद्ध वस्तुओं के लिए उच्च विकास दर के कारण, भारत संबद्ध वस्तुओं के लिए प्राथमिक बाजार है। इसी कारण से शुल्कों को लगाए जाने के बाद, हियोसंग कारपोरेशन (कोरिया का उत्पादक) ने बढ़ती हुई भारतीय मांग को पूरा करने के लिए भारत में अपना उत्पादन शुरू किया है।
- v. चूंकि संबद्ध वस्तु कीमत संवेदनशील हैं और कीमतों में थोड़ा भी अंतर ग्राहकों के खरीदने की क्षमता को बदलता है, संबद्ध देशों से आयात की मात्राएं प्रत्यक्ष रूप से उन पर लगाए गए शुल्कों के अनुपात में हैं। पाटनरोधी शुल्क दक्षिण कोरिया के विरुद्ध सबसे कम है और इस कारण से वहां से आयात सबसे अधिक हुए थे। उसी प्रकार चीन और ताईवान पर उच्चतर शुल्कों के कारण, इन दो देशों से आयात नगण्य हैं। इसके अलावा, गैर-प्रतिनिधिक मात्राओं और चीन से असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी के लिए चीन से संबद्ध वस्तुओं की उचित कीमतों का पता लगाना कठिन है। आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों के पास पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र रूप से बिक्री किए जाने योग्य क्षमताएं मौजूद हैं और वे निर्यात उन्मुखी हैं।
- vi. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शुल्कों के नहीं रहने पर, संबद्ध वस्तुओं का पाटन संबद्ध देशों से संभवतः बढ़ने वाला है और ये आयात संभवतः भारत में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाएंगे।

138. इस प्रकार मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध वस्तुओं का पाटन में संभवतः वृद्धि होगी जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचेगी।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखने के कारण संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे। प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं तथापि, पाटनरोधी उपाय लागू होने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि पाटन की प्रथाओं से कोई अनुचित लाभ न हो, घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी।

140. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी उपाय को जारी रखने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव को निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तु की उपलब्धता पर शुल्क को जारी रखने के प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव और व्यापक रूप से आम जनता पर प्रभाव का मूल्यांकन किया है। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोधों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित है।

141. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशन के लिए पाटनरोधी शुल्क के

उनके प्रचालनों पर किसी संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी विहित की थी। यह भी देखा गया है कि प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने केवल अनुरोध किए हैं परंतु ऐसे कोई साक्ष्य या सूचना प्रदान नहीं की है जिसे संगत माना जा सकता हो। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने निसंदेह सिद्ध किया है कि संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं पर शुल्क जारी रखने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

142. प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के हितों पर शुल्क जारी रखने के प्रभाव की भी जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लागू होने से किसी भी तरह से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे बल्कि केवल यह सुनिश्चित होगा कि वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हों। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की क्षमता विस्तार और एच आई पी एल के ईष्टतम स्तर पर उत्पादन के बाद देश में मांग-आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं होगा। इसके अतिरिक्त उत्पाद को उचित कीमत पर सिंगापुर, ई यू, यू ए ई, जापान और अन्य देशों सहित दूसरे देशों से भी आयातित किया जा सकता है।
143. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि जनहित पर पाटनरोधी शुल्क उपायों के प्रभाव का अध्ययन तीन अलग-अलग पक्षकारों- उत्पादक, उपभोक्ता और व्यापक तौर पर आम जनता के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है।
144. यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों के हितों के अनुकूल होगा। यह तथ्य कि यह एक एक पूंजी प्रधान उद्योग है, उपाय को जारी रखने से आगे और क्षति पर रोक लगेगी और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों के निर्यातकों की शक्ति के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए और अपना उपयोग बढ़ाने के लिए समय मिल जाएगा।
145. प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के प्रभाव का भी विश्लेषण किया है और यह समुक्ति की है कि संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों के हित में यह होगा कि वे विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम विश्वसनीय भारतीय घरेलू उत्पादकों का निर्माण करें। ऐसा तभी संभव है जब घरेलू उत्पादक आयातों के कारण हुई क्षति से उबरने में सक्षम हों। यदि वर्तमान स्थिति जारी रहने दी जाती है तो भारतीय घरेलू उत्पादकों को और अधिक क्षति होगी जिससे विदेशी उत्पादकों को घरेलू उत्पादकों के विरुद्ध और अधिक लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग को नुकसान उठाने दिया जाता है तो वह अंततः समाप्त हो जाएगा और उपभोक्ता पुनः आयातित वस्तुओं की दया पर निर्भर हो जाएंगे और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनमें अन्य के साथ-साथ मालसूची की उच्च लागत, डिलीवरी टाइम, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, तकनीकी सहायता की गैर-मौजूदगी आदि शामिल हैं।
146. प्राधिकारी ने व्यापक तौर पर जनता पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के प्रभाव का विश्लेषण करते समय यह समुक्ति की कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना व्यापक तौर पर जनहित में है। इसके अलावा, यह विश्लेषण इस तथ्य से मजबूत हो जाता है कि निर्णायक समीक्षा में भाग लेने वाले प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों की संख्या मूल जांच की तुलना में काफी कम हो गई थी। ऐसा केवल तभी संभव है जब प्रयोक्ता अपने अंतिम उत्पाद में पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को महसूस नहीं कर रहे हैं। व्यापक तौर पर जनता पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है।
147. उपरोक्त के अनुसार यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का प्रभाव और अंतिम उत्पाद का नगण्य प्रतिशत बनता है। शुल्क का प्रभाव उच्चतम संभव पाटनरोधी शुल्क पर विचार करते हुए ज्ञात किया गया है और यदि औसत शुल्क पर विचार किया जाए तो यह प्रभाव और कम हो जाएगा। परिणामस्वरूप यह निसंदेह सिद्ध होता है कि संबद्ध वस्तु के अंतिम उपभोक्ता को शुल्क की अवधि बढ़ाने से कीमत में किसी वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार यह दीर्घावधिक जनहित का संरक्षण करने का स्पष्ट मामला है जो अंततः प्रयोक्ता उद्योग के भी हित में होगा।

ढ. निष्कर्ष

148. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग को

पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि -

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य कुल मिलाकर घरेलू उद्योग की लागत और उनकी बिक्री कीमत से अभी भी कम है, जो स्पष्ट संकेत देता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है। और इस कारण से, मौजूदा शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, इस बात की प्रत्येक संभावना है कि घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- ख. रिकॉर्ड पर आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों में निर्यातकों के पास बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त क्षमताएं हैं। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि भारत का एक बहुत बड़ा बाजार है और इसके साथ ही यह बहुत कीमत संवेदनशील बाजार है और इस कारण से मौजूदा शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में इस बात की प्रत्येक संभावना है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि होगी।
- ग. पाटनरोधी शुल्कों के होने के मौजूद बावजूद, वियतनाम और दक्षिण कोरिया से निर्यातक संबद्ध वस्तुओं का पाटन कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने को दर्शाता है। चूंकि चीन और ताइवान के निर्यातकों से कोई सहयोग नहीं मिला था और तथ्य कि इन देशों के निर्यातकों के पास बहुत अधिक मात्रा में निर्यात करने योग्य क्षमता उपलब्ध है, इन दो देशों से संबद्ध वस्तुओं पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है।
- घ. चूंकि भारतीय बाजार कीमत संवेदनशील है, अतः मौजूदा शुल्कों का विस्तार नहीं किए जाने की स्थिति में इसको संबद्ध देशों से पाटित आयातों से खतरा है और इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी आएगी।
- ङ. इस तथ्य को दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाते हुए संभवतः बहुत अधिक होगा।

ण. सिफारिश

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं और पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने के संबंध में सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
150. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क आगे भी जारी रखे जाने की आवश्यकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि यहां ऊपर सिद्ध किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी उन उत्पादकों के संबंध में, जिन्होंने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया है अथवा जांच में पूर्ण सहयोग नहीं किया है, को छोड़कर चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। इस निर्णायक समीक्षा जांच में उन असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों को वर्तमान में लागू अवशिष्ट शुल्क प्रदान किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देश के उत्तरदाता उत्पादकों और असहयोगी उत्पादकों के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है। इस प्रकार प्राधिकारी चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉलम 3 में उल्लिखित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका में कॉलम 7 के अनुसार उल्लिखित राशि के बराबर यथासंशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप-शीर्षक*	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	मापन की यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5404	इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	3.44	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. छोड़कर कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	3.44	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
3	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया सहित कोई भी देश	ह्योसुंग टीएनसी कॉर्पोरेशन	0	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
4	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया सहित कोई भी देश	टी. के. केमिकल्स कॉर्पोरेशन	0.15	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
5	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया	दक्षिण कोरिया सहित कोई भी देश	क्रम सं. 3 और 4 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	1.90	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
6	-वही-	-वही-	दक्षिण कोरिया को छोड़कर कोई भी देश	दक्षिण कोरिया	कोई भी	1.90	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
7	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	ह्योसुंग वियतनाम: ह्योसुंग डोंगनाई	0.36	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
8	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	क्रम सं. 7 को छोड़कर कोई भी उत्पादक	2.16	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर

9	-वही-	-वही-	वियतनाम छोड़कर कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी	2.16	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
10	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी	2.40	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
11	-वही-	-वही-	ताइवान छोड़कर कोई भी देश	ताइवान	कोई भी	2.40	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर

* रंगीन यार्न और बीम प्रकार के इलास्टोमेरिक यार्न को छोड़कर, 150 डेनियर तक और उसके सहित सभी डेनियर।

151. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 88, 9, और 94 के तहत शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

त. आगे की प्रक्रिया

152. इन जांच परिणामों के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

FINAL FINDINGS

(CASE No. ADD 12/2021)

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed on the imports of ‘Elastomeric Filament Yarn’ originating in or exported from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam-reg.

No. 7/14/2021-DGTR: 1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time;

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. M/s Indorama Industries Ltd (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “petitioner” or the “domestic industry”) has filed an application (hereinafter also referred to as the “petition”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules) for sunset review of anti-dumping investigation concerning the imports of Elastomeric Filament Yarn (hereinafter also referred as the “subject goods” or the “product under consideration”), originating in or exported from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
3. The applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating and exported from the subject countries, and consequent injury to the domestic industry in case the existing anti-dumping duty imposed on the subject goods originating in or exported from the subject countries and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
4. Section 9A (5) of the Act, inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:
"...any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."
6. The original investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide Notification No. 14/29/2015-DGAD dated 27.01.2016. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/29/2015-DGAD dated 24.03.2017, recommending therein the imposition of definitive anti-dumping duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the Final Findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notifications No. 15/2017-Customs (ADD) dated 03.05.2017 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from China PR, South Korea, Taiwan and Vietnam. The existing anti-dumping duty is valid up to 02.05.2022.
7. Based on the substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority had initiated the sunset review investigation vide Initiation Notification No. 7/14/2021-DGTR (AD-SSR No. 12/2021) dated 30.6.2021 to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether there

is a need for continued imposition of the antidumping duty in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

B. PROCEDURE

8. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:

- i. The Authority issued a public notice dated 30.06.2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating sunset review of anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
- ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days from the receipt of the notice in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules. The time limit to file the information was extended from time to time.
- iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- iv. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- v. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject countries, whose details were made available by the applicant, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Hyosung TNC Corporation, Korea RP
 - b. The Lycra Company, Korea RP
 - c. Teakwang Industrial. Korea RP
 - d. T K Chemical Corporation, Korea RP
 - e. Hyosung VietNam Co. Ltd., Vietnam
 - f. Yantai, China PR
 - g. Invista, China PR
 - h. Asahi, Taiwan
- vi. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire response:
 - a. Hyosung TNC Corporation, Korea RP
 - b. T K Chemical Corporation, Korea RP
 - c. Chuanglai Fibre (Foshan) Co., Ltd., China PR
 - d. The LYCRA Company Singapore Trading Pte. Ltd., Singapore
 - e. Hyosung Dongnai Co. Ltd., Vietnam
 - f. Hyosung VietNam Co. Ltd., Vietnam
- vii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the Authority, of the subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
 - a. Auro Spinning Mills
 - b. Aarvee Denims and Exports Ltd.
 - c. Alok Industries Ltd.
 - d. BST Textile Mills Pvt. Ltd.
 - e. Blaumann Industries Pvt. Ltd.
 - f. Bombay Rayon Fashions Ltd.
 - g. Deepak Impex Pvt. Limited
 - h. Confederation of Indian Textile Industry (C I T I)
 - i. Indian Spinners Association (I S A)
 - j. Indian Woollen Mills Federation
 - k. Federation of Indian Art Silk Weaving Industry
 - l. The Southern India Mills' Association

- viii. The following importers or consumers of the subject goods have filed the importer's questionnaire response in the prescribed format:
 - a. Arvind Limited
 - b. Ginni International Limited
 - c. Vardhman Textiles Limited
 - d. Raymond UCO Denim Private Limited
 - e. Best Corporation Private Limited
 - f. Bhaskar Industries Private Limited.
 - g. RSWM Limited
 - h. Sangam (India) Limited
 - i. Sri Kannapiran Mills Limited
 - j. Suryalakshmi Cotton Mills Limited
 - k. Oswal Woollen Mills Limited
- ix. Hyosung India Pvt. Ltd, the only other producer in India, has filed its submissions during the course of the investigation Vishal Fabrics Ltd., Indian Denim Manufacturing Association; Indian Taxpreneur Federation have also filed their post-hearing and other legal submissions.
- x. The exporters, foreigner producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied complete information relevant to this investigation, are considered to be treated as non-cooperating interested parties.
- xi. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has decided to accept the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xii. The interested parties were asked to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence presented by them with the other interested parties.
- xiii. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st January, 2020 to 31st December, 2020 (12 months). The injury period under investigation will, however, cover the periods 1st April, 2017 to 31st March, 2018, 1st April, 2018 to 31st March, 2019, 1st April, 2019 to 31st March, 2020 and the period of investigation (POI).
- xiv. Additional/supplementary information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xv. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvi. The information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of the imports of the product concerned in India.
- xvii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all the interested parties to present their views orally in a hearing held on 10.11.2021. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic. All the interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- xviii. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 18.01.2022 and the interested parties were allowed time upto 25.01.2022 to comment on the same. The comments on the disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final findings notification.
- xix. The desk verification of the information provided by the applicant, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of the final findings.

- xx. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- xxi. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.
- xxii. *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is **1 US\$= Rs. 75.02**

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by the other interested parties

- 9. The other interested parties have made the following submissions with regard to the product under consideration and the like article:
 - i. That Lycra should be excluded from the scope of the product under consideration as the same is not being produced by the domestic industry.
 - ii. That the domestic industry itself excluded Lycra in another investigation of the same product.

C.2. Submissions made by the domestic industry

- 10. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and the like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - i. That, the domestic industry is producing complete range of the product under consideration. Since the present investigation is a sunset review investigation, the scope of product under consideration remains the same as in the original investigation.
 - ii. In relation to exclusion of brand “Lycra” Domestic Industry has submitted that as a matter of consistent practice, the Designated Authority does not alter the scope of the Product under Consideration during the sunset review investigations. It is further submitted that the exclusion in the original investigation was provided to certain products on the basis of their physical/technical specifications, usage, substitutability etc. Any further exclusion has to pass the same yardstick and not merely on the ground that same has been excluded in some other investigation. It was further pointed that in the investigation against Singapore also, domestic industry has not requested exclusion on the ground that like article is not being produced or sold by the domestic industry.
 - iii. It is further submitted by the domestic industry that it is impermissible in law as also against the consistent approach of the Authority to alter the scope of the product under consideration in a sunset review investigation. In past, the Hon’ble Designated Authority has consistently stated that the scope of the product under consideration cannot be altered in a sunset review investigation.
 - iv. The domestic industry has relied on the recently initiated sunset review investigation for Float Glass from China for continuation of the period of duties already imposed and also initiated limited mid-term review investigation for exclusion of “Extra Clear Float Glass” from the scope of the product under consideration of Float Glass from China PR. It is further submitted that since DGTR has initiated separate mid-term review and sunset review investigation, now it is not open from the DGTR to accept request for product exclusion in current sunset review investigation.
 - v. The domestic industry has also submitted that the exporters have failed to provide full details of the “Lycra” like its physical/technical specifications, usage, substitutability etc. which according to them the domestic industry cannot produce. for our comments before taking any decision in the matter.
 - vi. That, the Designated Authority in the case of Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of ‘Ductile Iron Pipes’ originating in or exported from China PR, despite noting that the domestic industry does not manufacture a particular type of the Product under Consideration, declined to amend the product scope on the ground that the same was made in a sunset review investigation. Similarly, in the investigation concerning Polypropylene originating in or exported from Singapore, the Authority declined to amend the product scope despite the specific submission of the domestic industry that they do not manufacture certain grade of the Product under Consideration. The decision of the Authority was based on the analysis of various factors after getting the inputs from all the interested parties. Since the Authority is consistently not modifying

the scope of the product under consideration, the domestic industry request that since they are producing like article, request for exclusion of “Lycra” cannot be accepted.

- vii. None of the interested parties have provided any evidence that the technical characteristics of the product requested for exclusion cannot be produced by the domestic industry.
- viii. The domestic industry is producing a like article to the product under consideration.

C.3. Examination by the Authority

11. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to the product under consideration, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly.
12. The product under consideration in the Initiation Notification No. 7/14/2021 dated 30th June, 2021, and in the present sunset review investigation was defined as under:
 4. *"Elastomeric Filament Yarn of all deniers up to and including 150 Deniers, excluding coloured yarns and Beam type Elastomeric yarns." These filament yarns are also commonly referred to as Spandex or Elastane. These yarns are also colloquially referred to as "Lycra" in the market even though it is a specific brand name. These are described in technical terms as segmented polyurethane composed of "soft", or flexible, segments bonded together with "hard", or rigid segments. This gives the fibre its built-in, lasting elasticity. It is an elastomeric fibre used widely as the minor component in stretch garments to provide stretch with recovery. It is to be noted that the product under consideration as defined above is the same as was in the original investigation. The applicant has used the product control numbers (PCN) issued by the Authority in the original investigation for price analysis.*
 5. *The subject products are classified under Chapter Heading 54 "Man-made filaments; strips and the like of man-made textile materials". The classification at the 8-digit level is 54041100 even though the product is being classified and imported under various sub-headings like 5402, 5403 and 5404 of the Customs Tariff Act, 1975. It is also to be noted that the custom classification is indicative only and in no way binding upon the product scope of the present investigation.*
 6. *The present petition being for a sunset review investigation, as per the settled jurisprudence and the past practices of the Authority, the Product under Consideration remains the same as defined in the original notification.*
13. The Authority noted that the other interested parties have submitted that “Lycra” product should be excluded from the scope of the PUC since the domestic industry had requested in another investigation for its exclusion and that the same is also technically and commercially a different product. The domestic industry, on the other hand, had submitted that they are producing the like product. It is further submitted by the domestic industry that the product scope in both the investigations is different and therefore, the same has no bearing in this investigation.
14. The Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and it had examined the scope of the product under consideration in the original investigation on the basis of submissions made by the responding producers and the domestic industry and other information and records available to the Authority at that time. With respect to exclusion requests of brands like Lycra, the Authority notes that in the original investigation in respect of the subject countries, the Authority had recorded at para 20 of the final findings dated 24.03.2017 that in relation to the exclusion requests of brands like Lycra from the scope of the product under consideration, the interested parties had not produce sufficient evidence to prove their claim of exclusion and that no product can be excluded based on their brand names from the scope of the product under consideration. Therefore, the Authority had noted in the original final findings that the criteria for exclusion have not been satisfied, and thus the request of the interested parties to exclude brands like Lycra from the scope of the product under consideration had been rejected.
15. The Authority had examined the counter arguments on the product under consideration on the basis of submissions made by the responding producers and the domestic industry to the Authority before issuance of the final determination in the original investigation and other information and records available to the Authority at that time and in accordance with that the Authority had noted that the subject goods, which were being imported into India, were identical to the goods produced by the domestic industry. There were no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced goods. The two were technically and commercially substitutable with each other. As a result, the Authority had reiterated its findings in para 20 of the original Final Findings and held that the subject goods produced by the domestic industry were like article to those imported from the subject countries.

16. The product under consideration in the original investigation as well as in the present sunset review is Elastomeric Filament Yarn of all deniers upto and including 150 Deniers, excluding coloured yarns and Beam type Elastomeric yarns. In the previous investigation, the product under consideration was defined as under. The Authority has decided to consider the same scope of the product under consideration for the present purposes:
- “Elastomeric Filament Yarn of all deniers upto and including 150 Deniers, excluding coloured yarns and Beam type Elastomeric yarns.”*
17. The Authority also notes that in the original Findings though submissions regarding exclusion of various types were made, only a few exclusions were accepted as stated in para 17 to 21 of the Findings, keeping in view the cost, price and interchangeability of the subject goods produced by the domestic industry and the PUC exported from the subject countries. Thus, the Authority has decided not to alter the PUC and its scope in the present sunset review investigation.
18. The Authority also notes that there is no known difference in product under consideration, as defined above, produced by the Indian industry and exported from the subject countries. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of the Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

19. Rule 2 (b) of the Rules defines the domestic industry as under:
- “(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.*

D.1. Submissions made by the other interested parties

20. The other interested parties made the following submissions in relation to the scope of the domestic industry & its standing.
- a. The other interested parties have submitted that the Authority should include other Indian producers also into the scope of the domestic industry. It is further submitted that the Authority in the recent past has considered companies who are related to exporters or have themselves imported the subject goods. Therefore, there is no reason for considering other Indian producers as ineligible domestic producer.

D.2. Submissions made by the domestic industry

21. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & its standing are as follows:
- a. Hyosung India Private Limited (HIPL) cannot be considered as eligible domestic industry and its production cannot be considered to calculate applicant's share in Indian production as it is related to exporters from the subject countries.
- b. The application has been filed by M/s Indorama Industries Ltd. The production by the applicant constitutes a major proportion of total Indian production. It is further submitted that the applicant accounts for 100% of the total eligible production.
- c. The applicant has not imported the subject goods from the subject countries during the entire injury investigation period.
- d. The applicant is not related to the exporters in the subject countries or the importers in India.

D.3. Examination by the Authority

22. The application has been filed by M/s Indorama Industries Ltd., who is a major producer of the product under consideration in India. There is only one more producer of product under consideration in India, namely, Hyosung India Private Limited (HIPL).

23. As per the evidence available on record, the Authority notes that the applicant commands a major proportion in the total production of the subject goods in India. The applicant is neither related to an importer in India nor any exporter from subject countries. The Authority further notes that the applicant has not imported the subject goods during the period of investigation.
24. It is seen from the information provided by the HIPL that the related exporters from the subject countries have exported substantial quantities (entirety of the exports from Vietnam are by their related companies). Therefore, the Authority has considered HIPL as a domestic producer, but not the domestic industry within the meaning of the Rule 2(b).
25. The production of the applicant accounts of 53% in the gross Indian production (including HIPL) and 100% after excluding production of HIPL.

Indian producers	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI	Share
Indorama Industries Limited (Applicant)	MT	***	***	***	***	54%
Hyosung Corporation (only other producer) *	MT	-	-	***	***	46%
Total Production	MT	***	***	***	***	100%

*Started production from October 2019

26. Considering the information on record, the applicant accounts for a major proportion of the Indian production. Accordingly, the Authority holds that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. Further, the Authority considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rule. Further, the application satisfies the requirement of standing, both including the share of other producer and excluding the other producer, even though the same is not a mandated requirement in sunset review investigations.

E. Confidentiality

E.1. Submissions made by the other interested parties

27. The other interested parties have made the following submissions.
- The applicant has claimed excessive confidentiality with respect to the production and sales, sales realization in Format H, information in Format L and the likelihood of injury.
 - A mere statement by the applicant that summarization is not possible cannot fulfil the legal requirement under Rule 7(2). It is required to show as to why such summarization is not possible. The justification table indicating reasons of confidentiality is not as per the requirements of the trade notice. In response to section VI, the domestic industry has not furnished any information at all.
 - The domestic industry has not made available the DGCI&S data. As per Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority, DGTR has to make available the import data in the same form and manner in which it was taken on record.
 - The Hon'ble Supreme Court in Sterlite Industries Ltd. vs Designated Authority held that Authority is required to evaluate the claims of confidentiality. Similar decision was taken by Hon'ble CESTAT in the HR Johnson case.

E. 2. Submissions made by the domestic industry

28. The following submissions have been made by the domestic industry:
- The response filed by the participating producers fail to comply with the requirements laid down by the Authority with regard to confidentiality. The response to most of the questions in the questionnaire have been claimed completely confidential with no meaningful summary provided.
 - The respondents have failed to comply with the requirements of the Trade Notice 10/2018 dated 7th September, 2018.
 - All the economic parameters considered by the Authority for the purpose of arriving at the determination of the injury have been provided in compliance with trade notice 10/2018 dated 7.09.2018. The interested parties should establish prejudice caused on non-disclosure of other parameters.
 - The importers have not provided details of the information which are inadequate for the purpose of investigation and have made blatant statements.

E.3. Examination by the Authority

29. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. The other interested parties have claimed that the applicant has claimed excessive confidentiality with respect to the production and sales, sales realization in Format H, information in Format L and the likelihood of injury. The Authority notes that domestic industry has provided non-confidential version of all the information that is relevant for the purpose of the present investigation.
30. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. All the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. Miscellaneous submission**F.1. Submissions made by the other interested parties**

31. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
- i. There is significant demand and supply gap in India and the importers are forced to pay duties despite there being no other option to source.
 - ii. The application fails to meet standards of accurate and adequate disclosure. The Initiation is erroneous and investigation should be terminated. The evidence provided in the application is inadequate for fair and accurate analysis of dumping, injury and the causal link.
 - iii. Continued imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods will lead to increase in the imports of the finished goods and will also adversely impact the end users who are not afforded adequate protection from the imports.
 - iv. The information provided by the domestic industry is insufficient to justify initiation of the investigation. Not all evidence can justify the initiation of an investigation and the evidence presented must be of an adequate quality to constitute “sufficient evidence”.
 - v. There is no requirement for compulsory initiation of the sunset review and the present application fails to show any positive evidence to support the initiation and it does not meet the requirements laid down under the law.
 - vi. The Authority in the recent sunset reviews has held that it is the endeavour of the Authority not to continue duty beyond a period of 10 years except in cases where it feels that the anti-dumping duty is absolutely necessary.

F.2. Submissions made by the domestic industry

32. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:
- i. The response of the participating associations cannot be accepted as they have not filed the information and they have failed to fulfil their obligation to be considered as interested parties in terms of Rule 2(c). It was further stated that none of the participating associations has even bothered to submit complete lists of all their members so as to enable the Authority to ascertain their status as an interested party. Since they have not followed prescribed guidelines, the domestic industry requests for rejection of their submissions.
 - ii. That the interested parties have wrongly interpreted the exceptional clause as exceptional circumstance. On the contrary, the requirement under the law is that the duties are allowed to be extended beyond 5 years period if the condition of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury is met with.
 - iii. It is submitted that the Authority may observe that none of the interested parties had filed their comments to initiation within the prescribed time provided by the Authority. Since no reasons have been given by the interested parties for not providing the comments on the petition and initiation within time, the Authority should reject all these submissions outright on this ground alone.
 - iv. It is further submitted that none of the interested parties has either sought condonation of delay or the Authority has permitted any additional time. This also shows that their submissions about initiation and petition are merely a plough to delay the investigation process.
 - v. The domestic industry has provided detailed justification for every information claimed confidential and it is the respondents who have not provided proper justification.

- vi. There is no information on record to show that the antidumping duty imposed earlier has had any adverse effect on the consumers. None of the users' questionnaire response will show adverse effects. The user industry has not established how it has been affected due to imposition of the anti-dumping duties. On the contrary, the domestic industry has shown that duties have negligible impact (not more than 0.05%) on the users of the subject goods.
- vii. The anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a means of addressing unfair pricing to establish a level playing field. The users are free to import the subject goods at fair price from any source.

F.3. Examination by the Authority

- 33. On the submission that there is a demand and supply gap in India which is the reason for increase in imports, the Authority notes that the ground for seeking extension of antidumping duty is not the import per se, but the price at which the import has been made and its effect on the domestic industry in respect of its parameters such as selling price, profits, cash profits and return on investment. The imposition of the anti-dumping duty provides a level playing field and does not prevent fair competition in the market.
- 34. The Authority notes that the current investigation was initiated on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant. Therefore, the claim that the application does not satisfy the requirement of the law is not correct.
- 35. The interested parties have claimed that the extension of duties will have an adverse impact on the downstream industry. However, the interested parties have not provided any calculations or evidence to support the submission and show adverse impact, whereas the domestic industry has provided the detailed calculation showing the impact of the anti-dumping duties on different segments of the industry.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

- 36. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:
 - (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (b):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Provisions relating to Non-Market Economy Countries

- 37. Annexure-I to AD rules states as under:
 - 7. *In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

8. (1) *The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)*

(2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member 16 country during the three-year period preceding the investigation is a nonmarket economy country*

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) *The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*

(a) *the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*

(b) *the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*

(c) *such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and*

(d) *the exchange rate conversions are carried out at the market rate.*

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph”

G.1. Submissions made by the other interested parties

38. The following submissions were made by the other interested parties with regard to the normal value, export price and the dumping margin.

- i. The domestic industry has not provided proper evidence related to the normal value, and the export price and, therefore, initiation is bad. It is further submitted that the normal value provided by the producers / exporters should be used by DGTR for computing dumping margin.
- ii. That producers have filed their complete information with the DGTR in relation to the normal value and the dumping margin. Therefore, they have requested to use their verifiable information.

G.2. Submissions made by the domestic industry

39. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. The domestic industry has provided ample evidence to support their claim of the normal value and the export price in their application for the purpose of the initiation.
- b. The response of exporter from China PR, namely, Chuanglai Fibre (Foshan) Co., Ltd., cannot be accepted, as it has not filed the information related to all their entities engaged in the production and sales of the subject goods. Secondly, it has also not claimed market economy status and, therefore, its normal value should be constructed in terms of Rule 6(8) read with paragraph 7 of Annexure I of AD Rules.
- c. The domestic industry has requested rejection of TK Chemical Corporation response, as their related entity in India has not filed any information. Since DGTR is rejecting responses on non-filing of responses by unrelated parties, non-filing of response by related importer should be rejected, as this has direct implication on the dumping margin and the injury margin.
- d. It is also submitted that in case DGTR allows response filed by TK Chemical Corporation, their margins need to be recalculated as their export channels to India have changed since the original investigation.
- e. The domestic industry requests to check the export sales channel of Hyosung group and in case their response is not in order, the same is liable to be rejected as per the consistent practice of the Authority.

- f. The domestic industry has claimed the export price based on the transaction-wise DGCI&S import data. Further, the domestic industry has deducted the ocean freight, marine insurance, inland transportation, port handling and clearance charges, bank charges, commission, credit cost. Moreover, the dumping margin calculated is significant.
- g. None of the participating exporters have claimed negative dumping margin.
- h. The normal value in China can thus be determined on the basis of (a) the import price from third country into India, (b) selling price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. It is also submitted that since these options for determination of the normal value are available, the Authority may not kindly consider "any other basis" because this is required to be applied only when other basis listed under the law cannot be applied.

G.3. Examination by the Authority

- 40. The Authority has analyzed the normal value and the export price related issues in the following paragraphs:
- 41. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire response:
 - i. Chuanglai Fibre (Foshan) Co., Ltd, China PR
 - ii. The LYCRA Company Singapore Trading Pte. Ltd, Singapore
 - iii. Hyosung TNC Corporation, Korea RP
 - iv. TK Chemical Corporation, Korea RP
 - v. Hyosung Dongnai Co. Ltd, Vietnam
 - vi. Hyosung VietNam Co., Ltd, Vietnam
- 42. The Authority notes that in the original investigation, after receiving the requests from the interested parties to allow them to file the information on the basis of the product control numbers (PCNs) in order to have fair comparison between the normal value and the export price, the Authority had issued the product control numbers (PCNs) for price analysis. Therefore, in the initiation notification of the present sunset review investigation also, it is categorically mentioned that the product under consideration is the same as was in the original investigation and that the applicant has used the product control numbers (PCN) issued by the Authority in the original investigation for price analysis. Therefore, the domestic industry and the other interested parties were to submit the PCN wise information for price analysis. The domestic industry had also attached in its petition for initiating the present investigation the PCN notice issued by the Authority in the original investigation as annexure-2. The Authority notes that the domestic industry as well as all the participating exporters in the present sunset review investigation, except Chuanglai Fibre (Foshan) Co., Ltd., the producer of the subject goods in China and its related exporter/trader The LYCRA Company Singapore Trading Pte. Ltd, Singapore, have filed the information as per PCNs adopted by the Authority in the original investigation. Since Chuanglai Fibre (Foshan) Co., Ltd. and its related exporter/trader The LYCRA Company Singapore Trading Pte. Ltd, Singapore have failed to submit the PCN wise information, the Authority cannot carry out the individual PCN wise dumping and injury analysis. The Authority, therefore, has decided not to accept their incomplete responses.

G.4. Normal Value and Export Price for China

43. Market Economy Status for Chinese producers

Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:"

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market

economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmark. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

44. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1. of WTO read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol requires criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that the responding producer and exporter from China PR have not submitted the supplementary questionnaire on market economy conditions. Therefore, the Authority cannot grant market economy status to the participating Chinese producer/exporter.

Normal Value for all producers in China PR

45. Since the Authority has decided not to accept the incomplete responses of Chuanglai Fibre (Foshan) Co., Ltd., the producer of the subject goods in China and its related exporter/trader The LYCRA Company Singapore Trading Pte. Ltd, Singapore, the Authority has constructed the normal value for all producers in China PR in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.
46. The Authority notes that since the product under consideration in the present investigation is coming in different PCNs and the analysis of the Authority is also made PCN-wise, consolidated information provided by exporters from China PR or available in public domain is therefore, not relied upon for the purpose of the constructed normal value. It is further submitted that in terms of Para 7 neither the domestic industry proposed any surrogate country nor exporters from China PR suggested any surrogate country. In addition to above, it is also noted that the prices or constructed value of the subject goods in an appropriate market economy third country or the PCN wise prices from such third country to other countries, including India, have neither been made available by the applicant nor by any interested parties first two options available in Para 7 cannot be adopted by the Authority. As mentioned above, PCN wise information is also not available from any public source, therefore, Authority cannot resort to any other method except, the only option available is to determine the normal value considering the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin (i.e., constructed normal value). The normal value so determined is given in the Dumping Margin Table below.

Export Price for all producers in China PR

47. Since the Authority has decided not to accept the incomplete responses of Chuanglai Fibre (Foshan) Co., Ltd., the producer of the subject goods in China PR and its related exporter/trader The LYCRA Company Singapore Trading Pte. Ltd, Singapore, the Authority has determined the export price for all the producers/exporters of the subject goods from China PR based on the facts available in terms of the Rules.

G.5 Normal Value and Export Price for South Korea

i. Hyosung TNC Corporation, Korea RP

Normal Value

48. During the POI, Hyosung TNC Corporation, who is a producer of the subject goods in South Korea, has sold *** MT of the subject goods for *** US\$ in the domestic market. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with the exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. The Authority noted that if the profit-making transactions are more than 80%, all the transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of the normal value and in case the profit-making transactions are less than 80%, only the profitable domestic sales are to be taken into consideration for determining the normal value. With regard to Hyosung TNC Corporation, Korea RP, since the profit-making sales are less than 80%, the Authority has considered only the profitable sales to determine the normal value. Hyosung TNC Corporation has claimed adjustment on account of inland transportation, insurance, credit cost and bank charges, which have been allowed. The Authority has cross checked the data to the extent necessary and accepted the same. Accordingly, the normal value at ex-factory level for Hyosung TNC Corporation has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Price

49. Hyosung TNC Corporation, the producer and exporter of the subject goods in South Korea, has filed questionnaire response. During the POI, Hyosung TNC Corporation has exported *** MT of the subject goods for *** US\$ to India directly. Hyosung TNC Corporation has claimed adjustment on accounts of ocean freight, insurance, port and other related expenses, credit cost, bank charges, port charges, air freight and brokerage and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, the ex-factory export price has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

ii. TK Chemical Corporation (TKC)**Normal Value**

50. During the POI, TK Chemical Corporation, who is a producer of the subject goods in South Korea, has sold *** MT of the subject goods for invoice value of *** KRW in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with the exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If profit making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are considered for the determination of the normal value and in case the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case, since the profit-making sales are above 80%, all the domestic sales have been considered to determine the normal value. TK Chemical Corporation, Korea RP has claimed adjustment on account of inland freight, packing expenses and credit cost and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, the normal value at ex-factory level for TK Chemical Corporation, Korea RP has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

51. TK Chemical Corporation, who is a producer and exporter of the subject goods in South Korea, has filed questionnaire response. During the POI, TKC has exported *** MT of the subject goods for *** US\$ to India directly. It is also noted that TK Chemical Corporation has a 100% subsidiary in India, namely, SM TKC India Pvt. Ltd. SM TKC India Pvt. Ltd. is performing only the liaison services on behalf of the parent company and is not involved in either the imports or sale of the subject goods in India. It has, therefore, claimed India branch expenses for this service only. TK Chemical Corporation, Korea RP has claimed adjustment on account of ocean freight, packing expenses, port handling charge, inland transportation, marine insurance, credit cost, brokerage charges, bank charge, commission, India branch expense and duty drawback and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, the export price at ex-factory level for TK Chemical Corporation, Korea RP has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

iii. Other Producers normal value and export price

52. The normal value and the export price for all other non-cooperating producers and exporters from South Korea is determined as per the facts available considering the data provided by the cooperating producer and the same are mentioned in the Dumping Margin Table below.

G.6 Normal Value and Export Price for Vietnam**iv. Hyosung Dongnai Co. Ltd., Vietnam**

Normal Value

53. During the POI, Hyosung Dongnai Co., Ltd., who is a producer of the subject goods in Vietnam, has sold *** **MT** of the subject goods for *** **US\$** in the domestic market to related and unrelated parties. Out of this, Hyosung Dongnai Co., Ltd has sold *** **MT** of the subject goods through its related company, namely, Hyosung International (HK) Ltd, Hong Kong, which has not filed a separate response but has provided the sales, profitability information with response of Hyosung Dongnai Co., Ltd. Since the domestic sales by Hyosung International (HK) Ltd, Hong Kong, are only to the extent of ***% of the total domestic sales by Hyosung Dongnai Co., Ltd, the Authority is of the view that it does not affect the domestic price of the producer. The domestic sales made by Hyosung Dongnai Co., Ltd are in sufficient volume when compared with the exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of the normal value and in case the profit-making transactions are less than 80%, only the profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. With regard to Hyosung Dongnai Co., Ltd., since the profit-making sales are below 80%, the Authority has considered only the profit-making sales to determine the normal value. Hyosung Dongnai Co., Ltd. has claimed adjustment on account of inland freight, brokerage, insurance, credit cost, packing expense and bank charges which have been allowed. The Authority has cross checked the data to the extend necessary and accepted the same. Accordingly, the normal value for Hyosung Dongnai has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

54. Hyosung Dongnai Co., Ltd., who is a producer and exporter of the subject goods in Vietnam, has filed questionnaire response. During the POI, Hyosung Dongnai Co., Ltd., has exported *** **MT** of the subject goods for *** **US\$** to India. Out of the exports to India, *** **MT** was manufactured by Hyosung Dongnai Co., Ltd. and *** **MT** was manufactured by related company, namely, Hyosung VietNam Co., Ltd., Vietnam. The exports to India are made either directly or through Hyosung VietNam Co., Ltd, Vietnam. The export through Hyosung VietNam Co., Ltd., Vietnam is *** **MT**. Hyosung Dongnai Co., Ltd., has claimed the adjustment on accounts of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit cost, bank charges, commission, service fee, packing expenses and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, the ex-factory export price has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

v. Hyosung VietNam Co. Ltd., Vietnam**Normal Value**

55. During the POI, Hyosung VietNam Co., Ltd., who is a producer of the subject goods in Vietnam, has sold *** **MT** of the subject goods for *** **US\$** in the domestic market to related and unrelated parties. Out of the total domestic sales, Hyosung Vietnam Co., Ltd has sold *** **MT** of the subject goods through its related company, namely, Hyosung International (HK) Ltd, Hong Kong, which has not filed a separate response but has provided the sales, profitability information with response of Hyosung VietNam Co. Ltd. Since the domestic sales by Hyosung International (HK) Ltd, Hong Kong, are only to the extent of ***% of the total domestic sales by Hyosung VietNam Co., Ltd, the Authority is of the view that it does not affect the domestic price of the producer. The domestic sales made by Hyosung VietNam Co., Ltd are in sufficient volume when compared with the exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine the profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of the normal value and in case the profit-making transactions are less than 80%, only the profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. With regard to Hyosung VietNam Co., Ltd., since the profit-making sales are below 80%, the Authority has considered only the profit-making sales to determine the normal value. Hyosung VietNam Co., Ltd. has claimed adjustment on account of inland freight, brokerage, insurance, credit cost, packing expense and bank charges which have been allowed. The Authority has cross checked the data to the extend necessary and accepted the same. Accordingly, the normal value for Hyosung VietNam has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price

56. Hyosung VietNam Co., Ltd., who is a producer and exporter of the subject goods in Vietnam, has filed questionnaire response. During the POI, Hyosung VietNam Co., Ltd., has exported *** **MT** of the subject goods for *** **US\$** to India. Out of the exports to India, *** **MT** was manufactured by Hyosung VietNam Co., Ltd. and *** **MT** was manufactured by related company namely, Hyosung Dongnai Co., Ltd., Vietnam.

The exports to India are made either directly or through Hyosung Dongnai Co., Ltd, Vietnam. The export through Hyosung Dongnai Co., Ltd., Vietnam is *** MT. Hyosung VietNam Co., Ltd., has claimed the adjustment on accounts of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit cost, bank charges, commission, service fee, packing expenses and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, the ex-factory export price has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

vi. Other Producers

57. The normal value and the export price for all other non-cooperating producers and exporters of Vietnam is determined as per the facts available considering the data provided by the cooperating producer and is same is mentioned in the Dumping Margin Table below.

G.7 Normal Value and Export Price for Taiwan

58. Since none of the producers / exporters from Taiwan has participated in the investigation, the Authority has determined the normal value and the export price for all the producers/exporters of the subject goods from Taiwan based on the facts available in terms of the Rules.
59. The normal value, the ex-factory export price and the dumping margin determined in the present investigation for the subject countries are as follows:

Dumping Margin Table

Country	Producer / Exporter	Normal Value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Range
China PR	Any producer	***	***	***	***	(50)-(60)
Korea RP	Hyosung TNC Corporation, Korea RP	***	***	***	***	0-10
Korea RP	TK Chemical Corporation, Korea RP	***	***	***	***	0-10
Korea RP	Any other producer	***	***	***	***	50-60
Vietnam	Hyosung VietNam Co. Ltd., Vietnam & Hyosung Dongnai Co. Ltd., Vietnam	***	***	***	***	10-20
Vietnam	Any other producer	***	***	***	***	20-30
Taiwan	Any producer	-	-	-	-	-

H. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

60. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
61. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9,10,11,16,18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

H.1. Submissions made by the other interested parties

62. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the injury suffered by the domestic industry and the causal link.
- i. The imports from Korea RP have not caused injury as the imports of the subject goods from Korea have declined. Further, any injury to the domestic industry during the POI is only because of COVID-19 and not because of the imports from South Korea.

- ii. It is also submitted by the Korean association that continued duties against China PR and Taiwan are important to protect the investment in India.
- iii. The domestic industry has not suffered any injury from the imports from the subject countries. The domestic industry has failed to demonstrate that they are suffering injury either in price or in volume.
- iv. The capacity of the domestic industry increased during the injury investigation period. This shows that they are doing well.
- v. The profits of the domestic industry show an improvement due to higher increase in the selling price than the increase in the cost of sales.

H.2. Submissions made by the domestic industry

63. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as under:
- a. Due to existence of the anti-dumping duties, the exporters from China PR and Taiwan are not able to export the subject goods to India. Moreover, lower quantum of imports from these two countries proves beyond doubt that exporters from these countries cannot compete with domestic players at fair price.
 - b. The domestic industry is not recovering its full cost despite its best efforts. The low-priced imports from the subject countries have created significant price pressure on the domestic industry. It is further submitted by the domestic industry that the exporters are giving post sales discount.
 - c. The domestic industry has submitted that since causal link has already been established in the original investigation, the Authority is required to examine whether cessation of the anti-dumping duty would lead to continuance or recurrence of dumping and injury.
 - d. There is positive price undercutting from the subject countries as a whole. This shows that the domestic industry is still under price pressure.
 - e. It is also submitted that since the quantity exported from China PR is very negligible, their prices should not be considered for any analytical purposes as the same are not reflective of true market prices.
 - f. It is also submitted that the existing anti-dumping duty helped the domestic industry to reduce its losses. However, the recovery process could not be attained due to low-priced dumped imports from the subject countries. In view thereof, the continuation of duties is very critical to the applicant and other producers of the subject goods.
 - g. There is significant difference between the cost of sales and the selling price, which could not be filled due to aggressive pricing by the exporters of the subject goods from the subject countries. This has resulted in losses and negative return on the capital.
 - h. This situation clearly depicts the price pressure on the domestic industry wherein if they do not produce the subject goods, their fixed costs will increase substantially and their losses would also increase.

H.3. Examination by the Authority

64. The Authority has taken note of the submissions made by the domestic industry and the other interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on the prices in the domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on the domestic producers of such products.
65. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
66. In consideration of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of the imports from the subject countries.
67. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority consider all injury parameters and, thereafter, concludes whether injury to the domestic industry continues, or will recur in case the antidumping

duty is ceased. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties.

68. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury and causal link and analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding preceding paras ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and the other interested parties.

H.3.1. Volume Effect of dumped imports and impact on the domestic industry

i. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

69. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied upon the import data procured from the DGCI&S. The demand has been determined as the sum of the domestic sales of all the domestic producers and the imports from all the countries. The apparent demand/consumption of the subject goods shows a positive trend throughout the injury period as can be seen from the table below:

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Domestic Industry sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	139	111
Sales of Other Domestic Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed			100	138
Total Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	220	223
Imports from Subject Countries	MT	14547	15559	13820	2982
Imports from China	MT	233	69	13	36
Imports from South Korea	MT	3349	2699	3023	2256
Imports from Taiwan	MT	38	85	-	-
Imports from Vietnam	MT	10928	12707	10784	690
Imports from Other Countries	MT	2702	2094	2209	1275
Total Imports	MT	17248	17653	16029	4257
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	121	69
Market share of Domestic sales in Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	182	327
% Share of Import from Subject Countries in Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	77	30

70. The demand of the subject goods has increased from *** MT in the base year to *** MT in the 2019-20. The domestic industry submitted that that due to Covid-19 pandemic, the demand declined in the POI but this is a short phenomenon, which is over. The domestic industry has further submitted that the imposition of the anti-dumping duties helped the applicant to increase its market share, but still the market share of imports from subject countries is very high.

H.3.2. Price effect of the imports on the domestic industry

i. Price Undercutting

71. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the imports with the domestic industry's net sales realization. The domestic industry has also analyzed the PCN-wise undercutting which shows that the domestic industry is forced to match the PCN-wise landed value from each of the subject countries in order to retain its customers and market share. From the analysis, it would be seen that the price undercutting from the subject countries as a whole is positive in the POI. In previous years also the difference between the landed value and the net sales realization is very minimal, which shows that the domestic industry was under pressure to match the prices of the exporters. The details of price undercutting are as below:

	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
China PR					
Landed value from China PR	Rs/MT	347011	366742	379475	834172
Trend	Indexed	100	106	109	240
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-479	-976	-12672
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-453	-892	-5271
Price Undercutting	Range	(5) - 5	(5) - 5	(10) - 0	(60) - (50)
Vietnam					
Landed value from Vietnam	Rs/MT	353602	373351	347555	326282
Trend	Indexed	100	106	98	92
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-236	-39	406
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-223	-40	440
Price Undercutting	Range	(5) - 5	(10) - 0	(5) - 5	10-20
South Korea					
Landed value from Korea RP	Rs/MT	368186	404665	366473	371238
Trend	Indexed	100	110	100	101
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-223	-92	-13
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-203	-93	-13
Price Undercutting	Range	(10) - 0	(20) - (10)	(10) - 0	(20) - (10)
Subject countries as a whole					
Landed value from Subject Countries	Rs/MT	356463	377515	351724	366430
Trend	Indexed	100	106	99	103

	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-216	-62	11
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	-204	-63	11
Price Undercutting	Range	(5) - 5	(10) - 0	(5) - 5	0-10

72. A detailed analysis was carried out PCN-wise and the Authority notes that the domestic industry has suffered price undercutting in respect of some of the deniers from some of the subject countries in various combinations. This further proves that only because of existing anti-dumping duties, the imports have declined and the domestic industry is able to get current realization which is still below the cost. The domestic industry firmly believes that if duties are not extended, the imports from the subject countries, especially from China and Taiwan will again increase multifold.

73. The Authority has also observed that different PCNs have been exported by the exporters from different subject countries and therefore, consolidated data is not reflective of the correct price pressure on the Domestic Industry. The Authority has therefore, carried out detailed PCN-wise analysis. It is further observed from the consolidated data that the prices of the Domestic Industry are in the range of (+/-) 5% of the landed value from subject countries. This further proves the credence of the submissions of the Domestic Industry that they have to match PCN-wise imports from subject countries. The PCN-wise analysis for the POI is tabulated below:

China PR/PCN	UoM	C015025	C025035	C035045	C065075	Other
Particulars	MT	17	17	0	0	1
Import Volume	Rs. Lacs	144	133	1	1	6
Imports value (CIF)	Rs. /MT	829,561	767,169	570,621	569,703	579,487
CIF Price	%	5%	5%	5%	5%	5%
Customs Duty (Rate)	Rs. /MT	41,478	38,358	28,531	28,485	28,974
Customs Duty	Rs. /MT	4,148	3,836	2,853	2,849	2,897
Cess on custom duty amount	Rs. /MT	875,187	809,364	602,005	601,037	611,359
Landed price of imports	Rs. /MT	426,104	375,675	340,674	349,261	426,104
Domestic Selling Price	Rs. /MT	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	(45)-(35)	(60) - (50)	(40) - (30)	(45) - (35)	(35) - (25)

South Korea	UoM	C015025	C025035	C035045	C055065	C065075	Others
Import Volume	MT	818	143	573	18	630	74
Imports value (CIF)	Rs. Lacs	3,024	553	1,914	61	2,134	253
CIF Price	Rs./MT	369,596	386,485	334,270	333,641	338,925	340,260
Customs Duty (Rate)	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Customs Duty	Rs./MT	18,480	19,324	16,713	16,682	16,946	17,013
Cess on custom duty amount	Rs./MT	1,848	1,932	1,671	1,668	1,695	1,701

South Korea	UoM	C015025	C025035	C035045	C055065	C065075	Others
Landed price of imports	Rs./MT	389,924	407,741	352,655	351,992	357,566	358,975
Domestic Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./MT	5-15	(10) - 0	(10) - 0	(5) - 0	(10) - 0	15-25

Vietnam	UoM	C000015	C015025	C035045	C055065	C065075	C075085	C105115	C135150
Import Volume	MT	4	139	253	53	198	14	12	18
Imports value (CIF)	Rs. Lacs	14	538	765	155	634	39	43	63
CIF Price	Rs./MT	355,985	387,424	303,000	293,004	319,451	288,604	355,985	356,480
Customs Duty (Rate)	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Customs Duty	Rs./MT	0	0	0	0	0	0	0	0
Cess on custom duty amount	Rs./MT	0	0	0	0	0	0	0	0
Landed price of imports	Rs./MT	355,985	387,424	303,000	293,004	319,451	288,604	355,985	356,480
Domestic Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./MT	15-25	5-15	5-15	10-20	5-15	5-15	0-10	0-10

[illegible]

Subject countries as a whole	UoM	C000015	C015025	C025035	C035045	C055065	C065075	C075085	C105115	C135150	Others
Price undercutting	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./MT	15-25	0-10	(20)-(10)	0-10	5-15	0-10	15-25	0-10	0-10	15-25

74. From the above, PCN-wise detailed analysis, the Authority notes that the Domestic Industry has suffered price undercutting against some of the deniers from some of the subject countries in various combinations. The Domestic Industry has claimed that they could not increase its selling price due to price pressure of low-priced dumped imports from the subject countries.

ii. Price suppression/depression

75. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period, as detailed below:

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Landed value from Subject Countries	Rs/MT	356,463	377,515	351,724	366,430
Trend	Indexed	100	106	99	103
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Cost	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	86	92
China PR					
Landed value from China PR	Rs/MT	347,011	366,742	379,475	834,172
Trend	Indexed	100	106	109	240
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Cost	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	86	92
Vietnam	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Landed value from Vietnam	Rs/MT	353,602	373,351	347,555	326,282
Trend	Indexed	100	106	98	92
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Cost	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	86	92
South Korea	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Landed value from Korea RP	Rs/MT	368,186	404,665	366,473	371,238
Trend	Indexed	100	110	100	101
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Cost	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	86	92

76. It is seen that the selling price of the domestic industry and landed price of the imports increased till 2018-19. The quantum of increase in landed price of imports was higher than the selling price of the domestic industry. The prices declined during 2019-20. However, in the POI, the cost of sales and the selling price of the domestic industry increased more than the increase in the landed price of the imports. The fact that the domestic industry is still selling in losses, makes it amply clear that the domestic industry is keeping its prices in accordance with the import price to sell their goods in the market and in that sense the imports from the subject countries have depressed the prices of the domestic industry in the POI.
77. From the above Table, it is clear that due to the low-priced landed value of imports from subject countries, the domestic selling is forced to match their prices in order to retain their customers. Since selling price of the Domestic Industry is lower as compared to the cost of the Domestic Industry, it shows adverse price pressure as they are not able to increase their sales price. This clearly proves that the prices of the Domestic Industry are suppressed and depressed.

H.3.3. Impact on economic parameters of the domestic industry

78. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, the various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. Capacity, production, sales & capacity utilization

79. The performance of the domestic industry with regard to the production, the domestic sales, the capacity and the capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	157	157	157
Production – Total	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	128	96
Production – PUC	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	126	92
Capacity utilization based on Total production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	82	61
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	139	111

80. The capacity of the domestic industry has increased in the POI as compared to the base year. The Authority notes the submission of the domestic industry that it continued to produce at a high level of capacity in order to reduce its fixed cost which is approximately 30% of the total cost of sales of the subject goods. This approach allowed the company to remain afloat despite lower prices from the subject countries. The difference between the cost of sales and the selling price could not be bridged due to aggressive pricing by the exporters of the subject goods from the subject countries. The production and the sales of the company declined in the POI due to Covid-19 pandemic. It is further noticed that imports also followed the same trend of demand.
81. The applicant has claimed capacity as reported by the management and as reflected in the cost audit report. However, the Authority has considered the capacity as reported in the Pollution Control Board Certificate submitted by the applicant.
82. With regard to the utilization of capacity in this investigation, the Authority notes that the issue as to what capacity of the applicant is to be considered for the PUC was also discussed at length in another anti-dumping investigation conducted by the Authority involving the same applicant and the same PUC. That anti-dumping investigation was concerning the import of "Elastomeric Filament Yarn" originating in or

exported from Singapore. In that investigation, the final findings notification was issued on 28th September, 2021. In that investigation, the domestic industry had argued on the modification of the capacity, production, regrouping/disallowance of certain expenses while computing the NIP and the Authority had noted that each element of the cost in the NIP along-with the capacity considered for optimization was disclosed to the applicant domestic industry vide email dated 27th August, 2021. As regards the capacity, the domestic industry had provided the certificate dated 11.10.2018 of the installed capacity issued by the Department of Industries, Government of Himachal Pradesh and approval of the Board of Directors of the domestic industry dated 05.09.2016. On the website of Indorama Industries (<https://www.indorama.com/affiliated-companies/indorama-industries-limited>) also, the installed capacity of *** MT was mentioned. Therefore, the capacity of *** MT per annum was considered in the NIP workings. However, the domestic industry had submitted that the Authority need not consider these aforesaid documents as its increased installed capacity is based on different assumption and its real installed capacity is different. The domestic industry had also submitted subsequent Board resolution dated 10th August, 2021, which stated the achievable and the practical capacity of ***MT. The domestic industry was requested several times to provide supporting documents like internal project report, capacity evidence submitted to any other authority, 3rd party project report submitted to any bank, technical evidence for different assumptions and other documents to substantiate its claim. However, the domestic industry could not provide any evidence. Accordingly, the capacities mentioned in the certificate issued by the Department of Industries (Government of Himachal Pradesh) and also supported by the domestic industry's own Board of Directors approval was considered for working out the NIP on the basis of the best available facts and in terms of Rule 6(8) of the ADD Rules.

83. Therefore, in the present sunset review investigation also, the capacity of *** MT per annum has been considered in the NIP working.

ii. Market share

84. The market share of the alleged dumped imports and the domestic industry have been examined as below:

Market Share	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Total Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	121	69
Domestic Sales	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	182	327
Subject Countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	77	30
Other countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	75	67	67

85. It is noted from the above that the demand / apparent consumption for the product under consideration has increased till 2019-20. However, the same declined in the POI. The market share of the domestic industry increased in the POI as imports were restricted due to covid pandemic. The domestic industry claims that only due to low priced imports, the imported goods are preferred over their goods.

iii. Inventories

86. The inventory with the domestic industry has been examined as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	103	71

87. It is seen that the average inventory level of the domestic industry has shown increasing trend till 2019-20. However, during the POI the inventory declined.

iv. Profits, Return on Investment and Cash Profit

88. The performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed:

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	139	111
Sales value (Rs. Lacs)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	139	119
Selling price	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	100	107
Landed Value without ADD	Rs. /MT	356,463	377,515	351,724	366,430
Indexed	Indexed	100	106	98	99
Anti-dumping duty (average)	Rs. /MT	21,456	22,655	21,488	12,771
Landed Value with ADD	Rs. /MT	377,919	400,170	373,212	379,202
Cost	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	119	103
Cost	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	86	92
Profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(77)	(11)	(12)
Profit/loss per unit	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(66)	(8)	(11)
Depreciation	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	137	135
Depreciation	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	108	143
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	56	350	344
Cash Profit	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(3)	141	187
Capital employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	102	96
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(84)	(11)	(12)

89. The domestic industry has submitted that due to the imposition of the anti-dumping duties against the subject countries, the domestic industry was on the path of recovery. It is further noted that the domestic industry has increased its capacity post imposition of the duties against the subject countries, as dumped imports have reduced from China PR and Taiwan. It may also be seen that the losses of the domestic industry have come down in the year 2019-20. However, they have again increased in the POI. It is claimed by the domestic industry that the high losses in the year 2018-2019 were on account of the high raw material prices which the industry could not pass on to their customers in view of the fact that the import prices from the subject countries prevented them from increasing their prices in tandem with the increase in the raw material prices. It is noted that the profitability of the domestic industry has been adversely affected in the period of investigation due to dumped imports from the subject countries. It clearly indicates that due to the dumped imports from the subject countries, the domestic industry is not able to increase its prices to a remunerative level. The Table shows that the financial performance of the domestic industry has been adversely affected.

This is essentially on account of the dumped imports from the subject countries coming at very low prices due to which the domestic industry is forced to lower its prices and that has caused injury to them. Consequently, the profitability per MT of the domestic industry, return on capital employed, cash profits and profit before interest were also impacted.

v. Employment, Wages and Productivity

90. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Year	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	128	96
Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	106	108
Production/employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	118	87
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	127	118
Wages / Employee	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	120	109

91. It is noted from the below table that the number of employees engaged by the domestic industry has increased throughout the injury investigation period. However, in order to reduce its cost and to remain competitive in the market, the wages per employee declined in the POI as compared to the previous years.

vi. Magnitude of dumping

92. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India and are consequently causing injury to the domestic industry. The dumping margin from the subject countries except China PR is positive.

vii. Growth

93. The parameters such as production, sales, capacity utilization, profits, profit before interest, return on capital employed were analysed.

viii. Ability to raise fresh investment

94. The applicant has submitted that the profitability of the domestic industry has been impacted by the dumped imports in the past and considering the significant capital investment being undertaken in the country by other producers, protection against the dumped imports is necessary.

ix. Observations on injury

95. Considering the various parameters relating to the material injury, it is seen that overall performance of the domestic industry improved post imposition of the anti-dumping duties. However, they are yet to fully recover due to low priced imports from the subject countries. The volume of the subject imports declined during the injury investigation period, primarily on the ground that Hyosung India has started production and with anti-dumping duties in place, the exporters from China and Taiwan are not able to compete with the Indian producers. The Authority has thus considered that the deterioration in the production, capacity utilization, sales and the market share in the POI is not fully due to imports, and is also due to COVID-19 pandemic, but the same is temporary and will improve gradually. The fact that landed value of the subject goods from the subject countries as a whole is still below the cost of the domestic industry and their selling price, gives clear indication that the injury to the domestic industry is due to the dumped imports from the subject countries.

x. Magnitude of Injury Margin

96. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC have been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the

practising accountant for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. The best utilisation of the production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

97. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

Country	Producer / Exporters	NIP (USD/MT)	Landed value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Range
China PR	Any producer	***	***	***	***	(40)-(50)
Korea RP	Hyosung TNC Corporation, Korea RP	***	***	***	***	(30)-(40)
Korea RP	T K Chemical Corporation, Korea RP	***	***	***	***	10-20
Korea RP	Any other	***	***	***	***	20-30
Vietnam	Hyosung VietNam Co. Ltd., Vietnam & Hyosung Dongnai Co. Ltd., Vietnam	***	***	***	***	30-40
Vietnam	Any other producer	***	***	***	***	40-50
Taiwan	Any producer	-	-	-	-	-

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

98. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry so that the injury caused by these other factors is not attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in the original investigation, the Authority still examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.
99. It is noted that the listed known factors have not caused injury, as is seen from the following:
- The imports of the subject goods from sources other than the subject country are below de-minimis or non-dumped or subject to the anti-dumping duties.
 - There is no contraction in demand for the products under consideration in India, except for during the period of investigation, that too due to COVID-19 pandemic.
 - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, the changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.
 - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
 - The technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, the developments in the technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic injury.

- f) The Authority has considered the data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, the export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

J.1. Submissions made by the other interested parties

100. The submissions of the other interested parties with regard to the likelihood of injury are as below:

- i. The applicant has failed to prove that cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. There is no evidence to show that cessation of duty will translate into injury in future.
- ii. There is no price attractiveness of the Indian market. The users prefer to buy from the Indian producers and only some specific brands are being imported.
- iii. There is no surplus capacity with the participating exporters.
- iv. Threat parameters listed in Annexure II are mandatorily required to be examined as per Hon'ble Gujarat High Court decision in the case of Nirma Limited vs Union of India. The Authority has examined the same in the sunset review investigation of Certain Rubber Chemicals and Sodium Nitrite.
- v. The domestic industry is required to prove that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in event of cessation of duty which cannot be shifted to the exporters. The contention that the exporter should establish no likelihood of continued dumping is deprived of merit.

J.2. Submissions made by the domestic industry

101. The submissions of the domestic industry with regard to the likelihood of injury are as below:

- i. The domestic industry is still suffering injury from the dumped imports from the subject countries. This in itself is a good indicator for extension of the anti-dumping duties. Even other investigating authorities around the world consider current injury due to dumped imports a strong ground for continuation of the anti-dumping duties.
- ii. The decline in the imports post imposition of the duty and positive dumping margin and price undercutting in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and it in itself justifies extension of anti-dumping duty.
- iii. Post imposition of the duties, Hyosung Corporation (Korean producer) has started its operation in India to cater the growing Indian demand. This shows as to how important the Indian market is, if duties are removed at this stage from the subject countries, not only applicant's investment, but the investment of Hyosung India (the only other producer of the subject goods in India) will be at risk.
- iv. In terms of the attractiveness of the Indian Market, it is submitted that due to high growth chances, India is the prime market for the subject goods for the subject countries.
- v. The domestic industry has submitted that India ranks 6th in terms of the preferred export destination for the Chinese producers. It is also submitted that countries ahead of India do not have enough demand to consume the Chinese sales fully. Since India has the capability to consume Chinese exports, the current level of imports will unquestionably increase in case of any revocation of duties at this moment.
- vi. The domestic industry has submitted that as per China Spandex Industry Outlook Report, their existing capacity is 872,000 MT, which is ** times of the Indian demand. It is further submitted that Chinese producers are also about to increase new capacity of 120,000 MT which is around ** times of the Indian demand. Post increase in demand, the Chinese capacity will be around ** times which is substantial and can ruin the Indian market, which is protected by way of the anti-dumping duties.
- vii. The domestic industry has submitted that the operating rate of spandex plant in China has increased/is expected to increase from 83% in 2020 to 95% in 2021. With increase in the capacity and the operating rate, Chinese exports are also like to increase by 24%. At this time, if duties are not extended, Indian market will be captured by the Chinese exports. Therefore, extension of duties is very important.
- viii. The domestic industry has submitted that in addition to above, the domestic industry has also submitted that by 2022, about 112,000 MT (232,000-120,000) of capacity is also about to be added in China. This addition of capacity clearly indicates that if the anti-dumping duties are removed at this stage, it will be detrimental for the Indian industry's current and future investment.

- ix. In the case of Vietnam, Indian ranks at 3rd position in terms of the preferred export destination for the Vietnamese producers.
- x. Similarly, India rank 5th in terms of the preferred export destination for the South Korean producers.
- xi. None of the producers have participated from Taiwan. However, based on trade map data the dumping and injury margin are positive. Hence, Taiwan is also export attractiveness for India.
- xii. India is placed 10th for exports of the subject goods from China PR. This low % in comparison to the other subject countries is also because of duties and if duties are removed, the subject goods will again flow into the Indian market. Even the Korean exporters and their association have also requested for extension of the anti-dumping duties on China PR.
- xiii. The domestic industry has submitted that as per the reports of the Trade Map, there is significant untapped export potential from the subject countries. Therefore, if the duties are not continued against the subject countries, the producers / exporters from the subject countries will increase their exports to India.

J.3. Examination by the Authority

- 102. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.
- 103. The Authority observes that this is a sunset review investigation, the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if anti-dumping duties is to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
- 104. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
- 105. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, the Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Anti-dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, for factors which are required to be taken into consideration viz.:
 - i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - iv. Inventories of the article being investigated.
- 106. Further, the Authority has also examined other relevant factors having a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
- 107. Insofar as the arguments of the cooperative foreign producers regarding their own capacities and exports are concerned, it is noted that the likelihood analysis must be conducted for the subject countries as well, and not for individual producers in those countries only. Therefore, in addition to the information given by the responding exporter, the Authority has also considered information for exporting country cumulatively for all producers/ exporters.

a. Continued dumping of the subject goods

- 108. The Authority notes that the dumping of the subject goods has continued from subject countries, in spite of the duties in force, except China as their quantities are too small and prices are not representative
- 109. It is submitted by the domestic industry that only because of higher anti-dumping duties exporters from China and Taiwan are not able to export the subject goods to India. The duties from each of the subject countries is tabulated below:

Country of Import	Anti-dumping duties*		Import Quantity
	\$/Kg	Rs. / Kg	
Vietnam	0.36*	26.6	690
Korea	0.15*	11.1	2256
China	3.44*	254.6	36
Taiwan	2.50*	185.0	0

*Highest duty from respective Country

110. From the above, it is noted that the import quantities from the subject countries are directly in proportion to the duties imposed on them. It is also noted that since the product under consideration is a commodity product, slight variation in prices, changes the buying decision of the customers. It is also noted that the anti-dumping duties are lowest against South Korea, so imports were highest from there. Further, due to higher duties from China and Taiwan, imports are negligible from these two countries. This clearly proves that in the absence of duties, the dumping of the subject goods is likely to increase, and they are likely to injure the domestic industry in India.

111. It is further noted that there are other producers in China who have not cooperated in the present investigation. Even the producer who has participated from China had not provided the complete PCN wise details and thereby its data has been rejected. In view of the non-representative quantities and non-cooperation from China, it is difficult for the Authority to ascertain the fair prices of the subject goods from China.

b. Untapped export potential of the subject countries

112. The Authority notes that the domestic industry has adduced evidence of untapped export potential from the subject countries. The information on record is as under:

Particulars	UoM	Export Potential	Current Exports	Untapped Potential	Untapped Potential %
China	USD	21400000	5500000	15900000	74%
South Korea	USD	788200	13100	775100	98%
Taiwan	USD	708700	306000	402700	57%
Vietnam	USD	1000000	85000	915000	92%

113. The Authority further notes that the above information is for Elastomeric Filament Yarn (EFY) as a whole and not for the product under consideration as defined. The Authority has, therefore, checked the reasonableness of this information by analyzing the product under consideration percentage to overall production of EFY from the data submitted by the producers / exporters from the subject countries and also by the domestic industry.

Particulars	Total Production (In MT) POI	PUC Production (In MT) POI	% Of PUC Production	% Of PUC Production Range
Domestic Industry	***	***	96.66%	90-100%
Hyosung TNC, Korea	***	***	58.52%	55-65%
T K Chemicals, Korea	***	***	99.60%	90-100%
Hyosung Dong Nai, Vietnam	***	***	100.00%	90-100%
Hyosung VietNam, Vietnam	***	***	84.77%	80-90%
Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd, China	***	***	100.00%	90-100%
Total	***	***	84.43%	80-90%

114. From the above, it is noted that around 80-90% of the total production of the EFY is accounted by the production of the product under consideration. In view thereof, the data presented by the domestic industry

about export potential is found to be reasonable and thereby accepted by the Authority for likelihood examination.

c. Freely disposable capacities present with subject countries and their export Orientation

115. From the information on record, shows the capacity available with the producers of the subject goods in the subject countries.

Particulars	Total Capacity	Surplus Capacity	Current Exports	Export Orientation	Export Orientation Range
Hyosung TNC	***	***	***	42%	40-50%
T K Chemicals	***	***	***	88%	80-90%
Korea	***	***	***	64%	60-70%
Hyosung Dong Nai	***	***	***	83%	80-90%
Hyosung Vietnam	***	***	***	67%	65-75%
Vietnam	***	***	***	73%	70-80%
Chuanglai Fiber (Foshan) Co., Ltd	***	***	***	56%	50-60%

116. In relation to China, the domestic industry has submitted data showing that the current capacity in China, i.e., 872000 MT is more than *** times of the demand in India.

d. Imminent significant expansion in production capacities

117. The domestic industry has provided information regarding expansion of capacities, which shows that the capacities in China PR are likely to increase by 232000 MT per annum by 2022, implying an average capacity expansion of about 116000 MT per annum, which is also around *** times of the Indian demand during POI. Further, the Chinese producers are already holding surplus capacities. The domestic industry has also provided data indicating increase in operating rate of spandex plant in China from 83% in 2020 to 95% in 2021.

e. Likely Dumping margin and Injury margin is positive from Taiwan

118. The domestic industry has submitted that none of the producers from Taiwan has participated in the investigation, as they cannot compete with the domestic industry with current anti-dumping duties. It is noted that this is the reason why they are not exporting the subject goods to India. The domestic industry has, however, provided information about likely dumping and injury based on the available data from secondary sources. From the data, it is noted that the dumping margin and the injury margin is not only positive but also significant, indicating strong likelihood of increased in dumped and injurious imports from Taiwan.

Likely Dumping and Injury Margin Calculation

Taiwan Exports to World	KG	603911
FOB value	USD	1519000
FOB Rate	USD/KG	2.52
Less: Inland Freight @ 5% of FOB	USD/KG	0.13
Less: Port charges @ 1% of FOB	USD/KG	0.03
Net Export Price	USD/KG	2.36
Constructed normal value	USD/KG	3.768
Dumping Margin	USD/KG	1.40
Dumping Margin	%	59%
Dumping Margin	Range	55-65
Taiwan Exports to World	KG	603911

FOB value	USD	1519000
FOB Rate	USD/KG	2.52
FOB Rate	USD/MT	2515
Ocean Freight	USD/MT	98.8
Insurance @.5% of FOB	USD/MT	13
Landed Value	USD/MT	2,627
NIP	USD/MT	5,915
Injury Margin	USD/MT	3,289
Injury Margin	USD/MT	125%
Injury Margin	Range	110-120

f. Price attractiveness of the Indian market

119. The domestic industry has submitted that in case of expiry of duty, exports from the subject countries would channelize their output in the Indian market in view of the growing demand in India. The domestic industry has submitted as under:

- a. Post imposition of the duties, Hyosung Corp. (Korean producer) has started its operation in India to cater the growing Indian demand. If duties are removed at this stage from subject countries, not only applicant investment, but the investment of Hyosung India (the only other producer of subject goods in India), will be at risk. Moreover, future investigation in India will also be stopped.
- b. In terms of the attractiveness of the Indian Market, it is submitted that due to high growth aspect, India is the prime market for the subject goods.
- c. Based on the secondary source data, there is evidence of the preference of the Indian market for the exporters from the subject countries despite imposition of the anti-dumping duties. The domestic industry has also submitted that if anti-dumping duties are removed at this stage, ranking of the India as export destination would further go up.
 - i. India ranks 6th in terms of the preferred export destination for the Chinese producers. Here, it is important to note that countries ahead of India do not have enough demand to consume much Chinese sales. Since India has the capability to consume Chinese exports owing to huge demand, revocation of duties at this moment will jeopardize the position of Indian producers.
 - ii. India ranks 5th in terms of the preferred export destination for the South Korean producers. Similarly, for Taiwan also there is export attractiveness for India. India is placed 10th for exports of the subject goods. This low % is also because of duties and if the duties are removed, India's ranking would further go up as preferred export destination.
 - iii. India ranks 3rd position in terms of the preferred export destination for the Vietnamese producers.

K. POST-DISCLOSURE SUBMISSIONS

120. The post disclosure submissions have been received from the interested parties and the domestic industry, and it is noted that most of the issues raised are reiterations and have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions have been analyzed as under:

K.1. Submissions made by the other interested parties

121. The submissions made by the other interested parties are as under:

- a. The DGTR even in its procedure part did not mention anything about PCNs or correspondence was sent to the interested parties to file PCN information, whereas in recent investigations, the Authority has issued instructions to file PCN-wise information. This further shows that the DGTR never intended to issue PCN.
- b. It is further submitted by CFF and SGP that they have requested DGTR in their various submissions that if the Authority requests for the PCN information, it will be provided. Since no communication was received from DGTR, the same is not provided to the Authority even during the verification process. The Authority had not called for PCN-wise information. Therefore, the rejection of the CFF and SGP on non-filing of PCN-wise data is completely incorrect and illegal.

- c. That the LYCRA® products produced and exported by the exporters constitute unique products manufactured through patented processes which are protected under multiple intellectual property registrations. The exporters had also provided detailed evidence of such intellectual property protection in their preliminary and written submissions and, therefore, LYCRA should be excluded from the scope of the PUC.
- d. That since the domestic industry has itself claimed exclusion of Lycra from product scope in the investigation against Singapore on the grounds of patented product and commercially higher prices, the same should be excluded from the instant sunset review investigation also. It is further submitted that since the Authority can restrict the scope of the product under consideration in the sunset review as indicated in their manual and also as per the practice of the Authority emerged out of recent findings, the same principles is requested to exclude LYCRA from the scope of the product under consideration.
- e. That the Authority must take into consideration public interest of the user industry before making any determination for continuation of ADD.
- f. It is further submitted that the users are buying Creora brand products manufactured by other exporters as the domestic industry is also not manufacturing brand Creora and, therefore, the same should be excluded.
- g. The Authority has not made any observation regarding the status of HIPL as an interested party. Since the Authority in the past has considered even those producers as domestic industry who are related to exporters / importers or are themselves importers, the DGTR should include HIPL as part of the DI.
- h. In the disclosure statement, the Authority has not made statement that whether domestic industry has fulfilled its obligation under Trade Notice or not. This shows that their information is not as per format. Further, the petitioner has failed to discharge its burden as the petition lacks reliable evidence of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- i. That the Authority should provide reasons for not complying decision of the Hon'ble CESTAT while providing DGCI&S import data.
- j. That there is no injury to the domestic industry and all the injury parameters are showing improvement. Therefore, it is clear that neither there is any injury nor there is any likelihood of injury to the domestic industry.
- k. That the observation of the Authority in relation to the production of the PUC and the total production for CFF group is incorrect because Lycra is not the PUC and that they are only producing Lycra.
- l. The responding exporters from Korea RP and Vietnam have submitted that for the stability of the supply and demand in the Indian market and the domestic industry, the existing duties from China PR are very critical. Further, if surplus capacities of China PR are exported to India, the market of India will be adversely affected.
- m. There is no injury to the domestic industry from the imports from Korea. Further, since Hyosung has invested heavily in India, the threat of injury from Korean imports will be limited.
- n. Hyosung TNC, Korea has submitted that the Authority should continue their negative duties in the sunset review investigation. They along with other producers from Korea RP and Vietnam have submitted that the Authority has rightly rejected the request for exclusion for Lycra, as domestic producers are producing like article and also supplying in the market. Further, the users are using the imported goods and the domestically produced goods interchangeably. This further shows that Lycra cannot be excluded. Hyosung also submitted that in case the Authority accepts the request of exclusion of Lycra, then their brand Creora should also be excluded from the scope on the same principles.
- o. That there is no need for extension of anti-dumping duty on the imports of the PUC from Vietnam on account of the fact that the respondents are the only known exporters of the PUC from Vietnam and the respondents from Vietnam intend to cease exports of the PUC to India in the coming months. This is because Hyosung India Private Limited ('HIPL'), the related company of respondents and a domestic producer of the PUC in India, plans to achieve full manufacturing capabilities and provide the user industry with good quality PUC, of all types and varieties, in India. The exports from respondents were merely a stop-gap arrangement, to ensure supply of the PUC to the end users in India, as HIPL was unable to produce due to the unprecedented COVID restrictions at a nascent stage of its operations. Thus, there is no likelihood of recurrence of dumping from

- Vietnam as the exports by the respondents are expected to cease in the upcoming months. However, the duties against China, Taiwan and Korean producers should be continued.
- p. That the ADDs need to be extended on the PUC imported from China PR, Taiwan and TK Chemical Corporation, Korea RP ('TKCC'), as there is strong likelihood of continuation or recurrence of dumping of the PUC and consequent material injury owing to the imports of the PUC from China PR, Taiwan and TKCC, Korea RP.
 - q. That as per the Indian anti-dumping law framework, there is no legal requirement to examine the likely effect of ADD on the employment in the downstream sector in an anti-dumping investigation. Further, it may be noted that the issue of public interest is multi-faceted and should also include the concerns of the domestic producers. The continuation of the anti-dumping duties will not be against the interests of the users as impact is very minimal.
 - r. That by failing to provide the required PCN-wise information, CFF and LYCRA Co. handicapped the Authority to carry out individual PCN-wise dumping and injury analysis, thereby, vitiating their response and, therefore, the rejection of their response is justified. Since other exporters have provided complete PCN-wise information, acceptance of the data filed by CFF would be unfair and discriminatory toward those exporters who have filed complete information within time.
 - s. That the negative injury margin for China PR is irrelevant as the decision of whether to extend the ADD or not depends on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Since none of the exporters from China PR fully participated in the investigation and considering their capacity and surplus exportable capacity, the extension of duty against China is critical for the survival of the domestic producers. The Authority in the recent investigations extended the duties against Chinese exporters despite negative dumping margin and injury margin considering their likelihood and same standard should be applied in this investigation also.

K.2 Submissions of the domestic industry:

122. The submissions made by the domestic industry are as under:

- a. The domestic industry submits that the Authority has accepted the responses of exporters from Vietnam and Korea RP despite the fact that they have not provided their related party responses who are involved in domestic sales transactions and marketing and selling the subject goods in India. This is against the practice of the DGTR and also injustice with the parties who have fully participated in the investigation.
- b. The domestic industry has also submitted that there is no threshold for the related parties which can be exempted and, therefore, the proposal of the Authority to accept response of the exporters on the ground of its minimal transactions is incorrect. The Authority in the past despite having no transactions with related parties has rejected responses of complete group, if one of the entities did not file response. In view thereof, the domestic industry requested the Authority to reconsider its decision of acceptance of their response.
- c. That the Authority has rightly rejected the request for exclusion of Lycra. The domestic industry has further submitted that since they are producing like article, there can be no question of any exclusion from the product under consideration. It is further submitted by the domestic industry that the Authority in the recent investigation has conducted separate investigation for sunset review for extension of duties and mid-term review investigation for exclusion of a product from the product scope. This clearly established the fact that the Authority does not entertain any request for exclusion from product under consideration in the sunset review investigation.
- d. The domestic industry has also submitted that if the Authority accepts the request of exclusion of Lycra on the basis of its brand name and value despite the fact that the domestic industry is producing like article, then the Authority should confirm that the same approach will be followed in all other cases also. The domestic industry has also requested the Authority to confirm that the product under investigation should be the same in different investigations irrespective of the sources.
- e. In relation to the exclusion of Lycra from the scope of the product under consideration in the investigation against Singapore, the domestic industry has submitted that it is not unusual for the Authority to have different product scope for different investigations. In the past also, there were cases wherein the product under consideration in one investigation becomes non-PUC in other investigation having different sets of countries. Therefore, reliance on the scope of the investigation against Singapore for exclusion of Lycra from the current investigation is not only illogical but also ill-founded in law or practice.

- f. That the rejection of CFF is justified as they have failed to file the complete information despite fully knowing that the Authority has made PCNs in the original investigation and that the domestic industry has filed PCN-wise information in the application for price analysis. Moreover, they have also not filed responses of their related parties in China PR producing the subject goods. In view thereof, their rejection is justified.
- g. The domestic industry submits that since none of the exporters from China PR and Taiwan has fully cooperated in the investigation and participated, the Authority should extend the current duties against China PR and Taiwan as was done in the recent investigations against China PR.
- h. In relation to the public interest, the domestic industry submits that there is less than 0.5% impact on the users of the current duties. Moreover, the fact that the number of users protested in the sunset review in comparison to the original investigation also clearly show that there is no impact on the user industry. On the contrary, current duties have not only helped the domestic industry to reduce their losses but also seen new investment in India. Since the domestic industry is currently incurring losses from the imports of goods from the subject countries, the extension of duties is very critical for the producers of the subject goods in India.
- i. The Authority has erroneously considered their capacity as *** MT instead of *** MT as reported by them in their application and also in the cost audit report. It is further submitted that the certification of management also made it absolutely clear that under the present circumstances only *** MT can be produced. Therefore, the reliance of the Authority on pollution control board document was not only incorrect but unfair to the domestic industry. It is further submitted that even post verification also, the reliance on pollution control board is contrary to the practice of the Authority wherein the Authority verified the claims of the domestic industry to be used in the final findings.
- j. The domestic industry further submits that the decision of the Authority of using capacity as *** MT is in violation of the Supreme Court order, which clearly says that the plants wherein capacities are indeterminated, DGTR should use actual production and not optimum capacity utilization. In view of the aforesaid, the domestic industry requests the Authority to reconsider the capacity issue and redetermine the NIP accordingly.
- k. The domestic industry also submits that the Authority should conclude that there is likelihood of continuous injury and dumping from the subject countries and, therefore, the extension of duties is very critical for the survival of the domestic industry in India.

K.3 Examination by the Authority

123. The Authority notes that most of the submission made by the interested parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The finding above ipso facto deal with these arguments of the parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.
124. In relation to mention of PCN-wise information in the procedural part and issuance of instructions for filing PCN-wise information in other investigations, it is noted that since DGTR has not changed the PCNs made and used in the original investigation after detailed discussions with all the interested parties, there was no requirement of reissuing the same PCNs again, specifically when DI in its petition has referred to those PCNs and provided the information according to that. Since the DGTR specifically mentioned "*The applicant has used the product control numbers (PCN) issued by the Authority in the original investigation for price analysis*" in the initiation notification, it is amply clear that the information has to be provided accordingly. However, CFF and SGP decided not to provide information as per original PCNs and to obfuscate the investigation process, reiterated their submission regarding non-filing of information PCN-wise. It is further noted that since all other producers / exporters from South Korea and Vietnam had filed PCN-wise information after reading the same set of information (initiation notification and application of the DI), it is reasonably presumed that CFF and SGP have intentionally not filed the PCN-wise information. In view thereof, the rejection of their response is justified.
125. In relation to the submissions of CFF group relating to no communication from DGTR for providing PCN-wise information, it is noted that DGTR in their communication dated December 30, 2021, requested the above-mentioned companies to provide clarification for not providing PCN-wise information. The exporter, however, at that stage also decided not to provide the PCN-wise information and merely reiterated earlier submissions. Since the exporter decided to obfuscate the process, their rejection is justified. In relation to their filing of PCN-wise information post issuance of the disclosure statement, it is submitted that the same is filed at a much belated stage and, therefore, the same cannot be accepted by the Authority now. In addition, the Authority has also rejected the response of CFF and SGP.

126. In relation to the exclusion of LYCRA from the scope of the product under consideration, the Authority has again analyzed all the submissions filed by the exporter and other interested parties during the course of the investigation and also with the comments on the disclosure statement and noted that the request of the exporter to exclude Lycra was mainly on the ground that is not maintainable for requesting exclusion of any product. The exporter has not provided any evidence that domestic industry is not producing the like article, and on the contrary, the domestic industry and other exporters have submitted that like article is being produced and supplied in India by the domestic industry. Even the users/user association have also not requested exclusion of Lycra. In this context, it is noted that the domestic industry is producing the like article to the goods imported under the brand “LYCRA” and, therefore, the same cannot be excluded from the scope of the PUC. Moreover, the goods produced by the domestic industry and brand “Lycra” are used interchangeably by the users.
127. The Authority has placed reliance of the original investigation because the issue relating to exclusion of brand Lycra and Creora was discussed and debated in detailed. Since none of the facts have changed, the Authority has referred to the relevant paragraphs and confirmed the definition of the product as defined in the original investigation.
128. In relation to the submissions relating to patents, it is noted that the domestic industry is not producing Lycra but they are producing and supplying like articles. Even other exporters / producers have also supported the examination of the DGTR in relation to non-exclusion of Lycra from the product scope and, therefore, the Authority confirms the scope of the product as defined in the original investigation. If exclusions are agreed only because of differentiation on brand names, then technically every article could be excluded.
129. The exporters from Vietnam and Korea RP have submitted that the Authority should not exclude Lycra from the scope of the product under consideration.
130. The domestic industry and other participating exporters have also supported the rejection of the request for exclusion of Lycra, on the ground that the domestic industry is producing and supplying the like article to the imported PUC. Moreover, the domestic industry has also relied upon the final findings of the Authority, wherein the Authority categorically rejected the exclusion of the product under consideration. In view of the aforesaid, the Authority upholds the definition of the product scope as defined in the original investigation.
131. The Authority notes that certain interested parties have argued exclusion of HIPL from the definition of the domestic industry and others have argued for them to be in the scope of the domestic industry. The Authority in this context notes that since HIPL is not only a self-importer, but also related to the exporters from South Korea RP and Vietnam (100% exporter from Vietnam), they cannot be considered as eligible domestic industry. However, they are domestic producers of the subject goods. In relation to their acceptance as supporter, the Authority notes that since in the absence of any other producer, the applicant accounts for 100% of the total eligible production, there is no relevance of HIPL as supporter in the investigations. As far as their legal submissions are considered, the Authority accepts the same.
132. In relation to the submissions relating to the export price, the normal value and the dumping margin for China PR, it is noted that the Authority has used facts available on record since none of the Chinese producers has participated with complete data in the investigation. The Authority also notes that there are some discrepancies that were found in the calculation of the dumping margin, the same have been corrected in the final findings.
133. In relation to the submissions relating to the injury and the causal link, it is submitted that the same are repetition of the earlier submissions which were analyzed in detail by the Authority in the disclosure statement and also in the final findings at the relevant paragraphs.
134. In relation to the submissions on the issue of the public interest, the Authority is analyzing the impact on the users. In this context, it is noted that none of the users / user association have provided any material to support their claim. On the contrary, the domestic industry has shown that the current anti-dumping duty has very minimal impact (less than 0.5%) on the user industry. It is also noted that on the one hand, the current duties have no adverse impact on the users, and on the other hand, it has not only helped the domestic industry to reduce its losses but also got Hyosung to open manufacturing facility in India. From the aforesaid, it is noted that there will be no negative impact on the user/downstream industry.
135. In relation of the capacity related submissions of the domestic industry, it is noted that the Authority has provided the detailed reasons in the relevant portion of this final findings. Moreover, it is noted that the Authority has used the capacity as ***, as per its consistent practice. In view of the aforesaid, the Authority notes that there is no need for any modification in either the capacity or the NIP.
136. In relation to the submission on the likelihood analysis in the disclosure statement, the Authority notes that none of the interested parties has provided any evidence or information to show that the analysis done by the Authority is incorrect. Moreover, the producers and exporters from South Korea and Vietnam along with the

domestic industry have supported the analysis of the Authority in respect of likelihood analysis. The domestic industry has also requested the Authority to confirm its analysis in respect to likelihood from the subject countries.

L. Conclusion on the Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Consequent Injury to the Domestic Industry.

137. From the above analysis, the Authority concludes that:

- i. The data regarding the freely disposable capacities present with subject countries shows that the current capacity in China, i.e., 872000 MT is more than 57 times of the demand in India.
- ii. The data regarding the expansion in the production capacities in China indicates increase in the operating rate of spandex plant in China from 83% in 2020 to 95% in 2021.
- iii. The likely dumping and injury margin in respect of Taiwan is not only positive but also significant.
- iv. Due to high growth rate for the subject goods, India is the prime market for the subject goods. That is why post imposition of the duties, Hyosung Corp. (Korean producer) has started its operation in India to cater the growing Indian demand.
- v. Since the subject goods are price sensitive and a slight variation in prices changes the buying decision of the customers, the import quantities from the subject countries are directly in proportion to the duties imposed on them. The anti-dumping duties are lowest against South Korea and, therefore, the imports were the highest from there. Likewise, due to higher duties on China and Taiwan, the imports are negligible from these two countries. Further, in view of the non-representative quantities and non-cooperation from China, it is difficult for the Authority to ascertain the fair prices of the subject goods from China. The data shows there is sufficient freely disposable capacities present with subject countries and they have export orientation.
- vi. This clearly shows that in the absence of the duties, the dumping of the subject goods is likely to increase from the subject countries and these exports are likely to injure the domestic industry in India.

138. Thus, in the event of cessation of the existing anti-dumping duties, the dumping of the subject goods is likely to intensify, causing injury to the domestic industry.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

139. The Authority notes that the purpose of the anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of the anti-dumping measures does not aim to restrict the imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

140. The Authority considered whether continuation of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the continuation of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.

141. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/user association to provide relevant information with regard to the present investigation including any possible effects of the anti-dumping duty on their operations. It is also noticed that users / user association have made mere submissions but not provided any evidence or information that can be considered as relevant. On the contrary, the domestic industry has proved beyond doubt that there will be no adverse impact of continuation of the duties on the users of the subject goods

142. The Authority has also examined the impact of the continuation of duty on the interests of the users. The Authority notes that the imposition of duty will not in any manner restrict the imports, but only ensure that the goods are available at fair prices. Further, there would be no demand-supply gap in the country, post expansion of the capacity of the domestic industry and HIPL's production at optimum levels. Additionally, the product can also be imported from other countries, including Singapore, EU, UAE, Japan and other countries, at fair prices.

143. The Authority has also noted that the effect of the anti-dumping duty measures on public interest is commonly studied from the perspective of three different parties – the producers, the consumers and the general public at large.
144. It is noted that the imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods would be in the interest of domestic producers of the subject goods in India. The fact that this is a capital intensive industry, the continuation of the measure would prevent further injury and give time to the domestic producers to compete against the might of the exporters from the subject countries and to increase its utilization.
145. The Authority has also analyzed the effect of continuation of anti-dumping duties from the consumers point of view and observed that it would be in the interest of the domestic consumers of the subject goods to have reliable Indian domestic producers capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic producers are able to recover from the injury suffered due to the dumped imports. If the current situation is allowed to continue, the Indian domestic producers would face further injury, giving foreign producers increased leverage as against the domestic producers. Further, if the domestic industry is allowed to suffer, it will eventually be wiped out and the consumers will be again left at the mercy of the imported goods and will have to face many problems which, inter alia, include high inventory cost, delivery time, exchange fluctuations, no technical support, etc.
146. The Authority while analyzing the impact of the continuation of the anti-dumping duties on public at large, observed that continuation of the anti-dumping duties is in the interest of the public at large. Moreover, this analysis is strengthened by the fact that the numbers of users / association participated in the sunset review were significantly reduced as compared to the original investigation. This is only possible when the users are not feeling the impact of the anti-dumping duties on their ultimate product. The impact of the duties on the public at large is negligible.
147. From the above it is clear that the impact of continuation of the anti-dumping duties on consumer constitutes a negligible percentage on the final product. Consequently, it is established beyond doubt that the end consumer of the subject goods will not face any significant increase in the prices due to extension of the duties. Thus, it is a clear case of protecting the long-term public interest which will eventually be in the interest of the user industry as well.

N. CONCLUSION

148. Having regard to the contentions raised, the information provided and the submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of the dumping and the injury to the domestic industry, the Authority concludes that-
 - a. The landed value of the subject goods from the subject countries as a whole is still below the cost of the domestic industry and their selling price, which gives clear indication that the injury to the domestic industry is due to the dumped imports from the subject countries. Therefore, in the event of expiry of the existing duty, there is every likelihood that the domestic industry would suffer injury.
 - b. The data on record shows that the exporters in the subject countries have significant surplus capacities. It is also noted that since India has a huge market and is also a very price sensitive market, therefore, in the event of expiry of the existing duty, there is every likelihood that dumped imports from the subject countries would increase.
 - c. Despite the existence of the anti-dumping duties, the exporters from Vietnam and South Korea are dumping the subject goods, indicating continuation of the dumping and the injury to the domestic industry. Since there was no cooperation from the exporters from China and Taiwan and the fact that there is huge exportable capacity available with the exporters of these countries, it is necessary to extend the existing anti-dumping duties from these two countries also.
 - d. Since the Indian market is price sensitive, it is vulnerable to the dumped imports from the subject countries in case the existing duties are not extended and this would lead to loss of market share of the domestic industry.
 - e. There is sufficient evidence to indicate that in the event of cessation of the existing anti-dumping duties, the dumping of the subject goods from the subject countries is likely to intensify, causing injury to the domestic industry.

O. RECOMMENDATIONS

149. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
150. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from the subject countries is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend extension of the existing quantum of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries, except in respect of those producers who have not participated in the current sunset review investigation. Those non-cooperating producers and exporters in this sunset review investigation have been accorded residual duty as applicable at present. Accordingly, the anti-dumping duties for responding producers and non-cooperative producers from the subject countries are recommended as per the duty table below. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty as modified, on all imports of the subject goods from the subject countries as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

Duty Table

S. No.	Heading / Subheading*	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5404	Elastomeric Filament Yarn*	China PR	Any Country including China PR	Any	3.44	KGS	USD
2	-do-	-do-	Any Country other than China PR	China PR	Any	3.44	KGS	USD
3	-do-	-do-	South Korea	Any Country including South Korea	Hyosung TNC Corporation	0	KGS	USD
4	-do-	-do-	South Korea	Any Country including South Korea	T. K. Chemicals Corporation	0.15	KGS	USD
5	-do-	-do-	South Korea	Any Country including South Korea	Any producer other than S. No.3 and 54	1.90	KGS	USD
6	-do-	-do-	Any Country other than South Korea	South Korea	Any	1.90	KGS	USD
7	-do-	-do-	Vietnam	Any Country including Vietnam	Hyosung Vietnam: Hyosung Dong Nai	0.36	KGS	USD
8	-do-	-do-	Vietnam	Any Country including	Any producer other S.	2.16	KGS	USD

				Vietnam	No.7			
9	-do-	-do-	Any country Other than Vietnam	Vietnam	Any	2.16	KGS	USD
10	-do-	-do-	Taiwan	Any Country including Taiwan	Any	2.40	KGS	USD
11	-do-	-do-	Any Country other than Taiwan	Taiwan	Any	2.40	KGS	USD

*All deniers upto and including 150 Deniers, excluding coloured yarns and Beam type Elastomeric yarns.

151. Landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the customs under the customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 88, 9 and 94 of the said Act.

P. Further Procedure

152. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority